



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2022 की प्रतिवेदन सं. 1

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन सं. 1

विषय सूची			
क्रम सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
4.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	2
5.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
6.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
7.	सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
8.	वित्त का आशुचित्र	1.4.1	8
9.	सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र	1.4.2	9
10.	अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां	1.5	10
अध्याय-2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त			
11.	वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. वर्ष 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव	2.1	13
12.	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	2.2	14
13.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन	2.3	15
14.	रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियाँ	2.3.1	15
15.	रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	16
16.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि	2.3.2.1	16
17.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	18
18.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.2.3	25
19.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	29
20.	संसाधनों के उपयोग	2.4	30
21.	व्यय की वृद्धि तथा संघटन	2.4.1	30
22.	राजस्व व्यय	2.4.2	33
23.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.4.2.1	34
24.	प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	35
25.	राष्ट्रीय पेंशन योजना	2.4.2.3	36
26.	सब्सिडी	2.4.2.4	36
27.	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.5	37
28.	पूँजीगत व्यय	2.4.3	38
29.	पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	39

30.	निवेश तथा प्रतिफल	2.4.3.2	40
31.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.), रा.रा.क्षे.दि.स. के इक्विटी तथा बकाया ऋण का वित्त लेखों में आंकड़ों के साथ मिलान	2.4.3.3	41
32.	सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	2.4.4	41
33.	ऋण प्रबंधन	2.5	42
34.	ऋण रूपरेखा: घटक	2.5.1	42
35.	ऋण धारणीयता	2.6	43
36.	निष्कर्ष	2.7	44
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
37.	बजटीय प्रक्रिया	3.1	45
38.	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण	3.1.1	46
39.	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	46
40.	विनियोग लेखे	3.2	47
41.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ	3.3	48
42.	अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान	3.3.1	48
43.	अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग	3.3.2	49
44.	अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	3.3.3	52
45.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.4	55
46.	एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.4.1	55
47.	बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.5	56
48.	अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर	3.5.1	56
49.	बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.5.2	58
50.	व्यय का द्रुतप्रवाह	3.5.3	59
51.	अनुदान की उपयोगिता में कमी (केंद्रीय प्रायोजित योजना)	3.5.4	63
52.	अनुदान सं. 9 - 'उद्योग' का परिणाम	3.5.5	63
53.	अन्य अनियमितताएं	3.5.6	65
54.	अनुशंसाएँ	3.6	66
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली			
55.	निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित	4.1	67
56.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.2	67
57.	सार आकस्मिक बिल	4.3	72
58.	व्यक्तिगत जमा खाते	4.4	79
59.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.5	82
60.	स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.6	84

61.	वित्त लेखों के विवरण में अन्य अशुद्धियां	4.7	85
62.	वाउचर लेखापरीक्षा की अनियमितताएं	4.8	87
63.	अनुशंसाएँ	4.9	91
अध्याय-5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
64.	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	93
65.	लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	93
66.	रा.सा.क्षे.उ. तथा राज्य के स.रा.घ.उ. में उनका योगदान	5.3	94
67.	रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.4	95
68.	रा.सा.क्षे.उ. से रिटर्न	5.5	97
69.	ऋण सेवाएँ	5.6	98
70.	रा.सा.क्षे.उ. का निष्पादन	5.7	99
71.	रा.सा.क्षे.उ. में हानियों का होना	5.8	103
72.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.9	105
73.	नि.म.ले.प. द्वारा सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	106
74.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.11	106
75.	नि.म.ले.प. की निरीक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा	5.12	108
76.	नि.म.ले.प. की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	109
77.	लेखांकन मानकों के प्रावधान के अनुपालना की कमी	5.14	112
78.	प्रबंधन पत्र	5.15	114
79.	निष्कर्ष	5.16	114
80.	अनुशंसाएँ	5.17	115

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	117
परिशिष्ट 3.1	योजनाओं का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	119
परिशिष्ट 3.2	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था	123
परिशिष्ट 3.3	अनुदान की उपयोगिता में कमी (केंद्रीय प्रायोजित योजना)	125
परिशिष्ट 5.1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नवीनतम वर्ष हेतु सांराशीकृत वित्तीय परिणाम जिनके लेखे प्राप्त किये गए हैं	127
परिशिष्ट 5.2	31 मार्च 2021 को राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित इक्विटी एवं बकाये ऋण की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण	129
	पारिभाषिक शब्दावली	131

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं प्रमुख लोक लेखा के लेन-देन की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 रा.रा.क्षे. दिल्ली के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है।

अध्याय 4 रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, वैधानिक निगमों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव के वित्तीय निष्पादन की चर्चा करता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा अनेक स्रोतों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना 2011 से संगृहित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट पाँच अध्यायों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

विहंगावलोकन

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का 2020-21 में ₹ 1,450 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियाँ थीं। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के 0.90 प्रतिशत के प्रति 2020-21 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.18 प्रतिशत हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली, भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार वहन करता है।

(पैराग्राफ 1.5)

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का राजकोषीय घाटा जो 2016-17 में ₹ 1,051 करोड़ था जो कि अधिशेष में परिवर्तित होकर 2017-18 के दौरान ₹ 113 करोड़ तथा 2018-19 के दौरान बढ़कर ₹ 2,237 करोड़ हो गया, जो पुनः 2019-20 तथा 2020-21 में क्रमशः ₹ 416 करोड़ तथा ₹ 6,708 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया।

(पैराग्राफ 1.5)

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

- राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,272 करोड़ (11.18 प्रतिशत) घट गई। वर्ष 2020-21 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 72.63 प्रतिशत थी जबकि सहायता अनुदान का योगदान

27.37 प्रतिशत था। कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व का अंश 2016-17 में 90.67 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 70.29 प्रतिशत हो गया।

(पैराग्राफ 2.3.2.1)

- गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 2019-20 में ₹ 823 करोड़ से 23.33 प्रतिशत तक घट कर 2020-21 में ₹ 631 करोड़ हो गईं। भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के बढ़ते प्रवाह के कारण ऋण पूँजीगत प्राप्ति 2019-20 में ₹ 4,765 करोड़ से 99.37 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 15,365 करोड़ हो गई।

(पैराग्राफ 2.3.3)

- पूँजीगत व्यय वर्ष 2016-21 के दौरान ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 5,472 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जबकि राजस्व व्यय उसी अंतराल में लगातार बढ़ा। पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में ₹ 5,472 करोड़ से (14.13 प्रतिशत) घटकर ₹ 4,699 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.14 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमशः 9.55 प्रतिशत तथा 8.31 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 2.4.1 एवं 2.4.3)

- राजस्व व्यय 2016-17 में ₹ 29,302 करोड़ से 37.92 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ से 1.96 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश पिछले पांच वर्षों की तुलना में 34.88 प्रतिशत से 36.34 प्रतिशत तक रहा।

(पैराग्राफ 2.4.2 एवं 2.4.2.2)

- सब्सिडी पर व्यय 2016-17 में ₹ 2,160 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 4,177 करोड़ (93.38 प्रतिशत) हो गया। 2020-21 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 16.25 प्रतिशत बढ़ गया। स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2019-20 में ₹ 16,232.97 करोड़ से 13.35 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 18,400.04 करोड़ हो गई।

(पैराग्राफ 2.4.2.4 एवं 2.4.2.5)

- 2020-21 में सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में किए गए निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 500 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल

कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2016-17 से 2020-21 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.05 प्रतिशत से 0.08 प्रतिशत के बीच की श्रेणी का था जबकि सरकार ने 2020-21 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.04 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

(पैराग्राफ 2.4.3.2)

- रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियाँ शामिल हैं। 2020-21 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 41,002 करोड़ (₹ 46,867 करोड़ - ₹ 5,865 करोड़) था क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य को ऋण प्राप्ति के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 5,865 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे को राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा। सरकार का ऋण 2016-17 के अंत में ₹ 33,345 करोड़ से ₹ 7,657 करोड़ (22.96 प्रतिशत) बढ़कर 2020-21 के अंत में ₹ 41,002 करोड़ हो गया।

(पैराग्राफ 2.5 एवं 2.5.1)

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

- 2020-21 के दौरान ₹ 65,891.87 करोड़ (कुल बजट का 19.72 प्रतिशत) के कुल अनुदान एवं विनियोजन के प्रति ₹ 12,996.11 करोड़ की कुल बचत थी।

(पैराग्राफ 3.1.1 एवं 3.3.3)

- सात मामलों में ₹ 604.36 करोड़ का पूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ। आठ अनुदानों में फैले 16 उप-शीर्षों के तहत अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी। पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किये गये थे क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे तथा ₹ 401.57 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रति ₹ 940.02 करोड़ की संचयी बचत हुई।

(पैराग्राफ 3.3.1 एवं 3.3.2)

- रा.रा.क्षे.दि.स. ने व्यय के सटीक वस्तु शीर्ष की पहचान किए बिना चार अनुदानों के अंतर्गत कुल ₹ 213.06 करोड़ के एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया, जिसके प्रति ₹ 186.85 करोड़ व्यय किए गए।

(पैराग्राफ 3.4.1)

- ₹ 12,996.11 करोड़ की कुल बचत में से मार्च में ₹ 6,104.24 करोड़ (46.97 प्रतिशत) की बचत को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

(पैराग्राफ 3.5.1)

- नौ अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत 88 उप-शीर्षों में, ₹ 864.82 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया।

(पैराग्राफ 3.5.2)

- 2020-21 के दौरान ₹ 52,468.04 करोड़ के कुल व्यय में से (₹ 427.72 करोड़ की वसूली के अलावा) ₹ 21,019.73 करोड़ {बजट अनुमान (ब.अ.) 31.90 प्रतिशत} का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि मार्च 2021 के दौरान ₹ 11,815 करोड़ (ब.अ. 17.93 प्रतिशत) व्यय किए गए थे। आगे, पांच अनुदानों के अंतर्गत 13 उप-शीर्षों में ₹ 2,621.37 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2021 में किया गया।

(पैराग्राफ 3.5.3)

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

- लेखापरीक्षा ने नोट किया कि वर्ष 2011-12 से पूर्व ₹ 114.32 करोड़ की राशि के 1,081 उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) (53.89 प्रतिशत) बकाया थे जबकि 2011-12 से 2019-20 तक ₹ 8,935.13 करोड़ की राशि के 925 उ.प्र. (46.11 प्रतिशत) बकाया थे।

(पैराग्राफ 4.2)

- मार्च 2021 तक ₹ 735.10 करोड़ के कुल 4,936 सार आकस्मिक (सा.आ.) बिल बकाया थे। 57 सरकारी विभागों ने वित्त वर्ष 2020-21 के खाते बंद होने से पहले ₹ 265.52 करोड़ की राशि के 307 विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिल जमा नहीं किए। अतः इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्त वर्ष के दौरान ये व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किया गया था।

(पैराग्राफ 4.3)

- 2020-21 के दौरान ₹ 45,112.48 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,205.42 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 13.76 प्रतिशत था, जबकि

₹ 30,405.00 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 592.04 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.95 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 4.5)

- नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 12 निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा 2020-21 तक देय 11 निकायों/प्राधिकरणों के 33 वार्षिक लेखे सितम्बर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(पैराग्राफ 4.6)

अध्याय -5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (रा.सा.क्षे.उ.)

- 31 मार्च 2021 को, भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी, दो सांविधिक निगमों तथा 15 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे।

(पैराग्राफ 5.3.1)

- 2019-20 की तरह 2020-21 में भी 10 लाभ अर्जित करने वाले रा.सा.क्षे.उ. थे। लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ 2019-20 में ₹ 1,123.10 करोड़ से बढ़कर 2020-21 के दौरान ₹ 2,809.65 करोड़ हो गया। 2020-21 में ₹ 2,705.65 करोड़ के निवल लाभ जो 10 रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ का 96.30 प्रतिशत था, में पाँच रा.सा.क्षे.उ. द्वारा योगदान किया गया था। एक रा.सा.क्षे.उ. में न कोई लाभ हुआ और न हानि हुई।

(पैराग्राफ 5.5.1)

- सात रा.सा.क्षे.उ. ऐसे थे जिसमें उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार मार्च 2021 के अंत में हानियाँ हुई थी। इन हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा होने वाली हानियाँ 2018-19 में ₹ 4,386.79 करोड़ तथा 2019-20 में ₹ 5,294.16 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 6,162.64 करोड़ हो गई। 2020-21 के दौरान इन सात हानि-वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा की गई ₹ 6,162.64 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 6,147.06 करोड़ (99.75 प्रतिशत) की हानि अकेले दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई थी।

(पैराग्राफ 5.8.1)

- इन रा.सा.क्षे.उ. की संचित हानि के कारण 31 मार्च 2021 तक दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड एवं दिल्ली परिवहन निगम के निवल मूल्य (-) ₹ 43,271.94 करोड़ था।

(पैराग्राफ 5.8.2)

- 30 नवम्बर 2021 तक 16 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों को नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के लिए लेखा तैयार करने और जमा करने की आवश्यकता थी। हालांकि वर्ष 2020-21 के लिए आठ सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के लेखे बकाये थे तथा दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के लेखे छः वर्षों (2015-16 से 2020-21) से बकाये थे।

(पैराग्राफ 5.11.2 एवं 5.11.3)

अध्याय - 1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र अर्थात् संघ सरकार एवं राज्य सरकार जैसी एक मिश्रित प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली में 11 जिले तथा 33 उप मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी तथा 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तालिका 1.1 में दी गयी है:

तालिका 1.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

क्र. स.	विवरण	आंकड़े	
1	क्षेत्र	1483 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या		
	क. जनसंख्या (2011 जनगणना)	1.70 करोड़	
	ख. जनसंख्या 2021	2.08 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 जनगणना) (अखिल भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बीपीएल) 2011-12 (अखिल भारत का औसत = 21.9 प्रतिशत)	39.30 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारत का औसत = 73.0 प्रतिशत)	86.20 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (2019) (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारत का औसत = प्रति 1000 जन्म पर 30)	11	
7	जन्म के समय जीवन की उम्मीद (2014-18) (अखिल भारत का औसत = 69.4 वर्ष)	75.3 वर्ष	
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2020-21	₹7,98,310 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति जीडीपी/जीएसडीपी सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)	रा.रा.क्षे.दिल्ली	7.61 प्रतिशत
		अखिल भारत	8.21 प्रतिशत
10	स.घ.उ./स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)	रा.रा.क्षे.दिल्ली	9.81 प्रतिशत
		अखिल भारत	9.48 प्रतिशत
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)	12.30 प्रतिशत (अखिल भारत) 22.30 प्रतिशत	

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की वेबसाइट, आर्थिक सर्वे 2019-20, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2014-18, मानव विकास रिपोर्ट 2020 एवं भारत की जनगणना जानकारी 2011 तथा 2011-2036 तक भारत के महापंजीयक का भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह पर रिपोर्ट।

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य की सीमाक्षेत्र के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान तथा स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि में परिवर्तन क्रमशः तालिका 1.2, चार्ट 1.1 तथा चार्ट 1.2 में दिये गये हैं

तालिका 1.2: राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां


(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अखिल भारत स.घ.उ.	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
विगत वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-2.93)
रा.रा.क्षे. दिल्ली का स.रा.घ.उ. (2011-12 अनुक्रम)	6,16,085	6,77,900	7,50,962	8,30,872	7,98,310
विगत वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.85	10.03	10.78	10.64	-3.92

स्रोत: एमओएसपीआई वेबसाइट एवं आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.


स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. के लिए क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन
(2016-17 से 2020-21)



स्रोत: 2020-21 के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: 2020-21 के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़ों को तैयार करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- स.रा.घ.उ. तथा राज्य से संबंधित सांख्यिकी, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम; और
- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विश्लेषण/टिप्पणी के लिए उपयुक्ता के अनुरूप उपयोग किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को विनियोग और वित्त लेखों के संबंध में मसौदा प्रतिवेदन पर टिप्पणी हेतु दिसम्बर 2021 में भेज दिया गया था। सरकार के उत्तर, जहां प्राप्त हुए हैं, उन्हें उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पाँच अध्यायों में की गई है:

अध्याय- 1	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
------------------	---

अध्याय- 2	<p>राज्य वित्त</p> <p>यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।</p>
अध्याय- 3	<p>बजटीय प्रबंधन</p> <p>यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।</p>
अध्याय - 4	<p>लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली</p> <p>यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।</p>
अध्याय - 5	<p>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम</p> <p>यह अध्याय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के कामकाज पर टिप्पणी करता है।</p>

1.4 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखों को दो भागों में रखा जाता है:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा (46))

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, किए गए सभी अनुदान तथा ऋण के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि के अतिरिक्त कानून के अनुसार तथा उन उद्देश्यों और तरीकों के जैसा कि अधिनियम में प्रदत्त है, कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा (47))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए, जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उन व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने हेतु सक्षम बनाता है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। चूंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है इसलिए लोक लेखे से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत) का केन्द्रीय सरकार के लोक लेखे में विलय हो जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केन्द्र सरकार के सामान्य नगद शेष में समायोजित होता है और सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है।

दिल्ली केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा केवल केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के प्रति विवेकाधीन अनुदान प्राप्त करती है।


राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर तथा गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनका परिणाम भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा ऋण पर किया गया ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्ति निर्माण के लिए हो सकता है) के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण और अग्रिम की वसूली, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियाँ और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय में मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश पर व्यय तथा सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. तथा अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम 1991, की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, विधानमंडल के समक्ष, उस वर्ष के लिए पूंजी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, अनुदानों विनियोजन की मांग के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और उसके अनुमोदन के पश्चात, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत संचित निधि से आवश्यक धनराशि के विनियोजन के लिए विनियोजन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा रा.स.क्षे.दि.स. की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वास्तविक वित्तीय परिणाम, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान तथा 2019-20 के वास्तविक का तुलनात्मक विवरण प्रदान करता है।

विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ संपूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2019-20 वास्तविक	2020-21			
			बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. से वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	36,566	44,100	29,425	66.72	3.69
2	गैर-कर राजस्व	1,097	800	980	122.50	0.12
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	9,473	10,409	11,459	110.09	1.44
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	47,136	55,309	41,864	75.69	5.24
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	823	1,100	631	57.36	0.08
6	अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
7	उधार एवं अन्य देयताएं ^(क)	1,954	4,291	12,100	281.99	0.78 ¹
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	2,777	5,391	12,731	236.15	1.59
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	49,913	60,700	54,595	89.94	6.84
10	राजस्व व्यय, जिसका	39,637	48,070	40,414	84.07	5.06
11	- ब्याज भुगतान	2,752	3,062	2,874	93.86	0.36
12	पूँजीगत व्यय ^(ख) जिसका	8,738	13,419	8,789	65.50	1.10
13	- पूँजीगत परिव्यय	5,472	9,999	4,699	46.99	0.59
14	- ऋण एवं अग्रिम	3,266	3,420	4,090	119.59	0.51
15	कुल व्यय (10+12)	48,375	61,489	49,203	80.02	6.16
16	राजस्व अधिशेष (4-10)	7,499	7,239	1,450	20.03	0.18
17	राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-15}	(-) 416	(-)5,080	(-) 6,708	132.05	-0.84
18	प्राथमिक अधिशेष (17+11)	2,336	(-)7,875 ²	(-)3,834	48.69	-0.48

(क) उधार तथा अन्य देयताएं: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)। प्रभावी उधारियाँ तथा अन्य देयताएं ₹ 6,235 करोड़ हो जाएंगी चूंकि व्यय विभाग, भा.स. ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गई ₹ 5,865 करोड़ की व.से.क. क्षतिपूर्ति को ऐसे किसी मानक के लिए जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ख) पूँजीगत लेखों पर व्यय में पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

व.से.क. मुआवजा, व.से.क. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अधीन राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि वर्ष 2020-21 के दौरान व.से.क. क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में

¹ ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ की व.से.क. मुआवजे को छोड़ने के पश्चात् प्राप्त।

² स्रोत: रा.स.क्षे.दि.स. का 2020-21 का बजट एक नजर में

₹ 7,264.46 करोड़ की व.से.क. क्षतिपूर्ति प्राप्त होने के अलावा दिल्ली ने राज्य की पुनर्भुगतान देयता के बिना रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 5,865 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण भी प्राप्त किया। इस व्यवस्था के कारण ₹ 1,450 करोड़ के राजस्व अधिशेष तथा ₹ 6,780 करोड़ के राजकोषीय घाटे को व.से.क. क्षतिपूर्ति के एवज में ₹ 5,865 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखा प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित संपत्ति शामिल होती हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजी परिव्यय और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा आरंभिक नगद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संपत्ति और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है:

तालिका 1.4: संपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसंपत्तियां					
	2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि		2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
क	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	34,767	46,867*	34.80	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	70,285	74,984	6.68
ख	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए पूंजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण व अग्रिम	67,014	70,473	5.16
ग	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नगद शेष में अंतिम नगद शेष का विलय	6,001	11,393	89.85
घ	राजस्व लेखा में अधिशेष	1,03,589	1,05,039	1.40					
कुल		1,43,300	1,56,850		कुल		1,43,300	1,56,850	


नोट: 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को क्रमशः ₹ 70,285 करोड़ तथा ₹ 74,983 करोड़ की संपत्ति में सकल पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है जिसे 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को संपत्ति के पक्ष में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम क्रमशः ₹ 67,014 करोड़ और ₹ 70,473 करोड़ थे जिसमें 1994-95 के दौरान ले.म.नि. से ली गई ₹ 3,356 करोड़ शामिल थे।

* इसमें 2020-21 के दौरान भारत सरकार से व.से.क. मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 5,865 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है। ऋण की शर्त के अनुसार, पुनर्भुगतान दायित्व को राज्य के किसी अन्य संसाधन से पूरा नहीं किया जाएगा।


1.5 अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 एवं 1.5 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2016-17 से 2020-21 की अवधि की समाप्ति पर अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.5: 2016-17 से 2020-21 की अवधि की समाप्ति पर स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के प्रति राजस्व प्राप्तियों की अधिकता को दर्शाता है। 2020-21 में ₹ 1,450 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियाँ

थीं। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में लगातार राजस्व अधिशेष रहा है।

चार्ट 1.4 से देखा जा सकता कि है, राजकोषीय घाटा जो 2016-17 में ₹ 1,051 करोड़ था, 2017-18 के दौरान ₹ 113 करोड़ तथा 2018-19 के दौरान बढ़कर ₹ 2,237 करोड़ के अधिशेष में बदल गया जो कुल राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 47,959 करोड़ (2019-20) से ₹ 42,495 करोड़ (2020-21) में 11.39 प्रतिशत की कमी के कारण 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ तथा 2020-21 के दौरान ₹ 6,708 करोड़ के घाटे में बदल गया।

2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास प्राथमिक अधिशेष था जो 2020-21 में ₹ 3,834 करोड़ के घाटे में बदल गया जो मुख्य रूप से कुल राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में कमी के कारण था।

2019-20 में स.रा.घ.उ. के 0.90 प्रतिशत के प्रति 2020-21 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.18 प्रतिशत हो गया। 2019-20 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.05 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा के प्रति 2020-21 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.84 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली भा.स. द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार वहन करता है। 2020-21 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की ₹ 1,452.48 करोड़ की पेंशन देयताओं तथा दिल्ली पुलिस के ₹ 7,706.44 करोड़ के राजस्व व्यय (संशोधित अनुमान के अनुसार) का वहन भारत सरकार द्वारा किया गया था।

अध्याय - 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

यह अध्याय वि.व. 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

2.1 वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव

इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के प्रमुख राजकोषीय संचयन में मुख्य बदलावों को सरसरी तौर पर दिया गया है। इन सभी संकेतकों का आगामी पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है। वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलावों को तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयनों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व प्राप्तियाँ 11.18 प्रतिशत तक घट गई। ✓ स्वयं कर प्राप्तियाँ 19.53 प्रतिशत तक घट गई। ✓ गैर-कर प्राप्तियाँ 10.67 प्रतिशत तक घट गई। ✓ भा.स. से सहायता अनुदान 20.96 प्रतिशत तक बढ़ गया।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय 1.96 प्रतिशत तक बढ़ गया। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 11.13 प्रतिशत तक घट गया। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2.47 प्रतिशत तक बढ़ गया। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 30.38 प्रतिशत तक बढ़ गया। ✓ सहायता अनुदान एवं अंशदान पर व्यय 24.93 प्रतिशत तक घट गया।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूँजीगत व्यय 14.13 प्रतिशत तक घट गया। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 36.76 प्रतिशत तक घट गया। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 25.28 प्रतिशत तक घट गया। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 18.07 प्रतिशत तक बढ़ गया।
ऋण तथा अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण 25.23 प्रतिशत तक बढ़ गया। ✓ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ 23.33 प्रतिशत तक घट गई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियाँ 99.37 प्रतिशत तक बढ़¹ गई। ✓ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 16.15 प्रतिशत तक बढ़ गया।

¹ ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को हटाने के बाद आया।


2.2 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के संघटकों की तुलना करता है। 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरणों को तालिका 2.2, चार्ट 2.1 तथा चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)				
	विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	आरंभिक शेष	4,463	6,001	34.46
	राजस्व प्राप्तियाँ	47,136	41,864	(-) 11.18
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	823	631	(-) 23.33
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	1,954	12,100 ²	219.08 ³
	कुल	54,376	60,596	11.44
उपयोग	राजस्व व्यय	39,637	40,414	1.96
	पूँजीगत व्यय	5,472	4,699	(-) 14.13
	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	3,266	4,090	25.23
	अंतिम शेष	6,001	11,393	89.85
	कुल	54,376	60,596	11.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



² 2019-20 के दौरान ₹ 4,540.60 करोड़ से 2020-21 के दौरान ₹ 9,500 करोड़ के लघु बचत संग्रहण के अंश के भा.स. से संवितरण में हुई वृद्धि के कारण। इसके अतिरिक्त, इसमें 2020-21 के दौरान भा.स. से व.से.क. मुआवजा कमी के बदले प्राप्त किए गए ₹ 5,865 करोड़ का निरंतर ऋण भी सम्मिलित है।

³ ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को हटाने के बाद आया।

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:


1. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान निहित होती है।
2. पूँजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां, भा.स. से ऋण द्वारा प्राप्तियाँ तथा विभिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती है।

राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली के समेकित निधियों का अंश होती है।

2.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियाँ

समग्र प्राप्तियों की संरचना को चार्ट 2.3 में नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2020-21 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों की संरचना



*आरंभिक शेष तथा आकस्मिक निधियों को छोड़कर

2.3.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर, गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान निहित होती हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में प्रवृत्तियां, की वृद्धि में प्रवृत्तियां स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियाँ एवं उत्पलावकता अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864 ⁴
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	-1.87	12.58	11.50	9.33	-11.18
स्वयं कर राजस्व	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425
स्वयं गैर-कर राजस्व	381	766	644	1,097	980
स्वयं राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं कर तथा गैर-कर राजस्व) (प्रतिशत)	2.54	15.74	2.15	1.06	-19.27
भा.स. से सहायता अनुदान	2,825	2,184	5,844	9,473	11,459
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	6,16,085	6,77,900	7,50,962	8,30,872	7,98,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.85	10.03	10.78	10.64	-3.92
रा.प्रा./सं.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	5.57	5.70	5.74	5.67	5.24
उत्पलावकता अनुपात ⁵					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	-0.16	1.25	1.07	0.88	2.85
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली की स्वयं राजस्व उत्पलावकता	0.21	1.57	0.20	0.10	4.92

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियाँ 4.07 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से 2016-17 में ₹ 34,346 करोड़ से 21.89 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 41,864 करोड़ हो गई, जिसमें से उक्त अवधि के दौरान क्रमशः रा.रा.क्षे दिल्ली के स्वयं कर

⁴ व.से.क. मुआवजा (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 7,264.45 करोड़ का व.से.क. प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान व.से.क. क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, दिल्ली को रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 5,865 करोड़ का बैंक टू बैंक भी बिना चुकौती देयता के मिला। इस व्यवस्था के कारण, राजस्व प्राप्ति को व.से.क. मुआवजे के बदले ₹ 5,865 करोड़ की ऋण प्राप्ति के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है।


⁵ उत्पलावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही की शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाता है। उदाहरणार्थ, 1.85 पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता का तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियाँ प्रवृत्ति 1.85 प्रतिशत प्वाइंट्स तक बढ़ जाती, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता।

राजस्व में 1,715 करोड़ (5.51 प्रतिशत) की कमी हुई जबकि सहायता अनुदान में ₹ 8,634 करोड़ (305.63 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 11.18 प्रतिशत तक घट गई, जो विशेष रूप से स्वयं कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व में क्रमशः ₹ 7,141 करोड़ (19.53 प्रतिशत) तथा ₹ 117 करोड़ (10.67 प्रतिशत) में कमी के कारण था।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व का अंश 2016-17 में 90.67 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 70.29 प्रतिशत हो गया। 2016-17 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 91.77 प्रतिशत तक थी जबकि सहायता अनुदान अंशदान 8.23 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 72.63 प्रतिशत तक थीं जबकि सहायता अनुदान का योगदान 27.37 प्रतिशत था।

चार्ट 2.4: 2016-2021 के दौरान स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ




रा.रा.क्षे. दिल्ली की स.रा.घ.उ. 2016-17 में ₹ 6,16,085 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 7,98,310 करोड़ (29.58 प्रतिशत) हो गई। 2019-20 की तुलना में, स.रा.घ.उ. (₹ 8,30,872 करोड़) में कमी होकर 2020-21 में ₹ 7,98,310 करोड़ (3.92 प्रतिशत) हो गई। स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 2016-17 में 5.57 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 5.24 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए

स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष-वार आधार पर मिश्रित प्रवृत्तियों को दर्शा रही थी।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2020-21 में 2.85 पर थी जिसका तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियाँ 2.85 प्रतिशत बिन्दुओं तक घट गई, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक घट गई। 2020-21 में रा.रा.क्षे. दिल्ली की स.रा.घ.उ. के संदर्भ में स्वयं राजस्व उत्पलावकता 4.92 थी, इसका तात्पर्य है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली की स्वयं राजस्व प्राप्तियाँ 4.92 प्रतिशत बिंदु तक घट गई, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक घट गई थी।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियों को चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राज्य की राजस्व प्राप्तियों में संघटकों की प्रवृत्तियां



स्वयं कर राजस्व 2016-17 से 2018-19 तक बढ़ी हुई प्रवृत्तियों को दर्शा रहा था परंतु 2019-20 की तुलना में 2020-21 में महत्वपूर्ण रूप से ₹ 7,141 करोड़ घट गया। हालांकि, भा.स. से स.अ. 2016-17 से 2017-18 तक घटी हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा था परंतु 2018-19 से 2020-21 तक लगातार वृद्धि हो रही थी। पिछले पांच वर्ष की तुलना में गैर-कर राजस्व मिश्रित प्रवृत्तियों को दर्शा रहा था।

2.3.2.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन


संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं कर एवं गैर-कर शामिल है, से होता है।

स्वयं कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व में राज्य ब.से.क., राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे

दिल्ली के स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति को तालिका 2.4 तथा चार्ट 2.6 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: 2016-17 से 2020-21 के दौरान स्वयं कर राजस्व की वृद्धि



तालिका 2.4: रा.रा.क्षे दिल्ली के स्वयं कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य वस्तु तथा सेवा कर (रा.व.से.क.)	-	13,621	19,187	19,465	15,676
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	21,144	11,149	5,886	5,475	4,411
राज्य उत्पाद शुल्क	4,251	4,453	5,028	5,068	4,108
वाहनों पर कर	1,809	2,116	2,055	1,948	1,676
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	3,144	4,117	4,459	4,606	3,549
भू राजस्व	2	2	0	3	4
अन्य कर ⁶	790	259	10	1	1
कर राजस्व	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.5: वर्ष 2020-21 के लिए ब.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का कर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ. और वास्तविक बीच अन्तर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	23,800	15,676	(-)8,124	(-) 34.13
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,200	4,411	(-)1,789	(-) 28.85
राज्य उत्पाद शुल्क	6,300	4,108	(-)2,192	(-) 34.79
वाहनों पर कर	2,500	1,676	(-)824	(-) 32.96
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	5,297	3,549	(-)1,748	(-) 33
भू-राजस्व	3	4	(+)1	(+)33.33
अन्य कर	0	1		-
कुल	44,100	29,425	(-)14,675	(-) 33.28

⁶ मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर को शामिल करते हुए अन्य कर

2020-21 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में सभी राजस्व मदों (भू-राजस्व को छोड़कर) में कमी थी।

वस्तु तथा सेवा कर (व.से.क.)

व.से.क. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वस्तु तथा सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्थित राजस्व में हुई कमी के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जायेगा। केन्द्र वस्तु तथा सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत व.से.क. उद्गृहीत करता है तथा राज्यों को कर के अंश बांटता है जहां वस्तुएं अथवा सेवाओं का उपभोग किया जाता है। रा.व.से.क. संग्रहण में प्रवृत्तियों को तालिका 2.6 तथा चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: राज्य रा.व.से.क. तथा प्राप्त किया गया मुआवजा

(₹ करोड़ में)

महिना	प्रक्षेपित किया जाने वाला राजस्व	संग्रहित किया गया पूर्व व.से.क. कर*	संग्रहित किया गया रा.व.से.क.	ए.ब.से.क. का अनंतिम विभाजन + ए.ब.से.क. निधि से तदर्थ निपटान	अन्य कर**	प्राप्त की गई कुल राशि	प्राप्त किया गया मुआवजा***	मुआवजे के प्रति ऋण
अप्रैल 2020	2693	10.31	227.44	80.07	1.76	319.58	7264.45	
मई 2020	2693	9.02	494.04	585.58	1.10	1089.74		
जून 2020	2693	-3.38	758.60	329.05	1.02	1085.29		
जुलाई 2020	2693	5.79	650.63	685.13	0.55	1342.10		
अगस्त 2020	2693	15.77	676.73	528.08	0.03	1220.61		
सितम्बर 2020	2693	10.05	743.80	481.73	0.06	1235.64		
अक्टूबर 2020	2693	9.80	777.15	613.03	0.01	1399.99		
नवम्बर 2020	2693	-4.13	811.80	444.10	0.08	1251.85		1706.93
दिसम्बर 2020	2693	-10.98	801.49	412.11	0.01	1202.63		1611.08
जनवरी 2021	2693	18.78	862.15	562.67	0.03	1443.63		1277.24
फरवरी 2021	2693	2.35	276.75	1612.07	0.07	1891.24		904.71
मार्च 2021	2693	18.69	922.95	1338.99	0.09	2280.72		365.04
कुल	32316	82.07	8003.53	7672.61	4.81	15763.02		7264.45

* पैट्रोलियम तथा शराब को छोड़कर वैट एवं के.बि.क. सम्मिलित है।


** अन्य कर में मनोरंजन कर, केबल कर लॉटरी, शर्त, सट्टेबाजी कर तथा दवाई एवं टॉयलेट सामग्री पर उत्पाद शुल्क इत्यादि शामिल है।

*** वित्त लेखों के अनुसार, वि.व. 2020-21 के दौरान ₹ 5,521.65 करोड़ प्राप्त किए गए थे। इसमें वि.व. 2019-20 से संबंधित ₹ 2,160 करोड़

सम्मिलित है तथा चालू वर्ष (2021-22) के दौरान ₹ 3,902.80 करोड़ प्राप्त किए गए थे। (₹ 5,521.65 करोड़ - ₹ 2,160 करोड़ + ₹ 3,902.80 करोड़ = ₹ 7,264.45 करोड़)

वर्ष 2020-21 के लिए प्रक्षेपित राजस्व 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के अनुसार ₹ 32,316 करोड़ था। इसके विपरीत वर्ष 2020-21 के दौरान व.से.क. के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 15,763.02 करोड़ थी और प्राप्त किया गया मुआवजा ₹ 7,264.45 करोड़ था तथा मुआवजे के प्रति ऋण⁷ ₹ 5,865 करोड़ था जैसा कि तालिका 2.6 में विस्तृत किया गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 31 मार्च 2021 तक मुआवजे की प्राप्ति में ₹ 3,423.52 करोड़ की कमी थी।

चार्ट 2.7 रा.व.से.क. संग्रहण में प्रवृत्तियां



रा.व.से.क. संग्रहण 2019-20 में ₹ 19,465 करोड़ से ₹ 3,789 करोड़ (19.47 प्रतिशत) घट कर 2020-21 में ₹ 15,676 करोड़ हो गया।

वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि रा.व.से.क. संग्रहण लॉकडाउन एवं अन्य प्रभावी कोविड महामारी के कारण घट गया।

एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (ए.व.से.क.)

रा.रा.क्षे.दि.स., भारत सरकार से एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर के आई.टी.सी. तथा रा.व.से.क./ यू.टी.ब.से.क. के उपयोग किए जाने के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित ए.व.से.क. के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती है जिसको रा.व.से.क. के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान प्राप्त की गई निधियों के विवरणों को तालिका 2.7 में दिया गया है।

⁷ व.से.क. मुआवजे के लिए विकल्प के रूप में भा.स. द्वारा राज्यों को संचारित (अगस्त 2020) की गई ऋण नियम की शर्तों के अनुसार, 'व.से.क. मुआवजा निधि' में सैस के संग्रहण से ऋण का भुगतान किया जाना चाहिए तथा भुगतान का दायित्व राज्य के किसी अन्य संसाधनों से नहीं मिलना चाहिए।

तालिका 2.7: 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए
ए.व.से.क. प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
इनपुट टैक्स क्रेडिट	2,419	3,501	2626
ए.व.से.क. का विभाजन	3,607	4,239	3454
रा.व.से.क. का अग्रिम विभाजन	2,582	157	1593
कुल	8608	7897	7673

राजस्व के बकाये

राजस्व के बकाये, सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में की गई देरी को दर्शाता है। व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार मुख्यशीर्ष 0040 - बिक्री पर कर, व्यापार आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक राजस्व बकायों का विवरणों की सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों से अधिक के लिए ₹ 76,555 करोड़ की राशि में से ₹ 24,517 करोड़ की राशि बकाया थी।

निर्धारण के बकाये

निर्धारण के बकाये संभावित राजस्व को दर्शाते हैं जो कि विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध थे। वर्ष के आरंभ में लम्बित मामले, निर्धारण के लिए देय मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण किए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8 निर्धारण के बकाये

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	मामलों के प्रारंभिक शेष	2020-21 के दौरान निर्धारण के लिए देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2020-21 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता
0040 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0	3,82,034	3,82,034	3,82,034	0	100

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, वापसी के मामले इत्यादि का विवरण

उत्पाद तथा कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, अंतिमकरण किए गए मामले तथा उद्घृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों का महत्वपूर्ण संकेतक है। कर वापसी मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है।

वापसी मामले का अधिक लंबन लालफीताशाही, निहित स्वार्थ, अतिरिक्त मुद्रा के प्रचलन इत्यादि के संकेतक हैं। वर्ष 2020-21 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले तथा वापसी मामलों के विवरणों को तालिका 2.9 तथा तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: पता लगाए गए कर के अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 तक लंबित मामले	2020-21 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	कुल मामले की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी की गई तथा अतिरिक्त मांग के साथ उदघृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2021 तक अपील के अंतर्गत लंबित मामले की संख्या
				मामले की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
व.से.क.	07	2632	2639	2403	(क) 36.92 (ख) 28.31	236

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.10: वर्ष 2020-21 के लिए वापसी मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	व.से.क.		बिक्री कर /वैट	
		मामले की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	मामले की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	- (#)		17,759	1,344.59
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	32902	4366.79	8	4.36
3	वर्ष के दौरान की गई वापसी	21372	1664.37	3,096	108.80
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिभागी/समायोजित वापसियां	*	1830.32	1,339	10.09
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	5266	1312.37	14,671	1,230.06

वर्ष 2019-20 के लिए विभाग द्वारा अंतिम शेष सूचित नहीं किया गया था।

* अस्वीकृत मामलों की संख्या के संबंध में सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली के गैर-कर राजस्व तथा प्रवृत्तियों के संघटकों को तालिका 2.11 तथा चार्ट 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.11: रा.रा.क्षे. दिल्ली के गैर-कर राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ब्याज प्राप्तियाँ	82	396	113	404	468
लाभांश तथा लाभ	11	16	15	16	10
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	288	354	516	677	502
क. लोक निर्माण	22	14	18	13	43
ख. शिक्षा	24	26	29	27	79

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ग. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	60	89	103	112	95
घ. उर्जा	21	26	53	87	33
ड. अन्य इत्यादि	161	199	313	438	252
कुल गैर-कर राजस्व	381	766	644	1,097	980

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

गैर-कर राजस्व 2016-17 में ₹ 381 करोड़ से 157.22 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 980 करोड़ हो गया। गैर-कर राजस्व जो कि 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 41,864 करोड़) का 2.34 प्रतिशत था पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 117 करोड़ (10.67 प्रतिशत) तक कम हो गया मुख्य रूप से अन्य गैर-कर प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 25.85 प्रतिशत तक की कमी के कारण हुई। वर्ष 2020-21 के लिए ब.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का कर राजस्व तालिका 2.12 में दिखाया गया है।


तालिका 2.12: वर्ष 2020-21 के लिए ब.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. की वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व

राजस्व शीर्ष	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ. और वास्तविक के बीच अन्तर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
ब्याज प्राप्तियाँ	330.00	468	(+)138	(+) 41.82
लाभांश और लाभ	25.00	10	(-)15	(-) 60
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	445	502	(+) 57	(+) 12.81
कुल	800	980	(+) 180	(+) 22.5

(₹ करोड़ में)


2020-21 के दौरान, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व शीर्ष (लाभांश और लाभ) में कमी थी।

चार्ट 2.8: गैर-कर राजस्व शीर्ष में प्रवृत्तियाँ



अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 214 करोड़ (74.31 प्रतिशत) तक बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान अन्य गैर-कर प्राप्तियों में ₹ 175 करोड़ (25.85 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अंतर्गत शीर्ष जैसे लोक सेवा आयोग, जेल तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं में गैर कर प्राप्तियों में कमी के कारण हुई थी। अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: अन्य गैर-कर प्राप्तिय शीर्षों में प्रवृत्तियां



2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना तथा गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया था। 2020-21 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. को भा.स. से ₹ 10,409 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले ₹ 11,459 करोड़ (110 प्रतिशत) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। भा.स. से स.अ. के विवरण तालिका 2.13 में है।

तालिका 2.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान


शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (के.प्रा.यो.)	1,156.28	527.27	807.03	1,169.48	1,441.46
सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता (ब्लॉक अनुदान)	462.89	412.98	449.99	472.00	626.00
अन्य अनुदान (एन पी)	793.71	706.30	79.75	70.56	-
केन्द्रीय करों में अंश के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
व.से.क. के कार्यान्वयन से उत्थित राजस्व की हानि का मुआवजा	-	157.00	4,182.00	7,436.00	5,521.65
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	81.73	54.59	रा.सा.स.का. योजना 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।	रा.सा.स.का. योजना 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।	रा.सा.स.का. योजना 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.)	5.54	1.16	-	-	-
अन्य अनुदान (योजना)	-	-	-	-	-
दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया फंड में योगदान	-	-	-	-	161.49
ए.व.से.क. हस्तांतरण का प्रत्यावर्तन तथा शेष ए.व.से.क. का विनियोग	-	-	-	-	3383.00
कुल	2,825.15	2,184.30	5,843.77	9,473.04	11,458.60
स.अ. से राजस्व प्राप्तियों के प्रति स.अ. की प्रतिशतता	8.23	5.65	13.55	20.10	27.37

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भा.स. से स.अ. 2016-17 में ₹ 2,825 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 11,459 करोड़ (305.63 प्रतिशत) तक हो गया। भा.स. से स.अ. पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में ₹ 1,986 करोड़ (20.96 प्रतिशत) तक बढ़ गया। यह मुख्यतः ए.व.से.क. हस्तांतरण का प्रत्यावर्तन तथा शेष ए.व.से.क. का विनियोग शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,383 करोड़ जारी करने के कारण था। दिल्ली, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत आच्छादित नहीं थी और केन्द्रीय कर तथा शुल्कों के राज्य अंश के बदले में केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त किए गए थे जो कि 2001-2002 से ₹ 325 करोड़ तक स्थिर हो गये हैं, यद्यपि केन्द्रीय कर संग्रहण 2001-02 से पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के लिए स.अ. में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: सहायता अनुदान में प्रवृत्ति



केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए पाँच योजनाओं का चयन किया है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

(i) एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी:

सा.वि.नि., 2017 के नियम 238(1) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.ए.) भा.स. ने स्मार्ट सिटी मिशन (एमसीएम) के अंतर्गत नई दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 2015-16 और 2020-21 के मध्य रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 294.00 करोड़ रुपये जारी किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 294.00 करोड़ में से, एन.डी.एम.सी. ने 31 मार्च 2021 तक ₹ 203.63 करोड़ खर्च किए, जिसमें ₹ 90.37 करोड़ बिना खर्च किए रह गये।

शहरी विकास (श.वि.) विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि एन.डी.एम.सी. एस.सी.एम. के विरुद्ध उ.प्र.प्र. सीधे एम.ओ.एच.यू.ए., भा.स. को प्रस्तुत करता है। हालांकि, श.वि. विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. के पास विस्तृत व्यय और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की उपलब्धता के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि एन.डी.एम.सी. ने सहायता अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

मामला अक्टूबर 2021 में विभाग को भेजा गया, उनका जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

(ii) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डी.एस.एच.एम.):

दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डी.एस.एच.एम.) ने 2020-21 के दौरान ₹ 797.51 करोड़ का सहायता अनुदान एवं दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जोकि कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज, (₹ 787.91 करोड़) तथा कोविड-19 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए टीकाकरण (₹ 3.46 करोड़ + 6.14 करोड़ = ₹ 9.60 करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 797.51 करोड़ के कुल अनुदान के प्रति ₹ 136.45 करोड़ तथा ₹ 6.14 करोड़ की राशि वर्ष के अंत में जोकि क्रमशः 26 और 31 मार्च 2021 को जारी की गई थी तथा विभाग द्वारा प्राप्त उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त किए गए कुल अनुदान ₹ 797.51 करोड़ के प्रति ₹ 542.88 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 254.63 करोड़ (31.93 प्रतिशत) की बचत हुई।

डी.एस.एच.एम. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि भा.स. द्वारा अंतिम किस्त जारी करने में देरी के कारण व्यय नहीं किया जा सका था। इसमें यह भी कहा गया कि 2020-21 में किए गए क्रियाकलापों के सभी प्रतिबद्ध व्यय का भुगतान 2021-22 की पहली एवं दूसरी तिमाही में किया गया था। जवाब संतोषजनक

नहीं है, क्योंकि ₹ 142.59 करोड़ (₹ 136.45 करोड़ + 6.14 करोड़) की राशि वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थी, परन्तु कोविड-19 आपातकाल तथा स्वास्थ्य देखभाल एवं फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कोविड-19 टीकाकरण के उद्देश्य के लिए प्राप्त ₹ 112.04 करोड़ की शेष राशि इस उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया। कोविड-19 टीकाकरण के लिए जनवरी 2021 में प्राप्त ₹ 3.46 करोड़ के अनुदान के अलावा, विभाग ने 2020-21 के दौरान के ₹ 0.04 करोड़ (1.16 प्रतिशत) ही खर्च किए और अनुदान के उद्देश्य को ही विफल कर दिया।

(iii) दिल्ली पुलिस सेवा संस्था:

दिल्ली पुलिस सेवा संस्था को वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली पुलिस (निर्भया फंड) द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 333.27 करोड़ (2 मार्च 2019 को ₹ 64.67 करोड़ और 26 सितम्बर 2019 को ₹ 268.60 करोड़) की सहायता अनुदान प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 333.27 करोड़ में से दिल्ली पुलिस ने 27 सितम्बर 2019 को सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक), पुणे को अग्रिम भुगतान (मोबिलाइजेशन फंड) के रूप में ₹ 45 करोड़ जारी किए, जिसमें ₹ 13.61 करोड़ का अर्जित ब्याज (वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान) सहित 31 मार्च 2021 को ₹ 301.88 करोड़ का अंतिम शेष था।

दिल्ली पुलिस ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सी-डैक द्वारा मास्टर-सिस्टम इंटीग्रेटर (एम.एस.आई.) और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) के चयन में विलम्ब के कारण, राशि का उपयोग 2019-20 और 2020-21 की अवधि में नहीं किया जा सका था।

(iv) मिड-डे-मील योजना तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 78.68 करोड़ की अनुदान जारी की थी। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 78.68 करोड़ की अनुदान में से ₹ 16.33 करोड़ की अनुदान केवल मार्च 2021 के महीने में प्राप्त हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप अनुदान को उस उद्देश्य के लिए योजना कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे वितरित नहीं किया जा सका, जिस उद्देश्य से इसे स्वीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भा.स. ने भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 118.91 करोड़ का

अनुदान जारी किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 118.91 करोड़ के अनुदान में से ₹ 12.13 करोड़ का अनुदान केवल 27 मार्च 2021 को प्राप्त हुए थे। जिसके परिणामस्वरूप अनुदान का उपयोग 2020-21 के दौरान नहीं किया जा सका था।

(v) एकीकृत बाल विकास सेवा (ए.बा.वि.से.) और पूरक पोषक कार्यक्रम (पू.पो.का.)

2020-21 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को एकीकृत बाल विकास सेवा (ए.बा.वि.से.) और पूरक पोषक कार्यक्रम के अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्रालय, भा.स. से क्रमशः ₹ 35.47 करोड़ एवं ₹ 65.40 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.बा.वि.से. के अंतर्गत ₹ 35.47 करोड़ के स.अ. के प्रति विभाग ने ₹ 63.69⁸ करोड़ के कुल उपलब्धता के प्रति ₹ 70.92 करोड़ का व्यय किया था। इसी प्रकार, पू.पो.का. के अंतर्गत विभाग ने ₹ 65.40 करोड़ के स.अ. के प्रति, ₹ 41.18⁹ करोड़ की कुल उपलब्धता के प्रति ₹ 71.79 करोड़ का व्यय किया था।

इस प्रकार ए.बा.वि.यो. एवं पू.पो.का. के अंतर्गत क्रमशः ₹ 7.23 करोड़ एवं ₹ 30.61 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि लाभाभियों की संख्या में वृद्धि के कारण निधि अपर्याप्त रही और जो व्यय अधिक हुआ उसे राज्य के अंश से वहन किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि अतिरिक्त व्यय भा.स. से धन प्राप्त होने के बाद अगले वित्त वर्ष में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, राज्य अंश से अधिक व्यय की पूर्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभाग के अभिलेखों में नहीं पायी गई थी। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भा.स. को लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के संबंध में सूचना भी उपलब्ध नहीं थी।

विभाग को मामला अक्टूबर 2021 में बताया गया था, पर उनका जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों में भा.स. से ऋणों तथा अग्रिमों (गैर-ऋणों) की वसूलियां तथा ऋणों तथा अग्रिमों (ऋण) की प्राप्तियाँ समाहित होती हैं।

⁸ ₹ 28.22 करोड़ (2019-20) + ₹ 35.47 करोड़ (2020-21) का अव्ययित शेष

⁹ ₹ 24.22 करोड़ (2019-20) + ₹ 65.40 करोड़ (2020-21) का अधिक व्यय

पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21 तक) के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.14 में विस्तृत किया गया है।

तालिका 2.14: पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटकों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण तथा गैर-ऋण)	1,908	2,597	4,524	5,588	15,996
ऋणों तथा अग्रिमों की वसुलियाँ (गैर-ऋण)	212	691	1,644	823	631
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	41	224	(-756)	1,954	12,100
आंतरिक ऋण ¹⁰	-	-	-	-	-
वृद्धि दर	-	-	-	-	-
भा.स. से ऋण तथा अग्रिम (ऋण)	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	(-)24.32	12.38	51.10	65.45	99.37 ¹¹
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	155.42	225.94	137.92	(-)49.94	(-)23.33
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	11.85	10.03	10.78	10.64	(-)3.92
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)17.90	36.11	74.20	23.52	186.26

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेख

गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे-ऋण एवं अग्रिमों की वसुलियाँ 2019-20 में ₹ 823 करोड़ से 23.33 प्रतिशत घट कर 2020-21 में ₹ 631 करोड़ हो गई। ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे भा.स. से ऋणों तथा अग्रिमों में 99.37¹² प्रतिशत अधिक वृद्धि के कारण 2019-20 में ₹ 4,765 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 15,365 करोड़ हो गई।

2.4 संसाधनों के उपयोग

राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी के साथ निहित है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करती है कि राज्य में चल रहे वित्तीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर नहीं है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि तथा संघटन

पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) की तुलना में कुल व्यय की प्रवृत्तियां तथा संघटन तालिका 2.15 तथा चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

¹⁰ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई आंतरिक ऋण नहीं है।

¹¹ ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को हटाने के बाद आया।

¹² ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को हटाने के बाद आया।


तालिका 2.15: कुल व्यय तथा इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699
ऋण तथा अग्रिम	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	5.78	5.79	5.66	5.82	6.16
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	4.76	4.98	4.91	4.77	5.06
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ.	0.61	0.48	0.43	0.66	0.59
ऋण तथा अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.41	0.33	0.32	0.39	0.51

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11: कुल व्यय: प्रवृत्तियाँ और संरचना



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान 6.68 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सं.वा.वृ.द.) पर ₹ 35,609 करोड़ से लगातार बढ़कर ₹ 49,203 करोड़ हो गया।


इसी प्रकार, राजस्व व्यय 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹ 29,302 करोड़ से 6.64 प्रतिशत की सं.वा.वृ.द. से बढ़कर ₹ 40,414 करोड़ हो गया पूँजीगत व्यय वर्ष के मध्य में ₹ 3,243 करोड़ (2017-18) और ₹ 5,472 करोड़ (2019-20) के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण भी वर्ष के मध्य में ₹ 2,248 करोड़ और ₹ 4,090 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां

कुल व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है। राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.14 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2020-21 के लिए पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमशः 9.55 प्रतिशत तथा 8.31 प्रतिशत था।

चार्ट 2.12: कुल व्यय: इनके संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंशों को तालिका 2.16 में दर्शाया गया है। कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं के अंश 2019-20 में 15.45 प्रतिशत से 2020-21 में 13.29 प्रतिशत तक घट गए थे।

तालिका 2.16: कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) में से व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएं ¹³	19.49	18.92	18.31	15.45	13.29
सामाजिक सेवाएं ¹⁴	52.54	53.96	55.08	53.16	51.55
आर्थिक सेवाएं ¹⁵	17.93	18.61	15.40	16.62	20.93
अन्य (स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान एवं अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के संस्थानों, विभागों इत्यादि को ऋण एवं अग्रिम)	10.04	8.51	11.21	14.77	14.23

सामाजिक सेवाओं के अंश 2019-20 में 53.16 प्रतिशत से घट कर 2020-21 में 51.55 प्रतिशत हो गए। आर्थिक सेवाओं के अंश भी 2019-20 में


¹³ प्रशासनिक तथा राजकोषीय सेवायें जैसे भूमि राजस्व, उत्पाद तथा व.से.क., पुलिस, जेल, लोक निर्माण कार्य आदि शामिल हैं।

¹⁴ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह, शहरी विकास, श्रम कल्याण, सामाजिक कल्याण आदि शामिल हैं।

¹⁵ कृषि तथा संबंधित गतिविधि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं।

16.62 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 20.93 प्रतिशत हो गए। ऋणों तथा अग्रिमों और स्थानीय निकायों के अनुदानों के संवितरण पर कुल व्यय 2019-20 में 14.77 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2020-21 में 14.23 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय गतिविधियों को चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट: 2.13: कुल व्यय - गतिविधियों द्वारा व्यय



2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले अनुबंधों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, राज्य अवसंरचना तथा सेवा नेटवर्क की किसी वृद्धि में इसका कोई परिणाम नहीं होता। तालिका 2.17 पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) की तुलना में राजस्व व्यय को प्रस्तुत करती है। राजस्व व्यय 2016-17 में ₹ 29,302 करोड़ से 37.92 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, राजस्व व्यय 2016-17 में 4.76 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 5.06 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ से 1.96 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ हो गया जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण 2019-20 में ₹ 6,530 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 8,514 करोड़ (30.38 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 22,145 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 22,693 करोड़ (2.47 प्रतिशत) हो गया।

तालिका 2.17: राजस्व व्यय - मूल मापदंड

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414
पूर्व वर्ष में रा.व्य. में वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.23	15.19	9.18	7.56	1.96
राजस्व व्यय कु.व्य की प्रतिशतता के रूप में	82.29	86.01	86.67	81.94	82.14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	6,16,085	6,77,900	7,50,962	8,30,872	7,98,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.85	10.03	10.78	10.64	-3.92

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	4.76	4.98	4.91	4.77	5.06
रा.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	85.31	87.29	85.48	84.09	96.54
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	0.95	1.51	0.85	0.71	(-) 0.50
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	(-) 6.01	1.21	0.80	0.81	(-) 0.18


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका 2.17 से यह देखा जा सकता है पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान स.रा.घ.उ. (अनुपात) सहित राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 1.21 प्रतिशत प्वाइंट्स तक घट गई।

इसी प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय की उत्प्लावकत 0.99 प्रतिशत प्वाइंट्स तक घट गई।

2020-21 अवधि के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण को चार्ट 2.14 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.14: 2020-21 के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण



2.4.2.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

लेखों के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में विभिन्नताओं को तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्षों की तुलना में राजस्व व्यय में विभिन्नताएं

लेखों के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि(+)/कमी (-) (प्रतिशत में)
2040-बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	41.38	39.80	(-) 3.82%
2075-विविध सामान्य सेवायें	9.67	9.32	(-) 3.62%
2215-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1,415.35	1891.57	33.65%
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछले वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	265.22	51.14	(-) 80.72%
2236 पोषण	149.42	151.42	1.34%
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6.39	6.21	(-) 2.82%
2216-आवास	102.61	100.41	(-) 2.14%
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7.67	7.50	(-) 2.22%

राजस्व व्यय के मुख्य शीर्षों में प्रतिशत बदलाव ने दो वर्षों की अवधि की तुलना में भिन्नताएं दर्शायीं। शीर्ष '2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण' के अंतर्गत राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 80.72 प्रतिशत की कमी आई जबकि शीर्ष '2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता' के अंतर्गत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 33.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए लचीलापन कम रहता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों को तालिका 2.19 में दर्शाया गया है:


तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन एवं मजदूरी	7,515.26	9,089.60	10,324.66	11,070.04	11810.19
पेंशन पर व्यय*	5.43	3.84	3.31	3.56	2.67
ब्याज भुगतान	2,882.52	2,870.67	2,867.11	2,751.87	2873.83
कुल	10,403.21	11,964.11	13,195.08	13,825.47	14686.69
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	21.88	23.51	23.95	23.49	28.21
पेंशन पर व्यय	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	8.39	7.42	6.65	5.84	6.86
कुल	30.29	30.94	30.61	29.34	35.08
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	25.65	26.93	28.02	27.93	29.22
पेंशन पर व्यय	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	9.84	8.50	7.78	6.94	7.11
कुल	35.51	35.44	35.81	34.88	36.34

* भा.स. द्वारा दिल्ली में केवल पूर्व विधायकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन, रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्मिकों की पेंशन देयता वहन की जाती है।

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के अंश चार्ट 2.15 में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 2.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के घटक के अंश



2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् हुई है, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र हैं। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान देना होता है, हालांकि 1 अप्रैल 2019 से नियोक्ता का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। समस्त राशि नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक द्वारा निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2020-21 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों के अंशदान के ₹ 313.83 करोड़ तथा नियोक्ताओं के अंशदान के ₹ 436.25 करोड़ के प्रति कुल ₹ 750.08 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में जमा कराये गये थे। इस प्रकार, एन.पी.एस. के अंतर्गत 2020-21 के दौरान कर्मियों के साथ-साथ नियोक्ताओं के प्रति कोई बकाया नहीं था।

2.4.2.4 सब्सिडी

रा.रा.क्षे.दि.स. शिक्षा अधिकार अधिनियम इत्यादि के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली जल बोर्ड तथा डिस्कॉमस के उपभोक्ताओं को डी.टी.सी./कलस्टर बसों द्वारा महिला बस यात्रियों के लिए सब्सिडी देती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडी पर व्यय को तालिका 2.20 में दिखाया गया है। सब्सिडी पर व्यय 2016-17 में ₹ 2,160 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 4,177 करोड़ (93.38 प्रतिशत) हो गया। 2020-21 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 16.25 प्रतिशत तक बढ़ गया।

तालिका 2.20: 2016-17 से 2020-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी	2,160	2,497	2,533	3,593	4,177
राजस्व प्राप्तियाँ	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864
राजस्व व्यय	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी (प्रतिशतता में)	6.29	6.46	5.88	7.62	9.98
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	7.37	7.40	6.87	9.06	10.34

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी 2019-20 में 7.62 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 9.98 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी 2019-20 में 9.06 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 10.34 प्रतिशत हो गई। 2016-17 से 2020-21 के दौरान डिस्कॉम्स के माध्यम से उपभोक्ताओं और डीटीसी/क्लस्टर बसों के माध्यम से महिला बस यात्रियों को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई सब्सिडी तालिका 2.21 में दी गई है।

तालिका 2.21: 2016-17 से 2020-21 के दौरान ऊर्जा और मुक्त बस यात्रा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की प्रवृत्ति

वर्ष	ऊर्जा सब्सिडी (₹ करोड़ में)	मुक्त बस यात्रा (₹ करोड़ में)
2016-17	1577.94	लागू नहीं
2017-18	1676.70	लागू नहीं
2018-19	1699.71	लागू नहीं
2019-20	2405.59	44.52
2020-21	2939.99	114.86

डिस्कॉम्स उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ऊर्जा सब्सिडी 2016-17 में ₹ 1,577.94 करोड़ से 86.32 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,939.99 करोड़ हो गई। 2019-20 की तुलना में सब्सिडी ₹ 2,405.59 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,939.99 करोड़ (22.21 प्रतिशत) हो गई।

2.4.2.5 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता


रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विवरण तालिका 2.22 में दर्शाए गए हैं तथा वित्तीय सहायता में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)					
संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं	6,057.07	6,241.68	6,337.30	6,221.62	7,253.15
कुल (क)	6,057.07	6,241.68	6,337.30	6,221.62	7,253.15
(ख) अन्य					
दिल्ली छावनी बोर्ड	25.16	26.27	23.08	14.52	18.68
दिल्ली जल बोर्ड	1,384.65	1,930.00	2,315.98	2,855.46	4,319.00
दिल्ली परिवहन निगम	1,550.00	2,007.00	1,825.00	2,030.00	2,475.00
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	307.00	255.53	506.70	378.89	833.26
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, तकनीकी शिक्षा संस्थान आदि)	3,138.88	2,962.37	4,079.16	4,732.48	3,500.95
कुल (ख)	6,405.69	7,181.17	8,749.92	10,011.35	11,146.89
कुल (क+ख)	12,462.76	13,422.85	15,087.22	16,232.97	18,400.04
राजस्व व्यय	29,302.00	33,754.00	36,852.00	39,637.00	40,414
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	42.53	39.77	40.94	40.95	45.53

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

चार्ट 2.16 वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां




स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2019-20 में ₹ 16,232.97 करोड़ से 13.35 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 18,400.04 करोड़ हो गई। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता 2019-20 में 40.95 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 45.53 प्रतिशत हो गई।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू.व्यय) मुख्य रूप से अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर व्यय है। पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां चार्ट 2.17 में प्रस्तुत की गई हैं।

चार्ट 2.17: रा.रा.क्षे. दिल्ली में पूँजीगत व्यय



चार्ट से यह देखा जा सकता है कि पूँजीगत व्यय में ₹ 3,243 करोड़ और ₹ 5,472 करोड़ के बीच अंतर वर्ष के मध्य में उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय में अंतर वर्ष के मध्य में उतार-चढ़ावों को दर्शाता है। जो 2016-21 की अवधि के दौरान 7.68 प्रतिशत से 11.31 प्रतिशत के बीच था। पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में कम हो कर ₹ 5,472 करोड़ से ₹ 4,699 करोड़ (14.13 प्रतिशत) हो गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

पूँजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों में परिवर्तन तालिका 2.23 में दर्शाए गये हैं।

तालिका 2.23: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान लेखा के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूँजीगत व्यय

लेखा के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ कमी (-)
5054-सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	771.92	934.23	(+)21.03%
5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	282.89	654.85	(+)131.49%
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.09	1.29	(+)1333.33%
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	116.20	102.98	(-)11.38%
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	192.62	211.59	(+)9.85%
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	357.37	536.83	(+)50.22%
4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2.69	5.73	(+)113.01%
4202- शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1298.99	973.15	(-)25.08%
4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	1823.10	1121.53	(-) 38.48%

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय (मु.शीर्ष 5055) में पिछले वर्ष की तुलना में 131.49 प्रतिशत (₹ 371.96 करोड़) की वृद्धि हुई। मौजूदा अस्पतालों की री-मॉडलिंग (₹ 179.77 करोड़), अस्तपताल के लिए भवन निर्माण (₹ 150.59 करोड़) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र (₹ 35.89 करोड़) के कारण चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय में 50.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में शीर्ष '5054-सड़कों और पुलों पर पूँजीगत व्यय' के तहत पूँजीगत व्यय में

21.03 प्रतिशत (₹162.31 करोड़) की वृद्धि हुई। शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 38.48 प्रतिशत घट गया। उसी प्रकार शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय पिछले वर्ष की तुलना में 25.08 प्रतिशत कम हो गया।

2.4.3.2 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2021 तक सरकार ने सरकारी कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 19,911 करोड़ का निवेश किया था। 2020-21 में निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 500 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2020-21 में निवेश पर प्रतिफल 0.05 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2020-21 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.04 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। इसका विवरण तालिका 2.24 में दिया गया है:

तालिका 2.24: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)					
निवेश/प्रतिफल/उधारियों की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	18,933	19,173	19,261	19,411	19,911
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	11.28	15.91	14.31	15.84	9.80
प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.06	0.08	0.07	0.08	0.05
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.65	8.58	8.64	8.14	7.04
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.59	8.50	8.57	8.06	6.99
सरकारी उधारियों के ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में)#	1,626	1,630	1,651	1,565	1,392

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

#वर्ष के अंत तक निवेश

सरकारी निवेश 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि में 5.17 प्रतिशत तक बढ़ गया। रा.रा.क्षे. दि.स. ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.04 प्रतिशत से 8.65 प्रतिशत के बीच की दर पर ब्याज का भुगतान किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.05 प्रतिशत तथा 0.08 प्रतिशत (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच की श्रेणी में थी। पाँच वर्ष के दौरान वितरित और वसूले गए ऋण तालिका 2.25 में दिए गए हैं।

तालिका 2.25: पाँच वर्षों के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)					
वितरित एवं वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	59,915	62,255	63,812	64,570	67,014
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	213	691	1,644	823	631
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	62,255	63,812	64,570	67,014	70,473
निवल योग	2,340	1,557	758	2,443	3,459

वितरित एवं वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्राप्त ब्याज	82	396	113	404	468
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.13	0.62	0.18	0.60	0.66
सरकार की बकाया उधारियों पर प्रदत्त ब्याज दर (प्रतिशत)	8.64	8.55	8.74	7.92	6.13
प्राप्त ब्याज दर और प्रदत्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.51	7.93	8.56	7.32	5.47

2.4.3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.), रा.रा.क्षे.दि.स. के इक्विटी तथा बकाया ऋण का वित्त लेखों में आंकड़ों के साथ मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी तथा बकाया ऋणों से संबंधित आंकड़ों को रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखों में दर्शाये गए आंकड़ों के साथ मेल खाना चाहिए। यदि किसी मामले में आंकड़े मेल नहीं खाते, तो संबंधित सा.क्षे.उ. तथा वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राज्य सा.क्षे.उ. के इक्विटी तथा ऋण बकाया के आंकड़ों में अंतर है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखा, 2020-21 में उन्हें दर्शाया गया है जैसा कि तालिका 2.26 में दिखाया गया है।

तालिका 2.26: वित्त लेखों के अनुसार इक्विटी तथा ऋण बकाया की तुलना में राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेख

विवरण	इक्विटी तथा ऋण बकाया		अंतर
	(₹ करोड़ में)		
	वित्त लेखों के अनुसार	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार	
कुल इक्विटी	9297.90	9202.48	95.42
कुल ऋण	15820.20	15185.76	4.44

स्रोत: राज्य सा.क्षे.उ. तथा वित्त लेखों के अभिलेख, रा.रा.क्षे.दि.स.

डी.टी.आई.डी.सी. से संबंधित इक्विटी में आंकड़ों के बीच (₹ 95.42 करोड़) का अंतर है जबकि डी.एस.एफ.डी.सी. (₹ 1.58 करोड़) डी.एस.सी.एस.सी. (₹ 2.22 करोड़) डी.टी.टी.डी.सी. (₹ 3.15 करोड़) तथा पी.पी.सी.एल. (₹ -2.51 करोड़) से संबंधित ऋणों के आंकड़ों में अंतर है।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार तथा सा.क्षे.उ. इन अंतरों का समय बाधित ढंग से मिलान करे।


2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2016-17 और 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वित्तीय प्राथमिकता को तालिका 2.27 और चार्ट 2.18 दर्शाता है।

तालिका 2.27: 2016-17 तथा 2020-21 में रा.रा.क्षे.दि.स. की वित्तीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा वित्तीय प्राथमिकता	कु.व्य./स.रा.घ.उ.	पू.व्य./कु.व्य.	शिक्षा/कु.व्य.	स्वास्थ्य/कु.व्य.
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2016-17	5.78	9.56	25.33	11.32
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2020-21	6.16	9.05	21.66	13.00

कु.व्य.: कुल व्यय, पू.व्य: पूँजीगत व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर)



स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2016-17 में 5.78 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 6.16 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान कुल व्यय में स्वास्थ्य पर व्यय के हिस्से में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। हालांकि उसी अवधि में कुल व्यय सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में पूँजीगत व्यय का अंश 9.56 प्रतिशत से घटकर 9.05 प्रतिशत हो गया तथा शिक्षा पर व्यय का अंश 25.33 प्रतिशत से घटकर 21.66 प्रतिशत हो गया।

2.5 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सभी आवश्यक ऋण भारत की संचित निधि से दिये गये हैं। भा.स. से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियाँ शामिल है।

2.5.1 ऋण रूपरेखा: घटक

तालिका 2.28 विगत पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋणों की रूपरेखा का एक समय श्रृंखला का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.28: भा.स. से ऋणों की रूपरेखा एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
2016-17	33,303.87	1,695.53	1,654.62	33,344.78	40.91	0.12
2017-18	33,344.78	1,906.34	1,682.43	33,568.69	223.91	0.67
2018-19	33,568.69	2,880.00	3,636.35	32,812.34	(-)756.35	(-)2.25
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96
2020-21	34,766.84	15,365.00	3,265.17	46,866.67	12,099.83	34.80

2020-21 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 41,002 करोड़ (₹ 46,867 करोड़ - ₹ 5,865 करोड़) था क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सरकार का कर्ज ₹ 7,657 करोड़ (22.96 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 के अंत में ₹ 33,345 करोड़ से 2020-21 के अंत में ₹ 41,002 करोड़ हो गया।

2.6 ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण के आकार के अतिरिक्त, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। ऋण धारणीयता भविष्य में अपने ऋण को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को दर्शाता है। यह खंड विकास दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण भुगतान एवं ऋण प्राप्तियों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उपलब्ध शुद्ध ऋण के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। तालिका 2.29 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्ष की अवधि का इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.29: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ

ऋण धारणीयता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल बकाया ऋण* (₹ करोड़ में)	33,345	33,569	32,812	34,767	46,867**
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.12	0.67	-2.25	5.96	34.80
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	6,16,085	6,77,900	7,50,962	8,30,872	7,98,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.85	10.03	10.78	10.64	-3.92
कुल ऋण/ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	5.41	4.95	4.37	4.18	5.14**
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,883	2,871	2,867	2,752	2,874
बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.65	8.58	8.64	8.14	7.04
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864
राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	8.39	7.42	6.65	5.84	6.87
ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265
ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365
ऋण प्राप्तियों में ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	97.59	88.25	126.25	58.99	21.25

ऋण धारणीयता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
रा.रा.क्षे. दिल्ली*** का उपलब्ध निवल ऋण	(-)2,842	(-)2,647	(-)3,623	(-)798	9,226
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	-	-	-	-	60.05


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

'बकाया सार्वजनिक ऋण शीर्ष '6003- आंतरिक ऋण' एवं '6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत बकाया शेष का योग है।

** वर्ष 2020-21 के दौरान भा.स. से व.से.क. मुआवजा कमी के बदले प्राप्त किया गया ₹ 5,865 करोड़ का निरंतर ऋण भी शामिल है। इस ऋण का ऋण भुगतान व.से.क. मुआवजा निधि में सैस के संग्रहण से किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार, पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से नहीं लिया जाना चाहिए। इस निरंतर ऋण को छोड़ने के बाद वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर राज्य का प्रभावी ऋण ₹ 41,002 करोड़ था तथा स.रा.घ.उ. अनुपात 5.14 प्रतिशत होना चाहिए।

***रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान एवं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान के उपर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

चार्ट 2.19: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां



सार्वजनिक ऋण में पूर्व वर्ष की तुलना में 2020-21 में 34.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (₹ 3,265 करोड़) सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹ 15,365 करोड़) से कम था।

2.7 निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक संकेतकों और उन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता का एक आशुचित्र तालिका 2.30 में दिया गया है।

तालिका 2.30: मुख्य मापदंड

सकारात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी रखने वाले मापदंड
भारत सरकार से सहायता अनुदान 20.96 प्रतिशत तक बढ़ गया	रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ 11.18 प्रतिशत तक कम हो गईं
सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 16.15 प्रतिशत तक बढ़ गया	पूँजीगत व्यय 14.13 प्रतिशत तक कम हो गया
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 23.33 प्रतिशत तक कम हो गईं
	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ 99.37 प्रतिशत तक बढ़ गईं।

अध्याय - 3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन


3.1 बजटीय प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमानित प्राप्त एवं व्यय का विवरण प्रत्येक वर्ष विधानमंडल में रखेगा।

व्यय का अनुमान व्यय के प्रभारित एवं दत्तमत मदों को अलग-अलग दिखाता है तथा राजस्व खातों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा कोई व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बजट की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त में, बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, यह विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमानों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गई है:


चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट



सीएसएस: केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ; सीएस: केन्द्रीय योजनाएँ

विनियोग लेखे बजट निर्माण एवं कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया के साथ आँकड़े अधिकृत करता है (चार्ट 3.2)।

चार्ट 3.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की एक संक्षिप्त स्थिति इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन के साथ तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	45,499.47	3,447.09	37,646.07	3,188.28	7,853.40	258.81
पूँजी	9,328.19	1.04	4,705.81	0.04	4,622.38	1.00
लोक ऋण	0.00	3,511.10	0.00	3,265.17	0.00	245.93
ऋण एवं अग्रिम	4,104.98	0.00	4,090.39	0.00	14.59	0.00
कुल	58,932.64	6,959.23	46,442.27	6,453.49	12,490.37	505.74

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए प्रभारित तथा दत्तमत में विभाजित कुल संवितरण का ब्यौरा तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2016-17 से 2020-21 के दौरान संवितरण तथा बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत (प्रतिशतता में)	प्रभारित (प्रतिशतता में)
2016-17	41,753.68	5,675.59	32,884.90	4,735.87	8,868.78 (21.24)	939.72 (16.56)
2017-18	44,159.42	5,042.66	36,369.86	4,789.56	7,789.57 (17.64)	253.09 (5.02)
2018-19	51,230.42	6,946.72	39,460.58	6,793.98	11,679.85 (22.8)	152.73 (2.2)
2019-20	57,305.74	6,874.94	45,632.91	5,877.12	11,672.83 (20.37)	997.82 (14.51)
2020-21	58,932.64	6,959.23	46,442.27	6453.49	12,490.37 (21.19)	505.74 (7.27)

तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट के 'दत्तमत' हिस्से के तहत बचत 17.64 से 22.80 प्रतिशत के बीच रही जबकि उसी अवधि में बजट के 'प्रभारित' हिस्से के तहत बचत 2.2 से 16.56 प्रतिशत के बीच थी।


3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत और प्रभारित अनुदान की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पित राशियां तथा पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजी एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं, जो कि विनियोग अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में अधिकृत है। इस प्रकार विनियोग लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे का अनुपूरक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किए गए व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के भीतर है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2020-21 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखे के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।


विनियोग लेखे की समीक्षा से पता चला कि कुल ₹ 12,996.11 करोड़ (₹ 65,891.87 करोड़ के कुल बजट का 19.72 प्रतिशत) की बचत थी तथा ₹ 6,891.87 करोड़ (53.03 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित की गई। बचत को समय पर अभ्यर्पण नहीं करने के कारण कुल बचत का 46.97 प्रतिशत व्यपगत हो गया तथा ₹ 6,104.24 करोड़ 31 मार्च को अभ्यर्पित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पित चार्ट 3.3 में दिए गए हैं:

चार्ट 3.3: वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पित राशियां



2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल बजट के उपयोग को चार्ट 3.4 में दिया गया है।

चार्ट 3.4: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट उपयोग



3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक माँग का उपयोग केवल असाधारण और आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना

होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता में पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि सात मामलों में ₹ 604.36 करोड़, जैसा कि तालिका 3.3 में वर्णित है, के अनुपूरक अनुदान उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य निष्फल हो गया।

**तालिका 3.3: उन मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान
(₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुआ**

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक प्रावधान	व्यय	प्रावधान में से बचत
	राजस्व (दत्तमत)					
1	अनुदान सं.3 न्याय का प्रशासन	1,129.53	62.78	1,192.31	1028.58	163.73
2	अनुदान सं.5 गृह	806.77	25.27	832.04	615.27	216.77
3	अनुदान सं.7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6,345.62	101.4	6,447.02	5611.13	835.89
4	अनुदान सं.10 विकास	3,062.08	280.52	3,342.60	2556.41	786.19
5	अनुदान सं.11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	9,700.44	87.93	9,788.37	9227.70	560.67
	कुल	21,044.44	557.9	21,602.34	19039.09	2563.25
	राजस्व (प्रभारित)					
6	अनुदान सं.3 न्याय का प्रशासन	307.21	30.78	337.99	300.14	37.85
	कुल	307.21	30.78	337.99	300.14	37.85
	पूँजीगत (दत्तमत)					
7	अनुदान सं.7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य ¹	266.94	15.68	282.62	115.75	166.87
	कुल	266.94	15.68	282.62	115.75	166.87
	कुल योग	21,618.59	604.36	22,222.95	19454.98	2767.97

3.3.2 अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई से अनुदान के भीतर निधियों का हस्तांतरण है, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।

वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि आठ अनुदानों में फैले 16 उप-शीर्षों के तहत, ₹ 15 करोड़ से अधिक की अंतिम बचत थी जैसा कि तालिका 3.4 में वर्णित है। पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से

¹ पुनर्विनियोग आदेश के अनुसार अनुदान से पूँजीगत अनुभाग के राजस्व अनुभाग में ₹ 15.20 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गए जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तथा इसे प्रतिवेदन में अलग से निर्दिष्ट किया गया है।

उपयोग करने में सक्षम नहीं थे तथा ₹ 401.57 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रति ₹ 940.02 करोड़ का संचयी गैर-उपयोग (बचत) हुआ।

तालिका 3.4: निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहाँ अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	पुनर्विनियोग के कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
राजस्व-दत्तमत									
1	03-न्याय	2014.00.105.99 सेशन कोर्ट्स	813.93	1.30	5.02	820.25	754.64	65.61	अधिक स्टाफ की तैनाती और वेतन दर में वृद्धि तथा अधिक खरीद
2	का प्रशासन	2235.01.800.92 अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजा	50.00	14.84	5.16	70.00	53.70	16.30	अधिक अनुदान निर्गत
3	04-वित्त	2043.00.101.98 वसूली प्रभार	56.31	0.00	0.68	56.99	41.74	15.25	रिक्त पदों की भर्ती
4	05-गृह	2056.00.001.99 जेल स्थापना	368.81	25.23	54.99	449.03	281.68	167.35	रिक्त पदों की भर्ती, वेतन के दरों का संशोधन, खादय तथा गैर-खादय मदों की लागत की वृद्धि, तिहाड़/रोहिणी/मंडोली जेल परिसरों में सैन्य बलों की तैनाती के दावा किए गए बिलों के बकायों की प्राप्ति तथा अधिक खरीद
5	06-शिक्षा	2203.00.105.86 निर्देशन एवं प्रशासन	175.48	0.01	6.52	182.01	156.33	25.68	रिक्त पदों को भर्ती, एलटीसी का प्रावधान, एमएसीपी/ एसीपी का बकाया, अधिक बिलों की प्राप्ति, बिजली, पानी, टेलीफोन और सुरक्षा एवं स्वच्छता के लंबित बिल के टैरिफ में वृद्धि और छात्रावृत्ति एवं वृत्तिका के वितरण के लिए संस्थानों से अधिक मांग
6	07-	2210.01.800.84 केंद्रीकृत दुर्घटना एवं ट्रॉमा सेवा के लिए सहायता अनुदान	95.00	0.01	29.99	125.00	74.25	50.75	अधिक अनुदान जारी करना।
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.110.86 लोक नायक अस्पताल	511.13	0.01	39.99	551.13	509.04	42.09	न्यूनतम वेतन में वृद्धि, अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, कोविड-19 महामारी के कारण उपभोज्य वस्तुएं और दवाओं की मांग में अचानक वृद्धि

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	पुनर्विनियोग के कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
8		2210.01.110.72.700 बुरारी में विस्तर वाला अस्पताल	0.00	10.08	10.71	20.79	2.89	17.90	नए अस्पताल के लिए किया गया प्रावधान
9	09-उद्योग	3456.00.102.87 मुख्य मंत्री घर-घर राशन योजना	0.00	56.47	43.53	100.00	0.00	100.00	जनवरी 2021 से लागू होने वाली नई योजना
10		2053.00.093.95 सचिव राजस्व	43.81	0.01	3.48	47.30	28.77	18.53	पीटी सैन भंडार की खरीद
11	10-विकास	2235.60.200.62 रक्षा/दिल्ली पुलिस/अर्द्ध सैनिक/होमगार्ड एवं जंगी कार्रवाई/युद्ध में मारे जाने वाले नागरिक सुरक्षा कार्मियों को अनुग्रह राशि का भुगतान	35.00	0.01	29.99	65.00	16.00	49.00	अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए अधिक प्रस्ताव की प्राप्ति
12		2245.05.101.99 दिल्ली आपदा अनुक्रिया कोष (केंद्र का अंश)	0.00	161.50	4.99	166.49	5.00	161.49	दिल्ली आपदा अनुक्रिया कोष बनाने के लिए भा.स. से कोष की प्राप्ति
13		2406.01.102.95 प्रशासन प्रबंधन एवं कार्मिक का प्रशिक्षण	6.19	0.01	46.06	52.26	5.50	46.76	रिक्त पदों को भरना, अधिक बिलों की प्राप्ति, प्रशिक्षण शुरू करना, वाहन किराए पर लेना आदि।
कुल			2,155.66	269.48	281.11	2,706.25	1,929.54	776.71	
पूँजीगत-दत्तमत									
14	07 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.110.96 जी.बी. पंत अस्पताल	10.50	0.02	66.48	77.00	9.12	67.88	अधिक मोटर वाहन/मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद
15	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	4801.05.800.91 भूमि का क्रय	15.00	0.01	49.99	65.00	5.84	59.16	अधिक भूमि की खरीद हेतु भुगतान
कुल			25.50	0.03	116.47	142.00	14.96	127.04	
राजस्व-प्रभारित									
16	03-न्याय का प्रशासन	2014.00.102.97 निर्देशन एवं प्रशासन	303.00	26.83	3.99	333.82	297.55	36.27	बिलों की प्राप्ति एवं अधिक खरीद
कुल			303.00	26.83	3.99	333.82	297.55	36.27	
कुल योग			2,484.16	296.34	401.57	3,182.07	2,242.05	940.02	

यह भी देखा जा सकता है कि अधिक निधियों की माँग के लिए उद्धृत कारण सामान्य प्रकृति के थे। निधियों का उपरोक्त अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग त्रुटिपूर्ण बजट अभ्यास का सूचक था।

3.3.3 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 62(2) के अनुसार, बचतों के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अन्त तक प्रतीक्षा किए बिना पूर्वानुमानित होने पर अविलम्ब अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित करके नहीं रखी जानी चाहिए। कुल ₹ 12,996.11 करोड़ की बचत हुई जो कुल बजट ₹ 65,891.87 करोड़ का 19.72 प्रतिशत था। इसमें से आठ मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत हुई (तालिका 3.5)। ₹ 53,737.57 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 43,176.68 करोड़ था तथा बचत ₹ 10,560.89 करोड़ थी।


तालिका 3.5: वर्ष 2020-21 के दौरान बड़ी बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक) वाली अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)								
क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व-दत्तमत								
1	अनुदान सं. 6 शिक्षा	13,349.38	0.38	13,349.76	9,823.16	3,526.60	2,187.75	1,338.85
2	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6,330.42	116.60	6,447.02	5,611.14	835.88	0.05	835.83
3	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	8,458.12	0.33	8,458.45	7,431.57	1,026.88	261.71	765.18
4	अनुदान सं. 10 विकास	3,062.08	280.52	3,342.60	2,556.41	786.19	0.57	785.62
5	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	9,700.44	87.93	9,788.37	9,227.70	560.67	0.67	560.00
कुल		40,900.44	485.76	41,386.2	34,649.98	6,736.22	2,450.75	4,285.48
पूजीगत-दत्तमत								
6	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	1,650.86	0.01	1,650.87	907.28	743.59	711.48	32.11
7	अनुदान सं. 10 विकास	1,015.93	0.00	1,015.93	187.90	828.03	774.01	54.02
8	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	9,684.34	0.23	9,684.57	7,431.52	2,253.05	1,866.96	386.09
कुल		12,351.13	0.24	12,351.37	8,526.7	3,824.67	3,352.45	472.22
कुल योग		53,251.57	486.00	53,737.57	43,176.68	10,560.89	5,803.20	4,757.70

इसके अलावा, तालिका 3.5 से यह देखा जा सकता है कि मूल बजट प्रावधान में से ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत के बावजूद, पूरक प्रावधान प्राप्त किए गए (क्रम संख्या 7 को छोड़कर)।

बचत की प्रतिशतता (चार्ट 3.5) द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों (तालिका 3.5) की संख्या के वितरण से पता चलता है कि तीन अनुदानों में बचत कुल प्रावधान राशि ₹ 6,565.84 करोड़ का 21 से 40 प्रतिशत थी। हालांकि, एक अनुदान (पूँजीगत दत्तमत खंड का अनुदान सं. 10 - विकास) में ₹ 828.03 करोड़ (81.50 प्रतिशत) की बचत थी।

चार्ट 3.5: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या



आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि 9 अनुदानों में ₹ 10,197.33 करोड़ की कुल बचत थी, जिसमें से ₹ 6,881.68 करोड़ (₹ 10 करोड़ से अधिक) की राशि मार्च के अंत में अभ्यर्पित कर दी गई जैसा कि तालिका 3.6 में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.6: मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)							
क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित
राजस्व-दत्तमत							
1	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन	918.98	0.04	919.02	447.21	471.81	45.40
2	अनुदान सं. 4 वित्त	315.58	0.06	315.64	228.64	87.00	22.93
3	अनुदान सं. 6 शिक्षा	13349.38	0.38	13349.76	9823.16	3526.60	2187.75
4	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	8458.12	0.33	8458.45	7431.57	1026.88	261.71
कुल		23042.06	0.81	23042.87	17930.58	5112.29	2517.79

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित
राजस्व-प्रभारित							
5	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	27.05	0.04	27.09	0.25	26.84	18.89
6	अनुदान सं. 15 लोक विभाग	3061.88	0.00	3061.88	2873.83	188.05	188.04
कुल		3088.93	0.04	3088.97	2874.08	214.89	206.93
पूँजीगत-दत्तमत							
7	अनुदान सं. 4 वित्त	4.00	262.01	266.01	5.67	260.34	256.51
8	अनुदान सं. 5 गृह	115.30	0.00	115.30	10.83	104.47	90.32
9	अनुदान सं. 6 शिक्षा	388.14	0.01	388.15	120.27	267.88	174.30
10	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	282.14	0.48	282.62	115.76	166.86	37.45
11	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	1650.86	0.01	1650.87	907.28	743.59	711.48
12	अनुदान सं. 10 विकास	1015.93	0.00	1015.93	187.90	828.03	774.01
13	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	9684.34	0.23	9684.57	7431.52	2253.05	1866.96
कुल		13140.71	262.74	13403.45	8779.23	4624.22	3911.03
पूँजीगत-प्रभारित							
14	अनुदान सं. 15 लोक विभाग	3511.10	0.00	3511.10	3265.17	245.93	245.93
कुल		3511.10	0.00	3511.10	3265.17	245.93	245.93
कुल योग		42782.80	263.59	43046.39	32849.06	10197.33	6881.68

जिन अनुदानों में बजट का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ, उन्हें तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: मूल अनुदानों/विनियोगों (₹ 200 करोड़ से अधिक) जिसमें बजट उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम थी

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	बजट उपयोगिता की प्रतिशतता					वर्षों की संख्या	बजट 2020-21	पांच वर्षों के लिए कुल बजट
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21			
1.	2-सामान्य प्रशासन विभाग	54.70	67.51	38.85	74.74	49.21	2	935.10	3233.12
2.	4-वित्त	70.81	39.81	24.00	53.19	40.28	3	581.75	4194.11

यह देखा जा सकता है कि दो अनुदान (2-सामान्य प्रशासन विभाग और 4-वित्त) थे, जिसमें पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2016-17 से 2020-21 के दौरान दो से तीन वर्ष की बजट उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम था।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

वित्तीय नियम/बजट नियमावली उन मामलों को छोड़कर अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान को प्रतिबंधित करती है, जहाँ आकस्मिक स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय प्रदान किए जाते हैं जिसे वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने चार अनुदानों के अंतर्गत कुल एकमुश्त बजटीय प्रावधान ₹ 213.06 करोड़ में से ₹ 186.85 करोड़ व्यय किए। व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता को भंग करता है। आगे, प्रत्यायोजन वित्तीय शक्ति नियम 1978 के नियम 3 के उप नियम 6 के अनुसार ₹ 10 लाख से कम लागत वाले कार्यों को छोड़कर आम तौर पर बजट में कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि चार अनुदानों के अधीन 18 मामलों में जैसा कि तालिका 3.8 में विस्तृत किया गया है, धनराशि ₹ 10 लाख की निर्धारित सीमा को पार कर गई थी। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया कि अनुदान संख्या 10 और अनुदान संख्या 11 के उपशीर्षों के तहत समरूप एक मुश्त प्रावधान पिछले वर्ष भी किए गए थे।

तालिका 3.8: वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	कथित उद्देश्य
1.	3-न्याय का प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	2014.00.105.97.00.42	1.20	0.02	जिला तथा सेशन अदालतों का कम्प्यूटरीकरण
2.	7-जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (राजस्व-दत्तमत)	2210.06.800.70.00.42	10.00	1.05	अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत
3.	10-विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	5425.00.208.84.00.42	0.15	0.00	हॉर्टिकल्चर वर्क्स
4.	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूँजीगत-दत्तमत)	4055.00.212.90.00.42	1.00	0.68	दिल्ली फॉरेंसिक साइन्स लेबोरेटरी
5.		4059.60.051.80.90.42	67.23	67.22	न्यायपालिका के लिए द्वांचागत सुविधाएं
6.		4070.00.800.89.00.42	15.00	13.43	केन्द्रीय कारावास भवन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	कथित उद्देश्य
7.		4202.01.800.97.00.42	8.00	6.75	मौजूदा भवन का नवीनीकरण कार्य
8.		4202.02.105.87.00.42	0.70	0.39	गवर्मेन्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, जाफरपुर
9.		4202.02.105.85.00.42	0.75	0.58	गीता कॉलोनी में इंजीनियरिंग कॉलेज
10.		4202.02.105.88.00.42	1.50	1.17	जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज
11.		4202.03.800.89.00.42	49.58	43.44	खेल के मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वीमिंग पूल आदि का विकास
12.		4202.04.101.99.00.42	1.45	1.20	आर्ट कॉलेज
13.		4202.04.104.96.00.42	4.50	1.72	आर्चिण विभाग
14.		4210.03.102.98.00.42	2.50	1.01	होम्योपैथिक की स्वास्थ्य देखभाल सेवा का विकास
15.		4235.02.101.87.00.42	1.00	0.76	मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए आश्रय का विकास
16.		4235.02.104.94.00.42	4.00	3.46	वृद्धाश्रम
17.		4235.02.800.90.00.42	2.50	2.07	मौजूदा भवन (लो.नि.वि.) में अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान
18.		5054.04.800.99.00.42	42.00	41.90	सड़क तथा पुलों का निर्माण
कुल योग			213.06	186.85	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.5 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर आन्तरिक नियंत्रण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आवंटन की ओर ले जाता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ₹ 65,891.87 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 52,895.76 करोड़ का उपयोग कर सके तथा मार्च में ₹ 12,996.11 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 6,104.24 करोड़ (46.97 प्रतिशत) की बचत को अभ्यर्पित कर दिया गया था। विवरण तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-)	मार्च के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I. राजस्व	44,655.56	843.91	45,499.47	37,646.07	7,853.40	5,329.41	67.86
	II. पूंजीगत	9,997.80	(-)-669.61	9,328.19	4,705.81	4,622.38	709.34	15.35
	III. ऋण एवं अग्रिम	3,419.63	685.35	4,104.98	4,090.39	14.59	14.59	100.00
कुल दत्तमत		58,072.99	859.65	58,932.64	46,442.27	12,490.37	6,053.34	
प्रभारित	I. राजस्व	3,414.91	32.18	3,447.09	3,188.28	258.81	50.80	19.63
	II. पूंजीगत	1.00	0.04	1.04	0.04	1.00	0.10	10.00
	लोक ऋण	3,511.10	0.00	3,511.10	3,265.17	245.93	0	0
	III. ऋणों एवं अग्रिमों	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित		6,927.01	32.22	6,959.23	6,453.49	505.74	50.90	10.06
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		65,000.00	891.87	65,891.87	52,895.76	12,996.11	6,104.24	46.97

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2020-21 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए ₹ 65,000 करोड़ के मूल बजट को संशोधित करके ₹ 65,891.87 करोड़ कर दिया गया जिसके प्रति वास्तविक व्यय ₹ 52,895.76 करोड़ था। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के विवरणों को तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: 2016-17 से 2020-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	46,600.00	48,000.00	53,000.01	60,000.00	65,000.00
अनुपूरक बजट	829.27	1,202.08	5,177.13	4,180.68	891.87
संशोधित अनुमान	47,429.27	49,202.08	58,177.14	64,180.68	65,891.87
वास्तविक व्यय	37,620.77	41,159.42	46,344.56	51,510.03	52,895.76
बचत/आधिक्य	9,808.50	8,042.66	11,832.58	12,670.65	12,996.11
बचत की प्रतिशतता	20.68	16.35	20.34	19.74	19.72
मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक की प्रतिशतता	1.78	2.50	9.77	6.97	1.37

स्रोत: बजट एक नज़र में तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.10 से यह देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल प्रावधान की तुलना में कुल बचत की प्रतिशतता 16.35 प्रतिशत से 20.68 प्रतिशत के बीच थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व व्यय (वास्तविक) में वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लेखाशीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमान के आंकड़े तालिका 3.11 में दिये गए हैं।

तालिका 3.11: रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान तथा राजस्व व्यय (वास्तविक) की तुलना

व्यय शीर्ष (लेखाओं के मुख्य शीर्ष)	ब.अ. (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान तथा वास्तविक अनुमान में अंतर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राजकोषीय सेवायें				
राज्य उत्पाद	51.24	24.77	(-)26.47	(-)51.66
वाहनों पर कर	288.26	174.90	(-)113.36	(-)39.33
जी.एस.टी. के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	135.42	69.19	(-)66.23	(-)48.91
प्रसासनिक सेवायें				
जेल	530.21	293.30	(-)236.91	(-)44.68
लोक निर्माण	512.93	690.00	(+)177.07	(+)34.52
सामाजिक सेवायें				
सामान्य शिक्षा	12,948.56	9,265.00	(-)3,683.56	(-)28.45
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8,474.29	5,790.40	(-)2,683.89	(-)31.67
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,630.50	1,891.57	(+)261.07	(+)16.01
शहरी विकास	1,034.69	830.29	(-)204.40	(-)19.75
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,685.36	3,011.25	(-)674.11	(-)18.29
आर्थिक सेवायें				
नागरिक आपूर्ति	449.28	513.31	(+)64.03	(+)14.25
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	281.34	210.54	(-)70.80	(-)25.17
ऊर्जा	3,117.41	2,956.34	(-)161.07	(-)5.17
सड़कें तथा पुल	536.80	449.50	(-)87.30	(-)16.26
सड़क परिवहन	4,744.25	4,095.86	(-)648.39	(-)13.67

तालिका 3.11, देखा जा सकता है कि 'सामान्य शिक्षा', चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी में कमी (25 प्रतिशत से अधिक) थी।

3.5.2 बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

योजना के दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न करने आदि के कारण सरकार द्वारा की गई अनेक नीतिगत पहल अंशतः अथवा पूर्णतः निष्पादित नहीं हुई थीं। यह लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अन्तर्गत 88 उप-शीर्षों में, ₹ 864.82 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान

विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया (परिशिष्ट-3.1)।

सम्पूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य का द्योतक थीं कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जाँच के बाद आकलन तैयार नहीं किए गए थे। योजनाएँ जो सम्पूर्ण प्रावधान के गैर-उपयोग होने के कारण शुरू नहीं हुईं वे थीं दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित नगर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस सर्विस सोसायटी को स.अ. (निर्भया कोष) (सीएसएस) (₹ 284.50 करोड़), आउटरीच कार्यक्रम के लिए दिल्ली मॉडल ऑफ गर्वनेस को (₹ 21.00 करोड़), अ.जा. छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस) हेतु (₹ 10.00 करोड़), मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना हेतु (₹ 78.00 करोड़), मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (₹ 100.00 करोड़), तथा विभिन्न नम स्थलों पर डंप किए गए पुराने कचरे का निपटान हेतु स.अ. (₹ 50.00 करोड़) दी गई।

आगे, यह देखा गया कि सात अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) के 46 उप-शीर्षों में मूल बजट (परिशिष्ट-3.2) में ₹ 1,002.55 करोड़ का प्रावधान था परन्तु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित परिव्यय में धनराशि की पूरी निकासी की गई थी।

3.5.3 व्यय का द्रुतप्रवाह

i) जीएफआर, 2017 का नियम 62(3) उपबंध करता है कि व्यय के द्रुतप्रवाह को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इसे टाला जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय भा.स. के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिमाही और अंतिम महीने अर्थात् वित्तीय वर्ष के मार्च में व्यय को बजट के क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2020-21 के दौरान ₹ 52,468.04² करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 21,019.73 करोड़ (ब.अ. का. 31.90 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि ₹ 11,815 करोड़ (ब.अ. का. 17.93 प्रतिशत) मार्च 2021 के दौरान व्यय किए गए थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ अनुदानों के अंतर्गत 41 उप-शीर्षों में व्यय जो 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, मार्च में किया गया था।

² ₹ 427.72 करोड़ की वसूली को छोड़कर

पिछले तिमाही के दौरान व्यय का द्रुतप्रवाह, मुख्य रूप से मार्च महीने के दौरान, व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देता है।

ii) उप-शीर्ष जहाँ सम्पूर्ण व्यय मार्च 2021 में किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच अनुदानों के अंतर्गत 13 उप-शीर्षों में ₹ 2,621.37 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2021 में किया गया जैसा कि विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है:

तालिका 3.12: मार्च के महीने में किया गया सम्पूर्ण व्यय

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय (₹ करोड़ में)
1	6 - शिक्षा	2202.02.113.95.00.01 समग्र शिक्षा-शिक्षकों की शिक्षा (राज्य का अंश)	17.50
2	7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.76.00.31 भारत के लिए स.अनु. कोविड-19	221.34
3	8 - समाज कल्याण	2225.01.277.71.00.50 पब्लिक स्कूल में अध्यायन शुल्क की प्रतिपूर्ति	11.39
4		3055.00.190.99.00.33 रियायती पासों के लिए दि.प.नि. को सब्सिडी	78.82
5		5055.00.190.78.00.54 दि.प.नि. एवं क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों का संस्थापन (राज्य का अंश)	75.59
6		5055.00.190.80.00.54 एम.आर.टी. प्राधिकरण को शेयर पूंजी	500.00
7		7055.00.190.92.00.55 डीएमआरसी को राज्य करों के प्रति ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	125.00
8		7055.00.190.94.00.55 केंद्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण	125.00
9		10 - विकास	4515.00.103.93.00.53 ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के तहत कार्यों के लिए ग्राम विकास बोर्ड
10	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.82.00.53 आश्रम से डीएनडी तक फ्लाईओवर का विस्तार	12.85
11		6215.01.191.80.00.55 वजीराबाद डब्ल्यूटीपी के लिए दि.ज.बो. को ऋण	15.00
12		6217.60.789.94.00.55 स्वस्थानी पुनर्वास योजना के लिए डीयूएसआईबी को ऋण	500.00
13		7615.00.200.75.00.55 वेज एण्ड मिन्स सपोर्ट के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	900.00
कुल			2,621.37

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

iii) केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ अनुदानों के अंतर्गत 28 उप-शीर्षों में, कुल व्यय का 52.46 प्रतिशत से 99.93 प्रतिशत के बीच ₹ 2,104.89 करोड़ का व्यय मार्च 2021 में किया गया था जैसा कि तालिका 3.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	विवरण (लेखा शीर्ष)	कुल व्यय					मार्च 2021 में कुल व्यय	
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	कुल	राशि	प्रतिशतता
1	2 - सामान्य प्रशासन	2051.00.103.98.00.50	0.00	0.15	0.51	23.71	24.37	20.28	83.22
2	3 - न्याय का प्रशासन	2015.00.106.99.00.13	0.00	0.00	0.60	16.58	17.18	15.34	89.27
3	3 - न्याय का प्रशासन	2235.01.800.92.00.31	0.00	0.00	12.50	41.20	53.70	41.20	76.72
4	3 - न्याय का प्रशासन	4059.01.051.82.00.53	0.00	0.00	0.00	16.01	16.01	16.00	99.93
5	5 - गृह	2056.00.001.99.00.28	0.17	0.19	0.24	51.94	52.54	51.80	98.59
6	6 - शिक्षा	2202.01.113.97.00.31	0.00	12.00	23.38	66.69	102.07	66.69	65.33
7	6 - शिक्षा	2202.01.113.98.00.31	0.00	10.67	16.07	53.14	79.87	53.14	66.53
8	6 - शिक्षा	2202.01.113.98.00.36	0.00	3.30	0.00	28.80	32.10	28.80	89.72
9	7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.110.97.00.52	1.11	2.25	4.20	17.55	25.10	15.92	63.43
10	8 - समाज कल्याण	2235.02.103.33.00.50	0.10	1.01	8.81	70.70	80.61	60.84	75.47
11	8 - समाज कल्याण	2235.02.789.96.00.50	3.52	3.19	4.44	29.43	40.58	26.21	64.60
12	8 - समाज कल्याण	3055.00.190.93.00.33	0.00	27.54	17.20	57.45	102.18	57.45	56.22
13	8 - समाज कल्याण	3055.00.190.94.00.33	0.00	35.59	19.02	60.26	114.86	60.26	52.46
14	10 - विकास	4711.03.800.99.00.53	0.00	0.00	0.00	89.87	89.87	87.71	97.59
15	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2217.04.789.99.00.31	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	12.00	66.67
16	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4059.01.051.75.00.53	0.00	0.00	0.00	21.91	21.91	12.46	56.86
17	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.050.95.00.53	0.00	0.00	297.15	693.11	990.26	691.06	69.79
18	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.051.96.00.53	0.00	0.00	1.80	36.21	38.01	30.03	79.02
19	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.789.98.00.53	0.00	0.00	4.98	16.28	21.25	15.18	71.41
20	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.97.00.53	0.00	0.64	6.64	12.52	19.80	12.52	63.23
21	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.72.00.55	0.00	12.50	0.00	37.50	50.00	37.50	75.00
22	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.74.00.55	0.00	5.00	0.00	15.00	20.00	15.00	75.00
23	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.75.00.55	0.00	22.50	0.00	67.50	90.00	67.50	75.00
24	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.76.00.55	0.00	25.00	0.00	65.00	90.00	65.00	72.22

क्र. सं.	अनुदान सं.	विवरण (लेखा शीर्ष)	कुल व्यय					मार्च 2021 में कुल व्यय	
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	कुल	राशि	प्रतिशतता
25	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.78.00.55	0.00	25.00	0.00	55.00	80.00	55.00	68.75
26	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.79.00.55	0.00	40.00	0.00	120.00	160.00	120.00	75.00
27	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.02.191.85.00.55	0.00	15.00	0.00	45.00	60.00	45.00	75.00
28	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.02.191.86.00.55	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	325.00	59.09
कुल			4.90	241.52	417.52	2,376.35	3040.27	2104.89	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.


चार्ट 3.6: वि.व. 2020-21 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



उपरोक्त तालिका/ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार प्राप्तियाँ ₹ 57,860 करोड़ की कुल प्राप्तियों के 1.81 प्रतिशत (अप्रैल) से 14.92 प्रतिशत (मार्च) के बीच थीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार व्यय कुल व्यय ₹ 52,468 करोड़ के 3.43 प्रतिशत (मई) से 22.52 प्रतिशत (मार्च) के बीच था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण के संबंध में व्यय की उच्च प्रतिशतता मार्च महीने में थी जैसा कि चार्ट 3.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: मार्च 2021 में व्यय की बहुत उच्च प्रतिशतता के साथ अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण का माह-वार व्यय



लेखापरीक्षा ने देखा कि शहरी विकास एवं लोक निर्माण (अनुदान सं. 11) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम महीने में कुल व्यय का 37.09 प्रतिशत व्यय किया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंत में व्यय का द्रुतप्रवाह खराब बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.5.4 अनुदान की उपयोगिता में कमी (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

रा.रा.क्षे. दिल्ली ने ₹ 348.68 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी थी जिसे आठ अनुदानों के 17 उप-शीर्षों के तहत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (स.अ.) के तहत संशोधित कर ₹ 335.29 करोड़ कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष के दौरान ₹ 335.29 करोड़ के प्रति केवल ₹ 8.53 करोड़ प्राप्त हुए (₹ 1.00 करोड़, ₹ 2.53 करोड़ तथा ₹ 5.00 करोड़ क्रमशः 16 सितम्बर 2020, 15 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2021) विवरण परिशिष्ट 3.3 में हैं।

3.5.5 अनुदान सं. 9 - 'उद्योग' का परिणाम

बजटीय प्रक्रियाओं, निधियों की निगरानी तथा अनुदान के भीतर नियंत्रण तंत्र के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रक्रिया तथा 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए अनुदान सं. 9 - 'उद्योग' के संबंध में व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। अनुदान 'उद्योग विभाग', रोजगार विभाग, 'श्रम विभाग', 'खाद्य एवं नगरिक आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता मामले' तथा 'भार एवं माप विभाग' को सौंपे गए थे। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे देखे गए।

- (i) विगत तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय एवं बचतों की संपूर्ण स्थिति तालिका 3.14 में दी गयी है:

तालिका 3.14: बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय किया गया		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2018-19	447.03	0.14	159.57	0.00	287.46	0.14
2019-20	454.63	0.14	204.67	0.01	249.96	0.13
2020-21	796.12	0.06	639.46	0.00	156.66	0.06

- (ii) वर्ष 2020-21 के दौरान एक मामले में ₹ 56.47 करोड़ के अनुपूरक अनुदान का प्रावधान था जबकि अनावश्यक अनुपूरक अनुदान बनाते समय अन्तिम व्यय शून्य था।
- (iii) नौ मामलों में पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों को पूर्णरूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप, इन मामलों में ₹ 115.88 करोड़ की बचत हुई।
- (iv) 2018-19 से 2020-21 के दौरान अनुदान के अंतर्गत चार मामलों/उपशीर्षों में ₹ 50 लाख या उससे अधिक की लगातार बचत थी जो अवास्तविक बजट एवं अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है। बचत रिक्त पदों को न भरने, दस्तावेज सत्यापन के अभाव में नव-नियुक्त कनिष्ठ सहायक के वेतन की गैर-निकासी, क्रय-प्रस्ताव न बनाए जाने इत्यादि के कारण थीं।
- (v) 2018-19 से 2020-21 तक के वर्षों के लिए अनुदान के खण्ड-वार विनियोग लेखे की संवीक्षा से राजस्व-दत्तमत खण्ड में 19 से 64 प्रतिशत और राजस्व प्रभारित खण्ड में 93 से 100 प्रतिशत की लगातार बचत का पता चला जबकि पूंजीगत-दत्तमत खण्ड में बचत कुल अनुदान का 91 से 97 प्रतिशत थी जो अवास्तविक बजट एवं अपूर्ण वित्तीय प्रावधान को दर्शाती है।
- (vi) उप-शीर्षों 10, 6 तथा 15 में क्रमशः वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान, लो.नि.वि. द्वारा कार्य का आरम्भ न किया जाना, नवीकरण के लिए अनुमानों का अभाव, महामारी के कारण योजना का गैर-समापन इत्यादि, के कारण अनुपयोगी रहा। सम्पूर्ण प्रावधानों की बचत इस तथ्य का घोटक था कि प्राक्कलन वास्तविक आवश्यकता का पर्याप्त रूप से आकलन किए बिना तथा प्रासंगिक परियोजनाओं/योजनाओं की अनुचित संवीक्षा से तैयार किए गए थे।

- (vii) जीएफआर, 2017 का नियम 62(3) प्रबंध करता है कि व्यय का द्रुतप्रवाह, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय व्यय का उल्लंघन माना जाता है और इसे टाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अंतिम तिमाही में विभागों द्वारा उप-शीर्षों 2 एवं 5 में किया गया व्यय कुल व्यय का 72.22 से 74.55 प्रतिशत तथा 90 से 100 प्रतिशत के बीच रहा जबकि 3 उपशीर्षों में वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 100 प्रतिशत व्यय किया था।

3.5.6 अन्य अनियमितताएँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वित्तीय वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे की अनुदान सं. 01 से 15 की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ पाई गईं:-

1. अनुदान/मांग सं. 09 में शीर्ष “3456.00.102.98.00.50-गरीबी रेखा से नीचे केन्द्रित करते हुए जन वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाने” से शीर्ष “3456.00.102.88.00.50-मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना” में ₹ 15.00 करोड़ की धनराशि पुनर्विनियोग किए गए थे। हालांकि, अनुदान सारणी केवल ₹ 33.45 करोड़ के अनुपूरक अनुदान को दर्शा रही थी तथा विनियोग लेखे में ₹ 15.00 करोड़ के पुनर्विनियोग की धनराशि नहीं दर्शा रही थी।

मामला अक्टूबर 2021 में वित्त विभाग को भेजा गया था लेकिन कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2021)।

2. डी.एफ.पी.आर. के नियम 10 के अधीन भारत सरकार के निर्णय की क्रम सं. 4 के अनुसार, पुनर्विनियोग की धनराशि राजस्व से पूंजीगत में तथा पूंजीगत से राजस्व में केवल विधानसभा के अनुमोदन के पश्चात् ही अनुमत्य किया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्विनियोग आदेशों की संवीक्षा से पता चला कि अनुदान सं. 07 में ₹ 15.20 करोड़ की धनराशि पूंजीगत-दत्तमत से राजस्व-दत्तमत में पुनर्विनियोजित की गई थी। प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा विधानसभा का अनुमोदन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

मामला वित्त विभाग को अक्टूबर 2021 में भेजा गया था परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2021)।

3.6 अनुशंसाएँ

1. सरकार को विभागों की जरूरतों एवं आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है;
2. बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचत नियंत्रित होती है, और अनुमानित बचत की पहचान की जाती है एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित कर दिया जाता है।

अध्याय - 4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय
रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अतः वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हो, तो रणनीतिक योजना एवं निर्णय लेने के साथ-साथ अपनी बुनियादी प्रबंधन उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सरकार की सहायता करती है। इस अध्याय में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है।

चूँकि ये निधियां रा.रा.क्षे. दिल्ली के बजट के माध्यम से नहीं दी जाती हैं, इसलिए ये रा.रा.क्षे.दि.स. के खातों में परिलक्षित नहीं होती हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित धन की सूचना सितम्बर 2021 में वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से मांगी गई थी और उनका जवाब प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2021)। हालांकि कार्यान्वयन अभिकरणों¹ से प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया गया कि राज्य अभिकरणों को भारत सरकार द्वारा ₹ 56.04 करोड़ की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई थी।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

सा.वि.नि., 2017 का नियम 238 अनुबंध करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के

¹ (i) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि.) ने 2020-21 के दौरान कुल ₹ 22.27 करोड़ प्राप्त किया था (एम.पी.एल.ए.डी. के अंतर्गत ₹ 15 करोड़ एवं शहरी विकास के अंतर्गत ₹ 7.27 करोड़) (ii) महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2020-21 के दौरान ₹ 5.92 करोड़ प्राप्त किया था (iii) जिला दक्षिणी पूर्व दिल्ली द्वारा संबल-एक स्टॉप केन्द्र के लिए ₹ 0.15 करोड़ प्राप्त किये गये (iv) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) के लिए ₹ 5.46 करोड़ प्राप्त किये गये (v) आई.पी.जी.सी.एल. दिल्ली द्वारा सोलर पॉवर ग्रीड के तहत ₹ 22.24 करोड़ प्राप्त किये गये।

12 महीनों तक की अवधि में विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 तक जारी किए गए ₹ 9,049.45 करोड़ के अनुदान के संबंध में 2006 उ.प्र. अनुदानग्राहियों द्वारा 31 मार्च 2021 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की कमी का अर्थ है कि यद्यपि व्यय किया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया कि धनराशि का खर्च कैसे किया गया। इसका भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह अधिक महत्व रखता है जब पूँजीगत व्यय के लिए बने सहायता अनुदान (स.अ.) के प्रति ऐसे उ.प्र. लंबित है। चूँकि उ.प्र. की प्रस्तुतीकरण की कमी दुर्विनियोग के जोखिम से भरा है, इसलिए यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए एवं संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. के प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। बकाये उ.प्र. के वर्ष-वार विवरण विस्तृत रूप से तालिका 4.1 में है।


तालिका 4.1: बकाये उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)		
वर्ष	बकाये उ.प्र. की संख्या	राशि
1993-94 से 2010-11	1,081	114.32
2011-12	25	185.73
2012-13	145	387.62
2013-14	48	7.54
2014-15	97	1.28
2015-16	64	341.52
2016-17	122	1,437.12
2017-18	126	347.95
2018-19	181	1,943.35
2019-20	117	4,283.02
कुल	2,006	9,049.45

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 से पूर्व ₹ 114.32 करोड़ की राशि के 1,081 उ.प्र. (53.89 प्रतिशत) बकाये थे जबकि ₹ 8,935.13 करोड़ की राशि के 925 उ.प्र. (46.11 प्रतिशत) 2011-12 से 2019-20 तक के बकाये थे।

वर्ष 2019-20 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाये उ.प्र. का विवरण चार्ट 4.1 में दिया गया है।

चार्ट 4.1: वर्ष 2019-20 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाये उ.प्र. का विवरण



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिवहन विभाग (दि.प.नि.), दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि.) क्रमशः ₹ 2,030.00 करोड़ (22.43 प्रतिशत), ₹ 1,390.74 करोड़ (15.36 प्रतिशत) एवं ₹ 989.54 करोड़ (10.93 प्रतिशत) के बकाये के लिए जिम्मेवार थे। यह प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी एवं वित्त विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से पूर्व के अनुदानों के सही उपयोग का पता लगाए बिना ही नए अनुदानों के वितरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवम्बर 2021) कि उ.प्र. की लंबित स्थिति समय-समय पर संबंधित विभागों को भेजी गई थी। संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा वेतन एवं लेखा कार्यालय (वे.ले.का.) को उपलब्ध कराये गये उ.प्र. का अधिकृत रूप से हिसाब रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि संबंधित वे.ले.का. को उ.प्र. जमा करने हेतु अनुदान जारी करने के लिए बार-बार विभागों से निवेदन किया गया था। केवल प्रशासनिक प्राधिकारियों के कारण ही विलंब होता है। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि वित्त विभाग को संबंधित एजेंसी, यहां तक कि जहां पूर्व के अनुदानों से संबंधित उ.प्र. अभी भी प्रतीक्षित हैं, को निधियों को संवितरित करने हेतु कारणों को पता लगाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मामलों को उठाना चाहिए।

बकाये उ.प्र. से संबंधित वित्त लेखे में शामिल तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के चार विभागों/संस्थानों जैसे-स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली छावनी बोर्ड, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.)

एवं पर्यटन विभाग को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। विभाग-वार मुख्य अवलोकनों की चर्चा आगे के पैरों में की गई है।

4.2.1 स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (स्वा.से.नि.)

वर्ष 2020-21 का वित्त लेखा, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के साथ 31 मार्च 2021 तक ₹ 539.56 करोड़ के नौ बकाये उ.प. को दर्शाता है।

स्वा.से.नि. ने कहा (सितम्बर 2021) कि उनके द्वारा जारी अनुदान आवर्ती स्वभाव का है और पूर्व वर्ष के अनुदान के अव्ययित राशि को खाते में लिया गया है जबकि आगे के वर्षों का अनुदान जारी किया जा रहा है। आगे, यह कहा गया कि ₹ 539.56 करोड़ में से ₹ 536.87 करोड़ की राशि वर्ष 2019-20 के दौरान जारी स.अ. का अव्ययित शेष है जो अगले वर्ष 2020-21 में शामिल की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि वित्त लेखे में दर्शाये गये 1998-99 के ₹ 2.69 करोड़ के बकाये नौ उ.प्र. को स्वा.से.नि. में आसानी से पता लगाने योग्य नहीं है।

स्वा.से.नि. में उ.प्र. से संबंधित दस्तावेजों की जांच से निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

- i. स.अ. जारी करने के लिए स्वीकृति की शर्त सं. 6 निर्धारित करती है कि संघटन/संस्थान के कार्यकारी प्रधान द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र को निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करना होता है। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि दो² संस्थाओं ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए उ.प्र. अपने संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) द्वारा हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत किया था।
- ii. जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230(7) निर्धारित करता है कि जब आवर्ती स.अ. उसी संस्थान या संघटन को स्वीकृत करना होता है तो पूर्व अनुदान के शेष बकाये राशि को आगे के अनुदान स्वीकृति के लिए खाते/लेखे में शामिल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ह्युमैन विहैवीयर एंड एलायड साइंसेस इंस्टीच्यूट (आइ.एच.बी.ए.एस.) के मामले में पिछले वर्ष के अनुदान (2018-19 का अव्ययित शेष ₹ 8.88 करोड़ की धनराशि का नियमों का उल्लंघन करते हुए समायोजन वर्ष 2019-20 के लिए स.अ. जारी करते समय नहीं किया गया था। उसी तरह लीवर एंड बिलियरी संस्थान (आइ.एल.बी.एस.) के

² इंद्रप्रस्थ व्यवसायिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य समिति (आई.वी.पी.एस.एस.) एवं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल।

मामले में पिछले वर्ष (2018-19) के लिए स.अ. का अव्ययित शेष ₹ 20.03 करोड़ की राशि का समायोजन वर्ष 2019-20 के लिए स.अ. जारी करते समय भी नहीं किया गया था।

- iii. जी.एफ.आर. का नियम 238(1) निर्धारित करता है कि अनुदेयी द्वारा उ.प्र. को फॉर्म जीएफआर 12-ए में जमा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इंद्रप्रस्थ व्यवसायिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य समिति (आइ.वी.पी.एस.एस.), राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रौमा सर्विस आदि ने 2018-19 एवं 2019-20 वर्षों के लिए प्रस्तुत किए गए उ.प्र. निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे।

4.2.2 दिल्ली छावनी बोर्ड

वर्ष 2020-21 के लिए वित्त लेखा दर्शाता है कि वर्ष 1994-95 से 1998-99, 2000-01 से 2001-02, 2008-09 एवं 2015-16 के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड के पास ₹ 41.02 करोड़ के 69 बकाये उ.प्र. हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2021) कि वित्त लेखा में दर्शाए गए बकाये उ.प्र. के आंकड़े एवं दि.छा.बो. के रिकॉर्ड में अंतर है। दि.छा.बो. ने कहा कि उनके रिकॉर्ड में कोई भी उ.प्र. लंबित नहीं है तथा ₹ 41.02 करोड़ के 69 उ.प्र. के आंकड़ों को शून्य समझा जाए।

अतः वित्त लेखे एवं दि.छा.बो. के आंकड़ों के अनुसार ₹ 41.02 करोड़ के 69 उ.प्र. का अंतर है जो बिना मिलान किए रह गया।

इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. और दि.छा.बो. के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण वित्त लेखे में राशि को बकाया दिखाया गया है, जबकि दि.छा.बो. दावा कर रहा है कि जारी स.अ. के प्रति कोई भी उ.प्र. लंबित नहीं है।

4.2.3 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.)

न.दि.न.प., रा.रा.क्षे.दि.स. से विभिन्न उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान (स.अ.) प्राप्त करता रहा है तथा अपने अधीनस्थ विभिन्न शाखाओं को स.अ. वितरण करता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखा के अनुसार ₹ 654.31 करोड़ के 23 उ.प्र. लंबित थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि न.दि.न.प. के अधीनस्थ शाखाएं उ.प्र. को सीधे अनुदान स्वीकृति प्राधिकारियों को भेज रहे थे तथा प्राप्त स.अ. एवं विभिन्न

विभागों को प्रस्तुत किए गए उ.प्र. जिससे अनुदान प्राप्त होता था से संबंधित रिकॉर्ड/फाइलों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। प्राप्त की गई स.अ. एवं रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रेषित किए गए उ.प्र. की निगरानी करने के लिए उचित तंत्र के अभाव में लेखापरीक्षा में आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया जा सका था।

न.दि.न.प. ने कहा (सितम्बर 2021) कि उ.प्र. के संबंध में न.दि.न.प. के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्र की जाएगी और लेखापरीक्षा को समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु उनका जवाब अभी प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

4.2.4 पर्यटन विभाग (पर्य.वि.)

वर्ष 2020-21 का वित्त लेखा दर्शाता है कि 2001-02 से 2013-14 तक की अवधि में पर्य.वि. से संबंधित ₹ 73.88 करोड़ के 16 उ.प्र. बकाये हैं।

प.वि. (सितम्बर 2021) ने केवल 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि हेतु बकाये उ.प्र. के संबंध में आंकड़े उपलब्ध करा सका। यह भी कहा गया कि विभाग शेष अवधि की लंबित सूचना हेतु दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड, एवं होटल प्रबंधन एवं खानपान तकनीकी संस्थान दिल्ली के संपर्क में हैं। सूचना प्राप्त होते ही भेजी जाएगी।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त लेखा के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए ₹ 33.67 करोड़ के उ.प्र. बकाये थे जबकि पर्य.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार ₹ 14.23 करोड़ के अंतर के अतिरिक्त ₹ 47.90 करोड़ के उ.प्र. बकाया थे, जिसका मिलान नहीं किया गया है।

4.3 सार आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा व्यय की मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों पर किया जाता है, जिसके लिये आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण एवं समर्थित वाउचर उपलब्ध नहीं होते हैं। आरंभ में अग्रिम के रूप में लिए गए, इसे बाद के समायोजन बिलों के आहरण की एक निर्धारित अवधि के अन्दर विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिल जमा कर के सुनिश्चित किए जाते हैं। वि.आ. बिलों में सा.आ. बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ सार व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को इन सभी मामलों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिल निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना

चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सा.आ. बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, सा.आ. बिल पर निकाला गया धन वि.प्र.आ. बिल की प्रस्तुति द्वारा निकालने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर समायोजित हो जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी सा.आ. बिल का नकदीकरण नहीं किया जा सकता।

सा.आ. बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण तालिका 4.2 एवं चार्ट 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: सा.आ. बिलों के प्रति वि.प्र.आ. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		वि.व. 2020-21 के दौरान निकासी		31 मार्च 2021 तक अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	4136	281.88	147	11.74	3989	270.14
2018-19	359	226.32	78	90.17	281	136.15
2019-20	730	266.27	371	202.98	359	63.29
2019-20 तक	5225	774.47	596	304.89	4629	469.58
2020-21 [#]	704	291.81	397	26.29	307	265.52
कुल			993	331.18	4936	735.10

वर्ष 2020-21 के दौरान निकाले गये कुल नये सा.आ. बिलों का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.


57 सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के खाते बंद होने से पहले ₹ 265.52 करोड़ की राशि के 307 वि.प्र. बिल जमा नहीं किए और इसलिए, इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में ₹ 265.52 करोड़ का व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि मार्च 2021 तक ₹ 735.10 करोड़ के कुल 4,936 सा.आ. बिल बकाया थे।

2020-21 के दौरान ₹ 291.81 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 8.05 करोड़ (2.76 प्रतिशत) की राशि मार्च 2021 से संबंधित है।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किये जाने से अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वि.प्र.आ. बिलों का गैर-प्रस्तुतिकरण, सा.आ. बिलों की निकासी के बाद, सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी। इसलिए, इसकी बारीकी से निगरानी

किए जाने की आवश्यकता है। सा.आ. बिलों की क्लीयरेंस की प्रवृत्तियाँ चार्ट 4.2 में दी गई हैं:


चार्ट 4.2: सा.आ. बिलों की निकासी की प्रवृत्तियाँ



चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए बकाया सा.आ. बिलों की निकासी 3.55 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 56.39 प्रतिशत हो गई।

प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित वि.प्र.आ. बिलों का विवरण चार्ट 4.3 में दिया गया है।

चार्ट 4.3: प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित वि.प्र.आ. बिल



स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवंबर 2021) कि वेतन एवं लेखा अधिकारी ने संबंधित विभागों से बकाये सा.आ. बिलों को पास करने के लिए वि.प्र.आ. बिल जमा करने हेतु निवेदन किया है। इस संबंध में वे.ले.का./वे.ले.अ. की ओर से

कोई विफलता नहीं है। विलंब का कारण विभागीय प्राधिकारी हैं जिनका दायित्व जी.एफ.आर. के अनुसार अग्रिमों का समाधान करना है।

हालांकि, उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 के अनुसार समय पर वि.प्र.आ. बिलों को जमा करने हेतु वे.ले.अ. विभागों के साथ मामले को नहीं उठा रहे हैं। यह भी संकेत मिलता है कि वित्त विभाग के पास वे.ले.अ. के अनुपालन हेतु कोई निगरानी तंत्र नहीं है।

लंबित वि.प्र.आ. बिलों से संबंधित वित्त लेखों में शामिल तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित करने हेतु पाँच विभागों/संस्थानों जैसे केंद्रीय खरीद प्राधिकरण, विधि न्याय एवं विधि कार्य विभाग, उप आयुक्त (उ.आ.) उत्तरी जिला, शिक्षा निदेशालय तथा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले संबंधी विभाग का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु किया गया था।

विभाग-वार प्रमुख अवलोकनों की चर्चा आगे के पैरों में की गई है।

4.3.1 केन्द्रीय खरीद प्राधिकरण (के.ख.प्रा.)

(i) पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए तैयार किए गए सा.आ. बिल

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुसार “आकस्मिक प्रभार” या “आकस्मिकता” शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक एवं अन्य खर्च (भंडारण सहित) शामिल है जो एक कार्यालय के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं या तकनीकी स्थापना जैसे-प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक स्थापना, स्टोर डिपो तथा इसी तरह के कार्य हेतु किए जाते हैं परन्तु उन व्यय के अतिरिक्त जिसे विशेष रूप से व्यय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आने वाले रूप में वर्गीकृत किया गया है जैसे-‘कार्य’, ‘उपकरण एवं संयंत्र’।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान सा.आ. बिल पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित किए गये थे जैसा कि तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3: पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिल

वर्ष	वर्ष के दौरान सा.आ. बिलों की कुल संख्या	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिलों की संख्या	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिलों की धनराशि (₹ करोड़ में)
2015-16	01	01	9.38
2016-17	04	04	8.18
2017-18	06	06	24.38
2018-19	07	05	29.66
2019-20	11	02	1.43
2020-21	4	0	-
कुल	33	18	73.03

(ii) वि.प्र. बिलों का लंबन

के.ख.प्रा. के आंकड़ों से पता चला कि 2015-16 से 2020-21 के बीच ₹ 86.12 करोड़ के 33 सा.आ. बिल बनाए गए तथा 33 सा.आ. बिलों में से 31.08.2021 तक केवल 13 बिलों का निपटान कर दिया गया है। वि.प्र.आ. बिल के अभाव में ₹ 78.98 करोड़ के 20 सा.आ. बिल 31.03.2016 से बकाये हैं। इन सा.आ. बिलों के लंबन के कारण थे संबंधित फर्मों से बिलों एवं अन्य दस्तावेजों की अप्राप्ति तथा बैंक में रह गयी शेष राशि का प्राप्त ना होना।

(iii) वि.प्र.आ. बिलों की प्रस्तुति में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने पाया कि वि.प्र.आ. बिलों की प्रस्तुति में विलंब 6.5 और 37 महीनों के बीच थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि के.ख.प्रा. द्वारा जुलाई 2020 के पहले इन बकाये सा.आ. बिलों के निपटान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं क्योंकि रिकार्ड में कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं था।

4.3.2 विधि, न्याय एवं विधि कार्य विभाग

(i) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में मामले विचाराधीन होने के कारण ₹ 40.61 करोड़ के लंबित सा.आ. बिलों के समायोजन में कमी

मंत्री परिषद ने मंत्रीमंडल निर्णय सं. 2794 द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को 'मुख्य मंत्री वकील कल्याण योजना' के नाम से वकीलों के लिए (योजना) अनुमोदित की जो दिल्ली बार कौंसिल (दि.बा.कों.) एवं दिल्ली के वोटर लिस्ट में भी दर्ज है। 2020-21 के दौरान ₹ 50 करोड़ का बजट रखा गया था।

मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सा.आ. बिलों के माध्यम से व्यय केवल आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए न कि नियोजित गतिविधियों को पूरा करने के लिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2020 में विभाग ने दो सा.आ. बिल बनाए (i) वकीलों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ग्रुप (मेडी क्लेम) इंश्योरेंस कवरेज प्रदान कराने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. को ₹ 30.53 करोड़ के प्रीमियम का अग्रिम भुगतान हेतु बिल (ii) वकीलों को ग्रुप (टर्म) लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 10.08 करोड़ का बिल।

योजना के कार्यान्वयन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार मामला, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित था जिसके कारण ₹ 40.61 करोड़ के सा.आ. बिल का समाधान नहीं हो सका था।

(ii) ₹ 0.04 करोड़ के सा.आ. बिलों के मिलान में कमी

वित्त लेखे के अनुसार ₹ 40.66 करोड़ के सा.आ. बिल 31 मार्च 2021 तक विभाग के प्रति लंबित थे। हालांकि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2021 तक ₹ 40.62 करोड़ के सा.आ. बिल लंबित था। इसलिए ₹ 0.04 करोड़ का अंतर का मिलान किया जाना आवश्यक है।

4.3.3 जिला मजिस्ट्रेट (उप आयुक्त), उत्तरी जिला

(i) प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के अनुसार कार्यालय द्वारा आकस्मिक व्यय का एक रजिस्टर फॉर्म जी.ए.आर. 27 के रूप में रखा जाएगा तथा कार्यालयाध्यक्ष या उनके द्वारा इस कार्य के लिए प्रत्यायोजित किसी राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर हर भुगतान की तिथि के प्रति होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ.आ. (उत्तर) कार्यालय में आकस्मिक व्यय से संबंधित आंकड़ें फॉर्म जी.ए.आर. 27 में नहीं रखा जा रहा था तथा इसके लिए साधारण रजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था।

(ii) प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 118 के अनुसार प्रत्येक सा.आ. बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किय जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सा.आ. बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी सा.आ. बिल का समायोजन नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ.आ. (उत्तर) के सा.आ. बिल के साथ ऐसा कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था।

(iii) लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान मु.शी. 4059-सार्वजनिक कार्यों में पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत संपत्तियों जैसे- एस.आर. कार्यालय, भलस्वा के चारदिवारी के निर्माण हेतु डी.टी.टी.डी.सी. के पक्ष में ₹ 0.25 करोड़ का सा.आ. बिल द्वारा आहरण किया गया था (दिसम्बर 2019)।

(iv) लेखापरीक्षा ने पाया कि 55 महीनों के बाद समायोजित वॉल कैलेंडर, नोट बुक और डायरियों की खरीद के लिए आहरित ₹ 20,000 के मामलों के संबंध में वि.प्रा.आ. बिल प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलंब हुआ था तथा ₹ 20,500 के सा.आ. बिल 18 महीने के बाद रद्द चेक के प्रति समायोजित किये गये जबकि वि.प्र.आ. बिल 2017-18 में आहरित ₹ 12.12 लाख के सा.आ. बिल के प्रति जमा नहीं किया गया था (दिसम्बर 2021)।

4.3.4 शिक्षा निदेशालय

- (i) वित्त लेखे के अनुसार वि.प्र.आ. बिल की प्रस्तुति हेतु 31 मार्च 2021 तक ₹ 46.29 करोड़ के सा.आ. बिल शिक्षा निदेशालय के पास बकाया थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सा.आ. बिल सं. 2641/28.03.2008 द्वारा ₹ 9.10 करोड़ का अग्रिम विद्यालयों के लिये 1820 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की खरीद हेतु दिया गया, जो मूल बिल के अभाव में बकाया पड़े थे, यद्यपि सरकारी एजेंसी ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था। ₹ 14.91 करोड़ के अग्रिम के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने कहा (नवम्बर 2021) कि यह निपटान प्रक्रिया में है। शिक्षा विभाग ने शेष ₹ 22.28 करोड़ के बकाये सा.आ. बिल की स्थिति प्रस्तुत नहीं की।

- (ii) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिल

ले.प. ने पाया कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 77.98 लाख एवं ₹ 2.50 करोड़ की धनराशि का आहरण दो सा.आ. बिल द्वारा किया गया जो कि प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुच्छेद III का उल्लंघन था।

4.3.5 खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले संबंधी विभाग

- (i) वित्त लेखा एवं विभाग के आंकड़ों के बीच ₹ 0.43 करोड़ का अंतर

वित्त लेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 तक ₹ 225.52 करोड़ के सा.आ. बिल बकाये थे जबकि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2021 तक ₹ 0.43 करोड़ के अंतर के अतिरिक्त ₹ 225.09 करोड़ के सा.आ. बिल बकाये थे, जिसका मिलान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग के संबंध में ₹ 225.24 करोड़ के सा.आ. बिलों और अंसारी योजना, भारतीय खाद्य निगम आदि से संबंधित भुगतान के संबंध में आहरित आठ शाखा कार्यालयों के संबंध में ₹ 0.06 करोड़ का सा.आ. बिल बकाया थे। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा निपटाए गए ₹ 0.22 करोड़ सा.आ. बिल वे.ले.का. में लंबित दर्शाए गए थे।

खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के आ.सं.अ., ने कहा कि ₹ 225.09 करोड़ के बकाया सा.आ. बिल स्वीकृति आदेशों के साथ वाउचर/चालान जमा न करने के कारण लंबित थे, हालांकि एफ एंड एस (मुख्यालय)/शाखा कार्यालयों को पत्र लिखे गये थे।

4.3.6 अन्य सामान्य अनियमितताएं

इंटेलीजेंट कॉम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आइ.सी.एस.आई.³), से अनुबंध पर आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को वितरण में विलंब से बचाने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. ने निर्णय किया (22 मार्च 2016) कि अलग-अलग विभागों को आई.सी.एस.आई.एल. से आउटसोर्स कर्मचारियों (यानी डी.ई.ओ. एवं आईसीएसआईएल से किराये पर लिये गये सहायक प्रोग्रामर) को डेढ़ महीने के बराबर वेतन प्रदान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एस.आई.एल. से आउटसोर्स किये गये कर्मचारियों के डेढ़ महीने के बराबर वेतन के वितरण के लिए आईसीएसआईएल को अग्रिम भुगतान हेतु सा.आ. बिल के माध्यम से तीन विभागों द्वारा अग्रिम आहरित किया गया था, जो कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हैं:

तालिका 4.4: वेतन के अग्रिम भुगतान के लिए आहरित सा.आ. बिल

क्रम. नं.	विभाग का नाम	किए गए भुगतान की अवधि	किराये पर लेने हेतु किया गया भुगतान	राशि (₹ करोड़ में)
1	विधि, न्याय एवं विधि कार्य विभाग	2016-17 से 2020-21	डी.ई.ओ. एवं एम.टी.एस.	0.01
2	शिक्षा निदेशालय	2016-17	डी.ई.ओ.	1.10
3	खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग	2016-17 से 2017-18	डी.ई.ओ./सहायक प्रोग्रामर	0.47
कुल				1.58

यद्यपि ₹ 1.58 करोड़ के सा.आ. बिल निपटान के लिए लंबित थे, पर आई.सी.एस.आई.एल. को भुगतान किए गए डेढ़ महीने के अग्रिम वेतन को आई.सी.एस.आई.एल. से आउटसोर्स कर्मचारियों को देय अगले महीने के वेतन से समायोजित किया जाना चाहिए था।

4.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191(3) के साथ पठित नियम 191 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (व्य.ज.खा.) को सामान्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार के मामलों में विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) के परामर्श से खोलने के लिए अधिकृत किया जाता है:

क) सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत वार्ड एवं संलग्न सम्पदाओं एवं सम्पदाओं के आधार पर या उनकी ओर से दिए गए धन के प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त

³ दूरसंचार सलाहकार इंडिया लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी का एक संयुक्त उद्यम।

- प्रशासक के पक्ष में नियम 192(1) के अनुसार व्य.ज.खा. सरकार को व्यपगत नहीं होते, भले ही तीन से अधिक पूर्ण वर्षों के लिए बकाया हो;
- ख) मुख्य न्यायायिक प्राधिकरण के पक्ष में तथा नियम 192(2) के अनुसार सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की जमा से सम्बंधित व्य.ज.खा. व्यपगत नहीं होंगे;
- ग) जहाँ, सरकार की कुछ नियामक गतिविधियों के अंतर्गत, प्राप्तियां वसूली जाती है एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती है, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। ये व्य.ज.खा. सरकार को तब तक व्यपगत नहीं होंगे जब तक संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा।

31 मार्च 2021 को रा.रा.क्षे.दि.स. के व्य.ज.खा. के विवरण तालिका 4.5 में दिये गये हैं:

तालिका 4.5: 31 मार्च 2021 को व्य.ज.खा. का विवरण

01.04.2020 को व्य.ज.खा.		वर्ष 2020-21 के दौरान खुले व्य.ज.खा.		वर्ष 2020-21 के दौरान बंद हुए व्य. ज.खा.		अंतिम शेष	
संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12	54.65	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12	47.37

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स., ले.म.नि., वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से 12 व्य.ज.खा. का संचालन कर रहा है। इन व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों (दि.वि.प्रा. आदि) से प्राप्त मुआवजे की प्राप्तियों को जमा करना तथा भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, फौजदारी जमा एवं अदालत के आदेश के अनुसार वादियों का किराया आदि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान करना था तथा इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं है।

31 मार्च 2021 को इन 12 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 47.37 करोड़ का अंतिम शेष था जो व्यपगत नहीं है।

व्यक्तिगत जमा खातों का विश्लेषण

- i. प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191 एवं 192 निर्धारित करते हैं कि खोले जाने वाला अधिकृत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता, सरकारी

खाता का रूप होगा और सार्वजनिक खाते के भाग में स्थित होगा एवं यदि एक व्यक्तिगत जमा खाता एक मान्य अवधि हेतु नहीं खोला गया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जमा खाते की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उस अधिकारी जिनके पक्ष में जमा खाता खोली गई है, के परामर्श से उसे बंद की जानी चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31.03.2021 तक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पास उसके व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 4.43 लाख का अंतिम शेष था जो 31.07.2017 के बाद निष्क्रिय हो गया था। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय योजना कार्यान्वय इकाई (रा.यो.का.इ.) को धनराशि नहीं लौटायी जा सकी।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (दिसम्बर 2021) कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ₹ 4.43 लाख का बकाया राशि लौटाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है तथा व्य.ज. खाते को बंद करने के लिए शीघ्र ही अव्ययित बकाया वापस कर दिया जाएगा।

ii. भूमि एवं भवन विभाग


(क) भूमि एवं भवन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. का दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और निपटान की योजना के संबंध में प्राप्त करने और भुगतान करने के उद्देश्य से आवास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन के पक्ष में एक व्यक्तिगत जमा खाता है। इसमें दि.वि.प्रा. लो.नि.वि., न.दि.न.प., दि.मे.रे.नि., दि.न.नि., शहरी विकास आदि जैसे प्राधिकरणों से धन प्राप्त होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020-21 के दौरान इस खाते से ₹ 15.77 करोड़ वितरित किया गया था एवं 31 मार्च 2021 तक ₹ 42.52 करोड़ का एक अवितरित अंतिम शेष बकाया था। ₹ 42.52 करोड़ में से ₹ 8.71 करोड़, ₹ 2.70 करोड़, ₹ 3.08 करोड़ एवं ₹ 3.51 करोड़ क्रमशः शहरी विकास विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, भूमि अधिग्रहण कलक्टर (भू.अ.क.) पश्चिम एवं मू.अ.क. दक्षिण पश्चिम के अग्रिमों से संबंधित है।

भूमि एवं भवन विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि भू.अ.क./एजेंसियों से सटीक स्पष्टीकरण/सूचना तथा अ.जि.न्या./उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में विचारीधीन मामलों की गैर-प्राप्ति के कारण धनराशि संवितरित नहीं हो सकी। यह भी कहा गया कि सचिव/विशेष सचिव/डी.सी.ए. से अनुरोध पत्र, अनुस्मारक एवं डी.ओ. पत्र जारी करके संबंधित भू.अ.क./एजेंसियों से सटीक सूचना/स्पष्टीकरण मांगने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही लंबित राशि का संवितरण हो जाएगा।

4.5 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

‘अन्य प्राप्तियों’ एवं ‘अन्य व्यय’ से संबंधित लघुशीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाएगा जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। बहु प्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखे अपारदर्शी हो जाते हैं। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज की गई राशियों की प्रवृत्तियां चार्ट 4.4 में दशायी गई हैं:

चार्ट 4.4: 2016-2021 के दौरान लघु शीर्ष-अन्य व्यय का संचालन



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

आलेख से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय पर इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज व्यय की प्रतिशतता लगभग 14 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान ₹ 45,112.48 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,205.42 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष ‘800-अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 13.76 प्रतिशत था। 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज व्यय को तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज व्यय	मुख्य शीर्ष के तहत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघुशीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1.	2404-डेयरी विकास	11.59	11.59	100.00
2.	2801-ऊर्जा	2,956.34	2,956.34	100.00
3.	3075-अन्य परिवहन सेवाएं	1.18	1.18	100.00
4.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	30.97	30.97	100.00
5.	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5.73	5.73	100.00
6.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर	1.27	1.27	100.00
7.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय	94.07	102.98	91.34
8.	3054-सड़क एवं पुल	369.52	449.50	82.21
9.	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	2.88	3.57	80.67
10.	2702-लघु सिंचाई	14.89	18.57	80.18
11.	2211-परिवार कल्याण	55.00	69.43	79.22
12.	2041-वाहनों पर कर	94.03	174.90	53.76
13.	2040-बिक्री कर	20.77	39.80	52.19
	कुल	3,658.24	3,865.83	94.63

2020-21 के दौरान ₹ 30,405.00 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 592.04 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत' वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.95 प्रतिशत था। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ तालिका 4.7 में दी गई हैं:

तालिका 4.7: लघु शीर्ष- '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	ल.शी. 800 के अंतर्गत दर्ज	कुल प्राप्तियाँ	प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0217-शहरी विकास	61.69	61.69	100.00
2	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6.57	6.57	100.00
3	0701-मध्यम सिंचाई	16.43	16.43	100.00
4	0801-ऊर्जा	33.10	33.10	100.00
5	0059-लोक निर्माण	41.91	43.26	96.88
6	0230-श्रम एवं नियोजन	4.03	4.22	95.50
7	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	117.31	137.22	85.49
8	0210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	78.35	95.32	82.20
	कुल	359.39	397.81	90.34

इस मुद्दे को राज्य वित्त पर पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालांकि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्तमान में प्रदर्शित होने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ

एवं व्यय को लेखा के सही शीर्ष के तहत उचित रूप से दर्ज किया गया है ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. एक अंतरिम उपाय के रूप में संघ के खातों के लिए अपनाए गए ले.म.नि. की तर्ज पर लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय/प्राप्तियों का विवरण देते हुए वित्त खातों में फुटनोट डाल सकता है।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवम्बर 2021) कि मामला वित्त विभाग को भेजा गया है तथा उनके जवाब प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

4.6 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 12 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी है।

2020-21 तक देय 11 निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली में सितम्बर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाये लेखों के विवरण तालिका 4.8 में दिये गये हैं।

तालिका 4.8: 30 सितम्बर 2021 को बकाये लेखों के विवरण

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	से लंबित लेखे	30.09.2021 को बकाये लेखों की संख्या
1	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (दि.श.आ.सु.बो.)	2010-11	11
2	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2015-16	6
3	दिल्ली कल्याण समिति	2020-21	1
4	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण	2019-20	2
5	नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय	2019-20	2
6	अम्बेडकर विश्वविद्यालय	2020-21	1
7	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	2020-21	1
8	दिल्ली प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय	2020-21	1
9	इंदिरा गाँधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय	2018-19	3
10	इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली	2020-21	1
11	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2017-18	4

उपरोक्त से, यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 तक 11 निकायों/प्राधिकरणों के 33 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2021 तक लंबित थे।

वार्षिक लेखों को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधानमण्डल की जांच से बाहर रहा। परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व एवं दक्षता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि आवश्यक थे, समय पर नहीं उठाये गये। इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब से धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के क्षरण का जोखिम बढ़ा।

सरकार निगमों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।

4.7 वित्त लेखों के विवरण में अन्य अशुद्धियाँ

- (i) विवरण सं. 4- रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम के खंड 3- विभिन्न ऋणी संस्थाओं से बकाये के पुनर्भुगतान के सारांश के अनुसार बकायों (मूलधन एवं ब्याज) की पूर्व अवधि स्थानीय निकायों आदि के प्रति 1950-51 के रूप में तथा सरकारी निगमों के प्रति 1962-63 के रूप में दर्शाया गया है। 60 वर्षों से अधिक से ऋण बकाया होने के कारण एवं वसूली प्रभावित करने हेतु प्रयास किए जाने के लिए प्रधान लेखा कार्यालय को कहा गया था। प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवम्बर 2021) कि मामला संबंधित विभागों को भेजा गया है और उनके जवाब के प्राप्त होने पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ii) विवरण सं. 11-वर्ष 2020-21 के दौरान एवं उसकी समाप्ति तक पूंजीगत व्यय का विस्तृत लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्शाई गई 2020-21 की समाप्ति तक निवेश की संचयी राशि विवरण सं.12- सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के विवरण में दर्शायी गई राशि के साथ 31 मार्च 2021 तक एकरूपता नहीं है जैसा कि तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: वित्त खाते के विवरण सं. 11 एवं 12 में दर्शाए गए निवेश की संचयी राशि का विवरण

(₹ हजारों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण सं. 11 के तहत दर्शायी गई राशि	विवरण सं. 12 के तहत दर्शायी गई राशि	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बताए गए अंतर का कारण
1	4216.80.201	3,00,200	3,02,600	वर्ष 1994-95 के दौरान सीजीए से अपनाया गया निवेश
2	4425.00.107	10,940	23,038	वर्ष 1993-94 के दौरान सीजीए से अपनाया गया निवेश, 1994-95 के दौरान निवेश एवं 1995-96 तथा 2006-07 के दौरान विनिवेश
3	4425.00.108			
4	4425.00.200			
5	4853.60.190	31,800	00	जुलाई 2007 में दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम का दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के साथ विलय
6	5452.80.190	2,43,181	62,825	अंतर की राशि पर्यटन अवसंरचना के कारण पूंजीगत व्यय से संबंधित

विवरण-11 में निवेश शीर्ष के अंतर्गत धनराशि विवरण-12 में दर्शाए गए निवेश की संचयी राशि के अनुरूप होनी चाहिए। आंकड़ों के मिलान के लिए प्रयास की जानी चाहिए।

- (iii) विवरण सं. 16-रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम के खंड 1 के अनुसार मुख्य शीर्ष '7610- सरकारी सेवकों को ऋण' के नीचे लघु शीर्ष 201, 202, 203 एवं 204 तथा '6401-105- फसल कृषिकर्म- खाद एवं उर्वरक' में लगातार प्रतिकूल संतुलन दिखा रही है।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवंबर 2021) कि संबंधित वे.ले.अ. को गलत वर्गीकरण एवं लेखा के उपयुक्त शीर्ष में उस खाता के पहचान हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं।

- (iv) विवरण सं 16 में दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम एवं दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सरकार द्वारा ₹ 1,356.94 लाख एवं ₹ 436.34 लाख के ऋण क्रमशः 1987-88 एवं 1998-99 में दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि लगभग 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऋण के नियम एवं शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।

अक्टूबर 2021 में मामले की सूचना वित्त विभाग को दी गई परंतु उनके जवाब अभी भी प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2021)।

- (v) 'ऋणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान दिए गए नये ऋण और अग्रिम, जिनसे ऋण का पुनर्भुगतान बकाया है' शीर्ष के अंतर्गत विवरण सं. 16 के साथ दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड और दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग को जलापूर्ति, साफ-सफाई, कमजोर वर्ग के लिए मकानों के निर्माण और योजना के क्रियान्वयन के लिए ऋण दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्व की अवधि जिसमें इन एजेंसियों को ऋण दिए गए थे, वे 1998-99 और 2011-12 के बीच की अवधि से संबंधित थे, जिसके लिए अभी तक पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्त विभाग को चूककर्ता संस्थाओं को ऋण संवितरण के कारणों और वसूलियों को प्रभावी करने के लिए किए गए प्रयासों को निर्दिष्ट करना चाहिए।

अक्टूबर 2021 में मामले की सूचना वित्त विभाग को दी गई परंतु उनके जवाब अभी भी प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2021)।

4.8 वाउचर लेखापरीक्षा की अनियमितताएं

वाउचरों की लेखापरीक्षा हेतु कुल 23 वे.ले.का. में से तीन वेतन एवं लेखा कार्यालयों जैसे वे.ले.का. VI, IX एवं XII चुने गए थे। वे.ले.कार्यालय-वार मुख्य अवलोकन नीचे दिए गए हैं-

वे.ले.का.-VI (शहरी विकास विभाग)

(i) अनुदान के एक ही खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्षों के अंदर गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य के विवरण/परिभाषा के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाइयों को निर्धारित करता है। यह किसी विशेष वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले व्यय के विवरण को निर्दिष्ट करते हुए वस्तु शीर्षों और उनके विवरणों को भी निर्दिष्ट करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 43 मामलों में ₹ 2.71 करोड़ की राशि गलत वस्तु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की गई थी। विशिष्ट उदाहरणों में ₹ 0.86 करोड़ के सात मामले शामिल हैं जिन्हें वस्तु शीर्ष '02-मजदूरी' के तहत वर्गीकृत किया जाना था लेकिन अन्य वस्तु शीर्ष-वेतन, कार्यालय व्यय तथा अन्य प्रभार के तहत वर्गीकृत किया गया था।

(ii) उचित स्वीकृति आदेशों के बिना भुगतान

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 4.1.2 के अनुसार यह देखना वेतन एवं लेखा अधिकारी का कर्तव्य है कि भारत की संचित निधि से होने वाला व्यय आवश्यक शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि व्यय को अधिकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी या तो विशेष या सामान्य है।

हालांकि लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित वाउचरों/बिलों में कमियां पाईं जैसा कि तालिका 4.10 में दी गई है:

तालिका 4.10: ऐसे उदाहरण जहां भुगतान बिना स्वीकृति आदेश के किये गये

क्र. सं.	टोकेन सं.	बिल सं.	दिनांक	राशि (₹ में)	व्यय का विवरण	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत	टिप्पणियां
1	12875	एमबी-2198	01/02/2021	14,330	मेडिकल बिल	06-मेडिकल चिकित्सा	स्वीकृति आदेश अनुपलब्ध
2	13166	सीबी-760	10/02/2021	1,30,161	चपरासी सह गृह सेवक के भत्तों की प्रतिपूर्ति	13-कार्यालय व्यय	स्वीकृति वस्तुशीर्ष 01-वेतन के अंतर्गत जारी हुई
3	7428	एमबी-1035	08/10/2020	58,169	मेडिकल बिल	06-मेडिकल चिकित्सा	स्वीकृति आदेश अनुपलब्ध

क्र. सं.	टोकेन सं.	बिल सं.	दिनांक	राशि (₹ में)	व्यय का विवरण	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत	टिप्पणियां
4	8675	82	23/11/2020	20,15,000	एम.एल.ए.एल.ए.डी. योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु निधि जारी होना	53-मुख्य कार्य	स्वीकृति एम.एच.-4217 के बदले में एम.एच-4271 के लिए जारी
5	17000	462	28/03/2021	34,59,000	एम.एल.ए.एल.ए.डी. योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु निधि जारी होना	53-मुख्य कार्य	स्वीकृति एम.एच.-4217 के बदले में एम.एच-4271 के लिए जारी

वे.ले.का. -IX (शिक्षा विभाग)

(i) अनुदान के एक ही खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्षों के अंदर गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 वाउचरों में ₹ 8.66 करोड़ की राशि वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के उल्लंघन में गलत वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की गई।

विशिष्ट उदाहरणों में ₹ 93.84 लाख, ₹ 7.17 लाख, ₹ 741.23 लाख एवं ₹ 6.48 लाख की राशि के चार मामले शामिल हैं, जिन्हें वस्तु शीर्ष '01-वेतन' एवं '02-मजदूरी' के तहत वर्गीकृत किया जाना था लेकिन वस्तु शीर्ष- 'मजदूरी', 'वेतन' एवं 'कार्यालय व्यय' में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था।

(ii) उचित स्वीकृति आदेशों के बिना भुगतान

वाउचरों की जांच से निम्नलिखित वाउचरों/बिलों में कमियां पाई गईं जैसा कि तालिका 4.11 में दी गई है:

तालिका 4.11: ऐसे उदाहरण जहाँ भुगतान बिना स्वीकृति आदेश के किये गये

क्र. सं.	टोकेन सं.	बिल सं.	दिनांक	राशि (₹ में)	व्यय का विवरण	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत	टिप्पणियां
1	35243	पीबी-154	04/03/2021	2,84,338	संविदा कर्मचारियों का वेतन	02-वेतन	स्वीकृत आदेश अनुपलब्ध
2	21639	सीबी-324	18/11/2020	1,97,692	उपभोज्य वस्तुओं की खरीद	21-आपूर्ति और सामग्री	-वही-
3	37396	एसीबी-1464	18/03/2021	4,50,000	राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह	05-पुरस्कार	-वही-
4	1155	पीबी-009	09/04/2020	1,52,709	संविदा कर्मचारियों का वेतन	02-वेतन	आयकर नहीं काटा गया
5	14604	पीबी-168	17/09/2020	8,27,352	कर्मचारियों का वेतन	01-वेतन	श्रीमती रेणु का जी.पी.एफ/एन. पी.एस. नहीं काटा गया

वे.ले.का.-XII (लोक निर्माण विभाग)

(i) आ.सं.अ. द्वारा गैर-मौजूद उप-मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष में व्यय दर्ज किया जाना लेखापरीक्षा ने पाया कि लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आ.सं.अ. अपने स्थापना व्यय को 'उप-मुख्य-शीर्ष-00/लघु शीर्ष-095' में दर्ज कर रहे हैं जो मुख्य शीर्ष 2059 के अंतर्गत नहीं आता है। लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन" के अंतर्गत केवल लघु शीर्ष "095-लेखा और कोषागार निदेशालय" ही उपलब्ध है। यद्यपि वे.ले.का. व्यय को संबंधित व्यय शीर्ष में दर्ज कर रहा है लेकिन वाउचरों में वर्गीकरण में परिवर्तन नहीं किया गया है। आ.सं.अ. वाउचरों को निरंतर गलत वर्गीकरण के साथ जमा कर रहे हैं तथा वे.ले.का. द्वारा आगामी वाउचरों में वर्गीकरण में परिवर्तन के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि मासिक लेखों का मिलान कैसे किया गया है जब आ.सं.अ. गलत वर्गीकरण के साथ वाउचरों को जमा कर रहे हैं।

अतः वे.ले.का. लेखा शीर्ष के उचित वर्गीकरण का उल्लेख करने के लिए आ.सं.अ. को कह सकता है जिसके अंतर्गत संबंधित आ.सं.अ. से गलत वर्गीकरण की किसी भी संभावना से इन्कार करने के लिए व्यय दर्ज किया जाता है।

(ii) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन पर व्यय को कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से नियत लघु शीर्ष के स्थान पर वेतन शीर्ष के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया जाना

कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान का मतलब है ऐसा प्रतिष्ठान जिसका वेतन एवं भत्ते सीधे-कार्य के अंतर्गत दर्ज होता है। कार्य प्रभारित (का.प्र.) कर्मचारी किसी विशिष्ट कार्य के वास्तविक निष्पादन एवं किसी विशिष्ट कार्य के उप-कार्यों आदि पर नियोजित होते हैं। कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान की लागत किसी कार्य के प्राक्कलन के एक अलग उप-शीर्ष के रूप में हमेशा दिखाया जाना चाहिए। अन्य मामलों में कार्य प्रभारित कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान होते हैं।

इसके अतिरिक्त लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची (मु.ल.शी.सू.) प्रावधान करता है कि लघु शीर्ष "053-अनुरक्षण एवं मरम्मत" को निम्नलिखित उप-शीर्षों में विभाजित किए जाते हैं।

(i) कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान

(ii) अन्य अनुरक्षण व्यय

अतः का.प्र. कर्मचारियों पर किया गया व्यय लघु शीर्ष- 'अनुरक्षण एवं मरम्मत 053' के अंतर्गत उप-शीर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य प्रभारित कर्मचारी (खलासी, बेलदार आदि) को दिए गए वेतन, बोनस आदि लघु शीर्ष 053-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत उप-शीर्ष के स्थान पर लोक निर्माण विभाग के कई आ.सं.अ. द्वारा नियमित वेतन शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है। लेखापरीक्षा ने वे.ले.का. के कौम्पैक्ट सॉफ्टवेयर से यह भी सत्यापित किया और पाया कि वे.ले.का. भी ऐसे व्यय को लेखा के नियमित वेतन शीर्ष अर्थात् 2059800018800-01 (वस्तु शीर्ष-वेतन) में दर्ज कर रहे हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि का.प्र. कर्मचारी पर किये गये व्यय को गलत तरीके से वर्गीकृत किया जा रहा है और नियमित वेतन शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है। वर्गीकरण में सुधार हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं।

(iii) आ.सं.अ. द्वारा प्रस्तुत वाउचरों में 'लेखा शीर्ष' का उल्लेख नहीं होना

वाउचरों की जांच परीक्षा में पता चला कि चार वाउचरों में आ.सं.अ. द्वारा 'लेखा शीर्ष' का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि उन्हें वे.ले.का. को प्रस्तुत किया जा रहा है तथा बिना कोई आपत्ति उठाए वे.ले.का. द्वारा उन वाउचरों को पास किया गया है। ऐसे मामलों में आ.सं.अ. द्वारा गलत वर्गीकरण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः वे.ले.का. द्वारा आ.सं.अ. से गलत वर्गीकरण की किसी भी संभावना को इन्कार करने के लिए आ.सं.अ. को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे लेखा शीर्ष के उचित वर्गीकरण का उल्लेख करें जिनके अंतर्गत व्यय को दर्ज किया जाना है।

(iv) वाउचरों में 'बोनस की स्वीकार्यता' नहीं पाये जाने के संबंध में घोषणा

भारत सरकार, वि.मं., व्यय विभाग द्वारा जारी का.जा.सं.-7/24/2007-ई-III(ए) दिनांक 21.10.2020 के अनुलग्नक के अनुसार वैसे कर्मचारियों जो छः महीने की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं और 31 मार्च 2020 को सेवा में हों, वे तदर्थ बोनस के योग्य थे तथा विचाराधीन अवधि के दौरान उनकी सेवा में कोई विराम नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में आ.सं.अ. को तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु एक घोषणापत्र संलग्न करना होगा कि सभी कर्मचारी, जिनको बोनस का भुगतान किया जा रहा है, वे सेवा के छः महीने पूरे कर चुके हैं तथा विचाराधीन अवधि के दौरान सेवा में कोई विराम नहीं है।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 16 मामलों में तदर्थ बोनस के भुगतान से संबंधित मामलों/वाउचरों के साथ ऐसी घोषणा नहीं पाई गई, यद्यपि भुगतान

किया गया था। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका कि कर्मचारी जिन्हें भुगतान किए गए हैं, वे तदर्थ बोनस के योग्य थे या नहीं।

4.9 अनुशंसाएँ

- (i) सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। रा.रा.क्षे.दि.स. को चूककर्ता अनुदानग्राहियों को कोई भी अनुदान या आर्थिक सहायता अथवा अन्य किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता जारी करने से पूर्व सभी लंबित उ.प्र. का पुनरीक्षण करना चाहिए।
- (ii) सरकार को सा.आ. बिलों का समायोजन निर्धारित अवधि के भीतर जैसा कि नियमों के तहत आवश्यक है, करना चाहिए। रा.रा.क्षे.दि.स. को उन सभी आ.सं.अ. का उत्तदायित्व नियत करना चाहिए जिन्होंने सा.आ. बिलों के द्वारा लिए गए अग्रिमों के लिए एवं वर्ष से अधिक से विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत नहीं किया है।
- (iii) वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत आने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ और व्यय उपयुक्त लेखाशीर्षों के अंतर्गत पूर्व में दर्ज हैं।

अध्याय - 5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा की गई है जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है। वर्ष 2020-21 (अथवा पूर्व वर्षों के जिनको चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा संचालित इन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी¹ को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नि.म.ले.प. द्वारा नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नि.म.ले.प. कंपनियों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को बतौर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा उन्हें निर्देश देता है कि किस प्रकार लेखों को लेखापरीक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा

¹ कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) के सातवां आदेश 2014, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 नवम्बर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के तहत जारी किया गया।

के संचालन का अधिकार है। दिल्ली परिवहन निगम (एक सांविधिक निगम) को शासित करने वाले विधानों के अनुसार उनके लेखे केवल नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है जबकि दिल्ली वित्तीय निगम के लिए नि.म.ले.प. पूरक लेखापरीक्षा करता है।

5.3 रा.सा.क्षे.उ. तथा राज्य के स.रा.घ.उ. में उनका योगदान

5.3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम शामिल होते हैं। रा.सा.क्षे.उ. जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किए जाते हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

31 मार्च 2021 को, भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली में दो² सांविधिक निगमों, सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी तथा 15 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे। 15 सरकारी कंपनियों में दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार निष्क्रिय सहायक कंपनियां शामिल हैं, जो विगत तीन वर्षों से अधिक समय से कोई गतिविधियां नहीं कर रही हैं। इन रा.सा.क्षे.उ. का विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है:

तालिका 5.1: रा.सा.क्षे.उ. की सूची

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम
सरकारी कंपनियां	
वित्त	
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त विकास निगम लिमिटेड (दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि.)
अवसंरचना	
2.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (शा.पु.वि.नि.)
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि.)
ऊर्जा	
4.	इन्द्रप्रस्थ ऊर्जा जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (इं.पॉ.जे.कं.लि.)
5.	प्रगति ऊर्जा निगम लिमिटेड (प्र.पॉ.नि.लि.)
6.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.)
7.	दिल्ली ऊर्जा कंपनी लिमिटेड (दि.पॉ.कं.लि.)
सेवाएं	
8.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (दि.प.प.वि.नि.)
9.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (दि.रा.ना.आ.नि.लि.)
10.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जि.दि.लि.)
परिवहन	
11.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.प.अ.वि.नि.लि.)

² दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम
सांविधिक निगम	
वित्त	
12.	दिल्ली वित्तीय निगम (दि.वि.नि.)
परिवहन	
13.	दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.)
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	
सेवाएं	
14.	इंटेलेजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टमस इंडिया लिमिटेड (इं.क.सि.इं.लि.-दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
निष्क्रिय सरकारी कंपनियां	
15.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेन्ट लिमिटेड (दि.क्रि.आ.डि.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
16.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. लीकर लिमिटेड (दि.लि.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
17.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. अनुरक्षण सेवाएं लिमिटेड (दि.अ.से.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
18.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड (दि.ए.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)

5.3.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में रा.सा.क्षे.उ. की टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में रा.सा.क्षे.उ. की गतिविधियों को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का रा.सा.क्षे.उ. तथा स.रा.घ.उ. की कुल टर्नओवर का विवरण तालिका 5.2 में दिए गए हैं।

तालिका 5.2: रा.रा.क्षे.दि.स. के स.रा.घ.उ. की तुलना में रा.सा.क्षे.उ. के कुल टर्नओवर का विवरण

विवरण	(₹ करोड़ में)		
	2018-19	2019-20	2020-21
कुल टर्नओवर	9,318.69	9,573.56	11,505.87
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	7,50,961.61	8,30,872.49	7,98,309.81
दिल्ली के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की प्रतिशतता	1.24	1.15	1.44

स्रोत: टर्नओवर को रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार लिया गया है तथा स.रा.घ.उ. को अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय से लिया गया है

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों के दौरान इन रा.सा.क्षे.उ. के कुल टर्नओवर में उनके नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 23.47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। हालांकि स.रा.घ.उ. में रा.सा.क्षे.उ. का अंशदान नाम मात्र ही रहा।

5.4 रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता

5.4.1 इक्विटी होल्डिंग तथा रा.सा.क्षे.उ. में ऋण

क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 31 मार्च 2021 को दिए गए ऋणों (परिशिष्ट 5.2) सहित दीर्घावधि ऋणों को तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: 31 मार्च 2021 को रा.सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	कंपनियां/सांविधिक निगम	कुल निवेश (₹ करोड़ में)				
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		कुल इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण
		कुल	राज्य सरकार	कुल	राज्य सरकार	
ऊर्जा	कंपनियां	7,506.79	7,106.78	4,713.62	4,036.24	12,220.41
वित्त	कंपनी	50.00	38.12	68.24	68.24	118.24
	सांविधिक निगम	26.48	18.05	33.00	33.00	59.48
सेवा	कंपनियां	25.07	24.04	2.19	2.14	27.26
अवसंरचना	कंपनियां	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00
परिवहन	कंपनी	10.65	10.65	0.00	0.00	10.65
	सांविधिक निगम	1,983.85	1,983.85	11,676.14	11,676.14	13659.99
कुल		9,623.84	9,202.49	16,493.19	15,815.76	26,117.03

स्रोत: 2020-21 का वित्तीय विवरण तथा रा.सा.क्षे.उ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी (दीर्घावधि ऋणों में रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्तमान मेच्युरिटी शामिल है।)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि रा.सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः परिवहन तथा ऊर्जा क्षेत्र पर था, जिससे ₹ 26,117.03 करोड़ के कुल निवेश का क्रमशः 52.34 प्रतिशत तथा 46.79 प्रतिशत प्राप्त हुआ। परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत सांविधिक निगम (दि.प.नि.) ने परिवहन क्षेत्र में कुल निवेश का 99.92 प्रतिशत प्राप्त किया।

5.4.2 रा.सा.क्षे.उ. को अनुदान एवं सब्सिडी

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए क्षेत्रवार कुल अनुदान और सब्सिडी तालिका 5.4 में दी गई है:

तालिका-5.4: रा.सा.क्षे.उ. में अनुदान/सब्सिडी का विवरण

वर्ष	अनुदान एवं सब्सिडी		कुल
	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	
2018-19	1,969.82	41.23	2,011.05
2019-20	2,176.67	8.04	2,184.71
2020-21	2,761.56	0.00	2,761.56
कुल	6,908.05	41.23	6,957.32

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि रा.सा.क्षे.उ. को अनुदान और सब्सिडी के रूप में समर्थन मुख्यतः रा.रा.क्षे.दि.स. से अर्थात् 99.02 प्रतिशत प्राप्त हुआ था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने दि.प.नि. को इसके संचालन के लिए ₹ 6,761.69 करोड़ (97.19 प्रतिशत) की राशि प्रदान की।

5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, रा.सा.क्षे.उ. के विनिवेश/पुनर्गठन/निजीकरण का कोई मामला नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने रा.सा.क्षे.उ. में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति नहीं बनाई है।

5.5 रा.सा.क्षे.उ. से रिटर्न

5.5.1 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2019-20 की तरह, वर्ष 2020-21 में भी 10 लाभ अर्जित करने वाले रा.सा.क्षे.उ.³ थे। लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ 2019-20 में ₹ 1,123.10 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,809.65 करोड़ हो गया।

वर्ष 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष पांच रा.सा.क्षे.उ. (परिशिष्ट 5.1) का विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है।

तालिका 5.5: शीर्ष पांच लाभ अर्जित करने वाले रा.सा.क्षे.उ.

रा.सा.क्षे.उ. का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ में लाभ की प्रतिशतता
प्र.पॉ.नि.लि.	1,562.16	55.60
दि.ट्रां.लि.	606.60	21.59
दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि.	219.09	7.80
इ.पा.जे.कं.लि.	190.93	6.80
दि.पॉ.कं.लि.	126.87	4.51
कुल	2,705.65	96.30

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियाँ

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 2,705.65 करोड़ के निवल लाभ जो 10 रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ का 96.30 प्रतिशत था, पांच रा.सा.क्षे.उ. द्वारा योगदान किया गया था, जिनमें से अधिकतम लाभ अर्जित प्र.पॉ.नि.लि. ने किया।

5.5.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

रा.रा.क्षे.दि.स. ने लाभांश नीति तैयार की थी (17 अगस्त 2021) जिसके तहत रा.सा.क्षे.उ. को कर देने के बाद लाभ के 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना होगा, जो वर्तमान कानूनी प्रावधान के तहत अधिकतम लाभांश के अनुसार अनुमत है। नौ रा.सा.क्षे.उ. जिसने लाभ अर्जित किया तथा जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, किसी ने भी वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

³ दि.रा.औ.अ.वि.नि., प्र.पॉ.क.लि., इ.पा.जे.कं.लि., दि.ट्रां.लि., दि.पॉ.क.लि., इ.क.सि.इ.लि., दि.रा.ना.आ.नि., दि.प.प.वि.नि., जि.दि.लि., दि.प.अ.वि.नि.। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत एक रा.सा.क्षे.उ. (शा.पु.वि.नि.) गैर-लाभकारी कंपनी है।

5.6 ऋण सेवाएँ

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर देय ब्याज के लिए कंपनी की योग्यता निश्चित करने हेतु किया जाता है तथा इसकी गणना कंपनी के ब्याज एवं कर से पहले की आय (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज हेतु व्यय द्वारा विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज के भुगतान की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से कम का ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी अपने ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी।

ऐसे रा.सा.क्षे.उ., जिनमें ब्याज का भार था, के ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण तालिका 5.6 में दिए गए हैं।

तालिका 5.6: रा.सा.क्षे.उ. को ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज देयता (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	उन रा.सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके ऊपर सरकार तथा अन्य वित्त संस्थानों की ब्याज देयता है	1 से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात रखने वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात रखने वाली कंपनियों की संख्या
2018-19	5,005.46	1,645.16	6	3	3
2019-20	5,701.94	1,382.53	6	3	3
2020-21	6,844.49	3,470.25	7	3	4

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणी

यह पाया गया कि तीन रा.सा.क्षे.उ.⁴ में ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था, लेकिन चार⁵ अन्य रा.सा.क्षे.उ. में 2020-21 के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये चार रा.सा.क्षे.उ. अपने ब्याज देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे। दि.पॉ.कं.लि. पर ₹ 3,326.39 करोड़ के ऋण के प्रति ₹ 316.01 करोड़ की ब्याज देयता थी जिसे व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था लेकिन रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य दर्शाया गया तथा राज्य सरकार ने बदले में भारत सरकार से ऋण को बट्टे खाते में डालने का आग्रह किया, हालांकि, इसके लिए कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2021)। दि.प.नि. तथा दि.वि.नि. ने भी रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण पर ब्याज भुगतान नहीं किया था।

5.6.2 रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋणों पर अभुक्त ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान किए गए पांच रा.सा.क्षे.उ. के

⁴ दि.द्रां.लि., इ.पॉ.ज.कं.लि. तथा प्र.पॉ.क.लि.

⁵ दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि., दि.वि.नि., दि.प.नि. तथा दि.पॉ.क.लि.

ऋणों पर ₹ 35,522.14 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर अभुक्त ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका 5.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.7- रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर अभुक्त ब्याज

रा.सा.क्षे.उ. का नाम	रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर अभुक्त ब्याज	रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर एक वर्ष से कम समय के लिए अभुक्त ब्याज	रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर 1-3 वर्षों के लिए अभुक्त ब्याज	रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर तीन वर्षों से अधिक के लिए अभुक्त ब्याज
इ.पॉ.जे.कं.लि.	814.30	74.59	195.86	543.85
प्र.पॉ.कं.लि.	485.64	116.20	289.21	80.23
दि.वि.नि.	18.15	3.30	6.60	8.25
दि.प.नि.	32,248.27	6,144.54	9,752.65	16,351.08
दि.पॉ.कं.लि.	1,955.78	316.01	632.02	1,007.75
कुल	35,522.14	6,654.64	10,876.34	17,991.16

(₹ करोड़ में)

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी तथा रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियां।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इ.पॉ.जे.कं.लि. तथा प्र.पॉ.कं.लि. ने लाभ अर्जित करने के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 1,109.15 करोड़ की ब्याज राशि के भुगतान में चूक किया। दि.प.नि. के मामले में इसने न तो ₹ 11,676.14 करोड़ का मूलधन चुकाया (2007-08 से) और न ही ₹ 32,248.27 करोड़ के ब्याज (2011-12 से) का भुगतान किया।

5.7 रा.सा.क्षे.उ. का निष्पादन

5.7.1 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (नि.पू.प.रि.) एक अनुपात है, जो कंपनी की लाभदायिकता तथा दक्षता को मापता है जिससे इसकी पूंजी नियोजित की जाती है। नि.पू.प.रि. की गणना नियोजित⁶ पूंजी द्वारा ब्याज तथा करों से पहले कंपनी के अर्जन (ई.बी.आई.टी.) को विभाजित करके की जाती है। 13 रा.सा.क्षे.उ., जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान निवेश किया था (परिशिष्ट 5.1), के नि.पू.प.रि. के विवरण तालिका 5.8 में दिए गए हैं।

तालिका 5.8: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नि.पू.रि. (प्रतिशत में)
2018-19	2,036.61	(-)6,198.10	(-)32.86
2019-20	2,022.62	(-)11,192.35	(-)18.07
2020-21	3,762.72	(-)15,597.80	(-)24.12

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणी

⁶ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व व अधिशेष+ दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय

यह पाया गया था कि नि.पू.प.रि. सभी वर्षों में ऋणात्मक था, जो मुख्यतः ₹ 31,240.53 करोड़ के दि.प.नि. का ऋणात्मक पूंजी निवेश (संचित हानियां प्रदत्त शेयर पूंजी, फ्री रिजर्वस और अधिशेष तथा दीर्घावधि ऋण की कुल योग राशि से अधिक होती है) के कारण था। यदि दि.प.नि. की नियोजित पूंजी को हटा दिया जाता है तो शेष 12 रा.सा.क्षे.उ. की नियोजित पूंजी ₹ 15,642.73 करोड़ और नि.पू.प.रि. 23.92 प्रतिशत थी।

5.7.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (इ.प.रि.) वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है यह आकलन करने के लिए कि किसी कंपनी की संपत्ति का उपयोग लाभ बनाने के लिए कितना प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। इ.प.रि. की गणना, शेयरधारकों की निधि⁷ से निवल आय (अर्थात् करों के पश्चात निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है, यदि निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों घनात्मक संख्याएं हैं।

शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितनी निधि बच जाएगी, यदि सभी परिसंपत्तियों की बिक्री हो जाए तथा सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए। एक घनात्मक शेयरधारक निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारक निधि का तात्पर्य देयताओं की परिसंपत्तियों से अधिक होना है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश (परिशिष्ट 5.1) के साथ, 13 रा.सा.क्षे.उ. से संबंधित शेयरधारकों की निधि के विवरण तालिका 5.9 में दिये गये हैं।

तालिका 5.9: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा रा.सा.क्षे.उ. में लगाई गई निधियों से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	कुल निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इ.प.रि. (प्रतिशत)
2018-19	(-)3,489.59	(-)22,120.85	-
2019-20	(-)4,175.27	(-)26,292.35	-
2020-21	(-)3,358.75	(-)29,918.53	-

चूंकि, 2018-19 से 2020-21 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. के शेयरधारकों की निधि के साथ साथ निवल आय ऋणात्मक थी, इसलिए इ.प.रि. की गणना नहीं की गई थी। 2018-19 से 2020-21 के सभी वर्षों के लिए निवल आय दि.प.नि. द्वारा

⁷ शेयरधारकों की निधि = प्रदत्त पूंजी + फ्री रिजर्वस - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय

अपने नवीनतम अंतिम खाते के अनुसार हानियों के कारण नकारात्मक थी, जिसने अन्य रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभों को भी समाप्त कर दिया। शेरधारकों की निधि मुख्यतः दि.प.नि. की संचित हानियों के कारण नकारात्मक थी जो नवीनतम अंतिम खातों (2019-20) के अनुसार ₹ 44,900.52 करोड़ तक बढ़ गई थी।

5.7.3 निवेश पर रिटर्न

निवेश पर रिटर्न कुल निवेश में लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। राज्य के 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से रा.रा.क्षे.दि.स. ने केवल 13 रा.सा.क्षे.उ. में निधियों की इक्विटी, ऋणों व अनुदानों/सब्सिडी के रूप में लगाया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने शेष पांच⁸ रा.सा.क्षे.उ. में कोई प्रत्यक्ष निधि नहीं लगाई थी।

5.7.4 सरकारी निवेशों पर रेट ऑफ रियल रिटर्न (आर.ओ.आर.आर.)

आर.ओ.आर.आर. उस लाभप्रदता और क्षमता को मापता है जिसके साथ इक्विटी और इसी तरह की गैर ब्याज वाली पूंजी को नियोजित किया गया है, उनके समय मूल्य (वर्तमान मूल्य (पी.वी.)) के समायोजन के बाद, रिटर्न की पारंपरिक दर की तुलना में महत्वपूर्ण माना जाता है जिसे ऐतिहासिक लागत पर गिने जाने वाले ऐसे सभी निवेशों के योग से कर देने के बाद लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

13 रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के आर.ओ.आर.आर. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई:

- रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान तथा रा.सा.क्षे.उ. को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए सब्सिडी के रूप में वास्तविक निवेश को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष⁹ के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर का व.मू. निकालने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में लिया गया क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश में सरकार द्वारा किए गए खर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न के न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया था।
- रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश की आर.ओ.आर.आर. गणना के उद्देश्य से,

⁸ दि.ए.लि., दि.क्रि.आ.डे., दि.अ.से.लि. तथा दि.लि.लि., दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. की सहायक कंपनियां हैं, जिसने उनकी पूंजी में अंशदान किया था। इसके अतिरिक्त, इ.क.सि.इं.लि.के मामले में दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि., टी.सी.आई.एल. तथा अन्य दो कंपनियों ने पूंजी लगाई थी।

⁹ सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को, संबंधित वर्ष के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखा से लिया गया था।

2002-03¹⁰ से लेकर 2020-21 तक की अवधि को इन 13 रा.सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2002 तक निवेश को 2002-03 की शुरुआत में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के व.मू. के रूप में माना गया है।

2002-03 से 31 मार्च 2021 तक, 13 रा.सा.क्षे.उ. से संबंधित रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के आर.ओ.आर.आर. की समेकित स्थिति तालिका 5.10 में इंगित है।

तालिका 5.10: 2002-03 से 2020-21 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश के वर्ष-वार विवरण तथा सरकारी निधियों का आर.ओ.आर.आर.

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचारित इन्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन व प्रशासनिक व्ययों के लिए अनुदान तथा सबसिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों के खर्च की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन/घाटा(-)
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii	ix=(vii*(1+viii)/100)	x=(viii*vii)/100	xi
2002-03	183.06 ¹¹	324.41	0.00	0.20	324.61	507.67	11.17	564.38	56.71	-1872.94
2003-04	564.38	0.00	0.00	0.20	0.20	564.58	10.65	624.70	60.13	-534.27
2004-05	624.70	0.00	0.00	0.20	0.20	624.90	10.34	689.52	64.62	-1375.28
2005-06	689.52	0.00	0.00	130.87	130.87	820.39	8.87	893.16	72.77	-1859.78
2006-07	893.16	3.11	0.00	42.07	45.18	938.34	9.35	1026.07	87.73	-864.09
2007-08	1026.07	4471.80	0.00	33.56	4505.36	5531.43	9.84	6075.73	544.29	-1749.46
2008-09	6075.73	715.19	0.00	19.25	734.44	6810.17	9.90	7484.37	674.21	-1672.67
2009-10	7484.37	1128.25	0.00	96.25	1224.50	8708.87	9.52	9537.96	829.08	-1788.68
2010-11	9537.96	464.00	0.00	402.98	866.98	10404.94	9.10	11351.79	946.85	-1557.81
2011-12	11351.79	665.48	40.00	764.59	1470.07	12821.86	9.77	14074.55	1252.70	-1969.18
2012-13	14074.55	498.55	50.00	1310.54	1859.09	15933.64	9.73	17483.98	1550.34	-1775.75
2013-14	17483.98	745.00	1.00	1409.70	2155.70	19639.68	9.21	21448.50	1808.81	-2034.69
2014-15	21448.50	-1.15	7.00	1438.75	1444.60	22893.10	8.59	24859.62	1966.52	-942.51
2015-16	24859.62	0.00	0.00	1416.93	1416.93	26276.55	8.54	28520.56	2244.02	-2049.81
2016-17	28520.56	0.00	0.00	1792.66	1792.66	30313.22	8.65	32935.32	2622.09	-2867.88
2017-18	32935.32	0.00	0.00	2078.18	2078.18	35013.50	8.58	38017.66	3004.16	-2895.56
2018-19	38017.66	0.00	0.00	1890.95	1890.95	39908.61	8.64	43356.71	3448.10	-3489.59
2019-20	43356.71	4.80	0.00	2162.44	2167.24	45523.95	8.14	49229.60	3705.65	-4175.27
2020-21	49229.60	0.00	0.00	2639.68	2639.68	51869.28	7.04	55520.88	3651.60	-3358.75
कुल		9019.44	98.00	17,630.00	26,747.44					

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंधित वर्षों के वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी

इन 13 रा.सा.क्षे.उ. में वर्ष के अंत में रा.रा.क्षे.दि.स. का निवेश 2002-03 में ₹ 507.67 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 9,202.50 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2021 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेशों का व.मू.

¹⁰ रा.सा.क्षे.उ. से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

¹¹ वर्ष 2001-02 तक 13 रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए निवेश का अंतिम शेष।

₹ 55,520.88 करोड़ परिकल्पित किया गया। तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनियों का कुल अर्जन 2002-03 से 2020-21 तक की पूरी अवधि के दौरान ऋणात्मक रह गया है। इसका कारण यह था कि दि.प.नि. को हुए नुकसान (1996-97 में स्थापना के बाद से घाटे में) मुख्य रूप से अन्य रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ समाप्त होने के कारण थे।

5.8 रा.सा.क्षे.उ. में हानियों का होना

5.8.1 हानियाँ हुईं

सात¹² रा.सा.क्षे.उ. ऐसे थे जिसमें उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार मार्च 2021 के अंत में हानियाँ हुई थी। उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार इन हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा होने वाली हानियाँ 2018-19 में ₹ 4,386.79 करोड़ तथा 2019-20 में ₹ 5,294.16 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 6,162.64 करोड़ हो गईं जैसा कि तालिका 5.11 में दिया गया है।

तालिका 5.11: रा.सा.क्षे.उ. का विवरण जिनमें हानियाँ हुईं

वर्ष	हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य ¹³
2018-19	11 ¹⁴	4,386.79	-32,499.28	-29,436.93
2019-20	7 ¹⁵	5,294.16	-38,741.28	-36,685.71
2020-21	7 ¹⁶	6,162.64	-44,889.77	-42,834.20

वर्ष 2020-21 के दौरान, इन सात हानि-वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा की गई ₹ 6,162.64 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 6,147.06 करोड़ (99.75 प्रतिशत) की हानि अकेले दिल्ली परिवहन निगम को हुई थी। हानियों के कारण निम्नलिखित हैं:

क. दि.प.नि.:

दि.प.नि. द्वारा उठाई गई हानियाँ मुख्य रूप से नवम्बर 2009 से किराए में संशोधन न होना, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी योजनागत और गैर योजनागत ऋणों पर ब्याज के बोझ के कारण थी। परिणामस्वरूप, दि.प.नि. ना तो रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ऋण चुकाने की स्थिति में है (2007-08 से) ना ही उस पर ब्याज चुकाने की स्थिति में है (2011-12 से)। इसे 2011-12 के बाद से

¹² शा.पु.वि.नि. ने 2019-20 में कोई लाभ/हानि अर्जित नहीं की अतः, इसे हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. में नहीं माना गया।

¹³ निवल मूल्य का अर्थ है कुल प्रदत्त शेयर पूंजी तथा फ्री रिजर्व व अधिशेष का जोड़, घटा संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय। फ्री रिजर्व का अर्थ है लाभ तथा शेयर प्रीमियम खाता से बने सभी रिजर्व्स, परन्तु इसमें परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन में से उत्पन्न रिजर्व्स तथा मूल्यहास प्रावधान, का राईट बैंक शामिल नहीं है।

¹⁴ दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. की चार सहायक कंपनियाँ, शा.पु.वि.नि., दि.प.नि., एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी, इ.पॉ.ज.कं.लि., दि.वि.नि., दि.रा.औ.अ.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

¹⁵ दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. की चार सहायक कंपनियाँ, दि.प.नि., दि.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि.

¹⁶ दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार सहायक कंपनियाँ, दि.प.नि., दि.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि.।

रा.रा.क्षे.दि.स., दि.प.नि. को वित्तीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान (स.अ.) जारी किया। दि.प.नि. ने 2011-21 के दौरान ₹ 14,241 करोड़ की राशि का स.अ. प्राप्त किया था। 2011 से पहले, दि.प.नि. ने रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 11,676 करोड़ का ब्याज सहित ऋण प्राप्त किया था। मार्च 2020 तक, संचित अभुक्त ब्याज राशि ₹ 32,248 करोड़ थी। इस प्रकार ₹ 44,900 करोड़ की कुल संचित हानियों (मार्च 2020 तक) का 72 प्रतिशत अर्थात् ₹ 32,248 करोड़ संचित अभुक्त ब्याज के कारण था।

दि.प.नि. ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु दिल्ली सरकार को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (2016) जो अभी भी निर्णय हेतु लंबित था (दिसम्बर 2021)।

क. ₹ 511 करोड़ के बकाया योजना ऋण को इक्विटी में बदलना।

ख. ₹ 11,165 करोड़ के बकाया गैर योजना ऋण को स.अ. में बदलना तथा ₹ 16,330.59 करोड़ के संचित ब्याज (31 मार्च 2017 तक) को स.अ. में बदलना।

ग. किरायों का संशोधन क्योंकि नवम्बर 2009 से कोई संशोधन नहीं हुआ था।

ख. दि.वि.नि.

दि.वि.नि. द्वारा उठाई गई हानियां 31.03.2020 तक ₹ 20.19 करोड़ के अपने गैर-निष्पादित संपत्ति (गै.नि.स.) के कारण थी, जो कुल वितरित ऋण का 41.83 प्रतिशत था, बैंक ऋणों पर 6 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत पर निधियों का बहुत अधिक लागत, सिडबी से पुनर्वित्त की समाप्ति तथा ₹ 33 करोड़ के रा.रा.क्षे.दि.स. से ऋण पर ब्याज की उच्च दर के कारण व्यापार में कमी आई है।

ग. अन्य

दि.रा.औ.अ.वि.नि. के घाटे में चल रही चार सहायक कंपनियों दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. लीकर लिमिटेड तथा दि.रा.औ.अ.वि.नि. अनुरक्षण सेवाएं लिमिटेड को 2011 में ₹ एक लाख के निवेश के साथ लाभप्रदता तथा धन वृद्धि के लिए बनाया गया था। एक¹⁷ को छोड़कर (2012-13 से 2014-15 के दौरान) इन कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू नहीं किया और अब तक निष्क्रिय रही (दिसम्बर 2021)। सितम्बर 2014 में, इन सहायक कंपनियों की संपत्ति एवं देयताओं को दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। 2012-13 से 2019-20

¹⁷ दि.ए.लि.

के दौरान, इन कंपनियों ने नगण्य आय अर्जित किया। लेकिन लेखापरीक्षा शुल्क तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फीस दाखिल करने पर वार्षिक खर्च किया। 2014-15 में दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा संपत्ति और देयताओं के अधिग्रहण के बावजूद, यह अब तक इन कंपनियों को बंद करने का निर्णय लेने में विफल रहा तथा इन कंपनियों के गैर-कार्यान्वयन के कारण इन कंपनियों को बनाने का उद्देश्य अधूरा रह गया जिसके परिणामस्वरूप दि.रा.औ.अ.वि.नि. को ₹ 20.64 लाख की हानि हुई।

5.8.2 रा.सा.क्षे.उ. में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2021 तक ₹ 46,003.49 करोड़ की संचित हानियों वाले तीन रा.सा.क्षे.उ. थे, जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने इक्विटी तथा ऋणों का निवेश किया था। इन तीन रा.सा.क्षे.उ. में दो रा.सा.क्षे.उ. (दि.प.नि. तथा दि.वि.नि.) की हानियाँ क्रमशः ₹ 6,147.06 करोड़ तथा ₹ 12.38 करोड़ थी तथा एक¹⁸ रा.सा.क्षे.उ. में हानि नहीं हुई थी, हालांकि अपने नवीनतम अंतिम खातों (2019-20) के अनुसार उनकी संचित हानि ₹ 1,100.32 करोड़ थी।

इन तीन रा.सा.क्षे.उ. में से दो¹⁹ का निवल मूल्य संचित हानियों से पूरी तरह समाप्त हो गया था तथा उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। 31 मार्च 2021 तक इन दो रा.सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य ₹ 2,728.90 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 43,271.94 करोड़ था। दो रा.सा.क्षे.उ., जिसकी पूंजी का क्षरण हो चुका था, में से दि.पाँ.क.लि. ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 126.87 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इन दो रा.सा.क्षे.उ. का 31 मार्च 2021 तक ₹ 12,341.42 करोड़ के सरकारी ऋण बकाया थे।

5.9 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा (7) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सरकारी कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है। नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा संचालित करने तथा उस पर टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने का अधिकार है। विधि शासित निगमों के लिए आवश्यक है कि उनके लेखे नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किए जाए तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किया जाए।

¹⁸ दि.पाँ.क.लि.

¹⁹ दि.पाँ.क.लि. तथा दि.प.नि.

5.10 नि.म.ले.प. द्वारा सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी के मामले में नि.म.ले.प. द्वारा वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को 2020 के दौरान नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया गया था।

5.11 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखाओं की सामयिक प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी की कार्यप्रणाली एवं कार्य पर वार्षिक प्रतिवेदन उसके वार्षिक आम बैठक²⁰ (वा.आ.बै.) के तीन महीनों के भीतर तैयार किए जाने होते हैं। इस तरह की तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियों सहित अथवा उसके पूरक के रूप में विधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में समान प्रावधान मौजूद है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वा.आ.बै. आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक वा.आ.बै. और अगली बैठक की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कथित वा.आ.बै. में उनके विचारार्थ रखा जाना होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित संबंधित व्यक्तियों पर दण्ड तथा कारावास जैसे जुर्माने के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

²⁰ पहली वा.आ.बै. के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर तथा अन्य किसी मामले में वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से छः महीने के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक की जाएगी।

30 नवम्बर 2021 को विभिन्न रा.सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे बकाया थे, जिनका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में है।

5.11.2 सरकारी कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने की सामयिकता

31 मार्च 2021 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा की परिधि के अंतर्गत 16 सरकारी कंपनियां थीं। हालांकि, केवल सात सरकारी कंपनियों ने अपने लेखे 30 नवम्बर 2021²¹ तक नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए तैयार तथा प्रस्तुत किये थे। नौ सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। सरकारी कंपनियों के लेखों की प्रस्तुति में बकायों के विवरण तालिका 5.12 में दिये गये हैं।

तालिका 5.12: सरकारी कंपनियों के लेखों की प्रस्तुति में बकाया के विवरण

विवरण		संख्या
कंपनियों की संख्या जिनके 2020-21 के लेखे देय थे		16
कंपनियों की संख्या जिन्होंने 30 नवम्बर 2021 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के लिए लेखे तैयार एवं प्रस्तुत किए		07
बकाया लेखों की संख्या (नौ सरकारी कंपनियों)		14
बकायों का ब्रेक अप	एक वर्ष के लिए बकाया (2020-21)	08 ²²
	दो वर्ष (2019-20 तथा 2020-21)	-
	तीन वर्ष से अधिक के लिए बकाया	1 ²³

प्र.पॉ.नि.लि., दि.रा.ना.आ.नि.लि., दि.प.अ.वि.नि.लि., इं.पॉ.जे.क.लि., दि.पॉ.कं.लि., दि.ए.लि., दि.क्रि.आ.डे.लि. तथा जि.दि.लि. के लेखें 2020-21 के लिए बकाया थे तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि. के लेखें छः वर्षों (2015-16 से 2020-21) के लिए बकाया थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने उस अवधि के दौरान दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि. में ₹ 19.56 करोड़ (इक्विटी: ₹ 4.80 करोड़, ऋण: ₹ 6.00 करोड़ तथा अनुदान: ₹ 8.76 करोड़) का निवेश किया, जब उसके लेखें बकाया थे। लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के अभाव में, दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि. में सरकारी निवेश लेखापरीक्षा तथा राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा।

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में सामयिकता

दो सांविधिक निगमों (दि.वि.नि. एवं दि.प.नि.) की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। वर्ष 2020-21 के लिए दोनों सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा 30 नवम्बर 2021 तक तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किये गए थे। दि.प.नि. द्वारा 2020-21 के दौरान अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं देने के

²¹ भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 23 सितम्बर 2021 के आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों की वा.आ.बैं. रखने की तारीख 30 नवम्बर 2021 तक बढ़ाई गई।

²² प्र.पा.कं.लि., दि.रा.ना.आ.नि., दि.प.अ.वि.नि., इं.पॉ.ज.कं.लि., दि.पॉ.कं.लि., दि.ए.लि., दि.क्रि.आ.डे.लि., तथा जि.दि.लि.।

²³ 2015-16 से 2020-21 तक दि.अ.जा.वि.वि.नि. के छः लेखे बकाया थे।

बावजूद रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 2,575.24 करोड़ का निवेश किया। दि.प.नि. के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह लेखापरीक्षा एवं राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा।

5.12 नि.म.ले.प. की निरीक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से वित्तीय विवरणी तैयार करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करने की आवश्यकता है। सांविधिक निगमों के लिए आवश्यक है कि वे अपने लेखे नि.म.ले.प. के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत तैयार करें।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार प्रस्तुत करते हैं।

नि.म.ले.प. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी करके निरीक्षण की भूमिका अदा करता है जिसका समग्र उद्देश्य है कि सांविधिक लेखापरीक्षक अपने निर्धारित कार्यों को ठीक से और प्रभावी ढंग से करें। इस कार्य का निर्वहन, शक्ति के प्रयोग द्वारा किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना तथा
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक अथवा टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में मुख्य उत्तरदायित्व, एक निकाय के प्रबंधन का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. को प्रस्तुत करना आवश्यक है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत वा.आ.बै. में रखने के लिए सूचित किया जाता है।

5.13 नि.म.ले.प. की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

01 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक 12 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2020-21 तथा पूर्व वर्षों के लिए 14 वित्तीय विवरणियाँ प्राप्त की गईं। इसमें से, नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा में रा.सा.क्षे.उ. के 10 वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई तथा शेष चार वित्तीय विवरणों के संबंध में इसकी समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया गया था। समीक्षा के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तृत है।

5.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी नि.म.ले.प. की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 और पूर्व वर्षों के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद नि.म.ले.प. ने 11 सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा को संचालित किया। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जारी की गयीं जिसका वित्तीय प्रभाव परिसंपत्तियों/देयताओं के साथ-साथ लाभप्रदता पर ₹ 25.29 करोड़ था, का विवरण तालिका 5.13 तथा तालिका 5.14 में दिया गया है।

तालिका 5.13: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	दि.प.अ.वि. नि. (2019-20)	<p>विज्ञापन एजेंसियों से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क के सम्मिलन की कमी के कारण दि.प.अ.वि.नि. के लाभ को ₹ 1.06 करोड़ कम बताया गया। 2018-19 के दौरान समान टिप्पणी जारी की थी।</p> <p>लेखों में ₹ 4.83 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज के प्रावधान की कमी के कारण दि.प.अ.वि.नि. का लाभ ₹ 4.83 करोड़ से अधिक बताया गया। 2016-17 से 2018-19 के दौरान समान टिप्पणी जारी की थी।</p> <p>दि.प.अ.वि.नि. ने ₹ 13.87 करोड़ के बस क्यू शेल्टरों से अर्जित राजस्व पर दिल्ली नगर निगम के 50 प्रतिशत हिस्से के लिए देयता का प्रावधान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देयताओं को कम करके तथा लाभ को ₹ 13.87 करोड़ से अधिक बताया गया है।</p> <p>लाभ को ₹ 74.39 लाख अधिक बताया गया था क्योंकि आर्बिट्रेटर/अदालत के आदेशानुसार वॉच एंड वार्ड सेवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक प्रावधान को ₹ 74.39 लाख कम बताया गया है।</p>
2	इं.क.सि.इं. लि. (2019-20)	परिसर के लिए दि.रा.औ.अ.वि.नि. को देय किराया हेतु प्रावधान की कमी तथा उस पर देय ब्याज राशि ₹ 1.69 करोड़ के कारण इं.क.सि.इं.लि. का लाभ ₹ 1.69 करोड़ अधिक बताया था।
3	दि.अ.जा.वि. वि.नि. (2013-14)	<p>2009-14 की अवधि के लिए विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों और यांत्रिक उपकरणों के लिए व्यय की बुकिंग की कमी के कारण दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने लाभ को ₹ 113.19 लाख से अधिक बताया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को ₹ 130.86 लाख से कम तथा वर्तमान परिसंपत्तियों (अग्रिम) को ₹ 17.67 लाख से अधिक बताया है।</p> <p>दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने उन लाभार्थियों, जिनकी या तो मृत्यु हो गई थी या उनके ठिकाने उपलब्ध नहीं थे, के देय ₹ 4.08 करोड़ के संबंध में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों को अधिक बताया गया तथा लाभ को ₹ 4.08 करोड़ से अधिक बताया गया। 2012-13 के लेखों पर भी समान टिप्पणी की गई थी।</p>

तालिका 5.14: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	दि.पॉ.क.लि. (2019-20)	<ul style="list-style-type: none"> दि.पॉ.क.लि. ने लेखांकन नीति सं. 10 एवं इंड एस 7 का उल्लंघन करते हुए बैंक बैलेंस तथा नगद एवं नगद समकक्ष के बजाय जमा के तहत 3 महीने से कम मेच्युरिटी वाले ₹ 35.01 करोड़ के सावधि जमा को शामिल किया है।
2	दि.अ.जा.वि. वि.नि. (2013-14)	<ul style="list-style-type: none"> दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्या./अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विभाग से प्राप्त ऋणों को स्वीकृत आदेशों की शर्तों के विरुद्ध अनुदान के रूप में व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप सहायता अनुदान को अधिक बताया गया एवं गैर जमानती ऋण को ₹ 14.46 करोड़ से कम बताया गया है। 2012-13 के लेखों पर भी समान टिप्पणी की गई थी।

5.13.3 सांविधिक निगम जहां नि.म.ले.प. एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक हैं

सांविधिक निगम, जहां नि.म.ले.प. एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है, के लेखों पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिसका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता और साथ ही परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 786.23 करोड़ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सांविधिक निगमों के लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव दिल्ली परिवहन निगम (2018-19)

- 31 मार्च 2019 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ग्रेच्युटी देयता के लिए ₹ 798.11 करोड़ का प्रावधान था लेकिन दि.प.नि. ने केवल ₹ 58.63 करोड़ बुक किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 739.48 करोड़ की सीमा तक की ग्रेच्युटी के प्रावधान को कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने सेवा कर विभाग द्वारा उठाया गया ₹ 5.07 करोड़ के सेवा कर हेतु देयता नहीं दर्शायी थी, जिसके लिए निगम द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निवल हानि, अन्य देयताओं एवं व्यय को ₹ 5.07 करोड़ से कम बताया गया था।
- दि.प.नि. ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (दि.प.प.वि.नि.) से हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ बसों की पार्किंग के लिए बतौर किराए/बिजली/पानी शुल्क के ₹ 2.40 करोड़ के प्राप्य को दिखाया था। हालांकि निगम ने पार्किंग शुल्क माफ करने पर सहमति जताई और बिजली, सुरक्षा एवं पानी शुल्क हेतु ₹ 9.33 लाख का बिल उत्थित किया, लेकिन ₹ 2.31 करोड़ के पार्किंग शुल्क को खारिज नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्तियों को अधिक बताया गया तथा व्यय एवं हानि को ₹ 2.31 करोड़ से कम बताया गया है।
- दि.प.नि. ने आई.पी. पावर स्टेशन पर सुरक्षित पार्किंग के संबंध में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अ.वि.नि.) को ₹ 2.07 करोड़ का अग्रिम दिया था। ये अग्रिम नौ वर्ष से अधिक पुराने थे, लेकिन इस संबंध में संदिग्ध अग्रिमों का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अग्रिमों को

अधिक बताया गया और व्यय एवं हानि को ₹ 2.07 करोड़ से कम बताया गया है।

- दि.प.नि. ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार ग्रेच्युटी की सीमा को ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख करने के कारण ग्रेच्युटी के अंतर के रूप में ₹ 9.33 करोड़ का प्रावधान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी फंड के योगदान के साथ-साथ निवल हानि को ₹ 9.33 करोड़ से कम बताया गया है।
- दि.प.नि. ने मेसर्स ट्राइमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड पर जुर्माना लगाया था, जिसके प्रति दिवाला कार्यवाही शुरू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों को अधिक बताया गया तथा निवल हानि को ₹ 15.67 करोड़ से कम बताया गया।

दिल्ली वित्त निगम (2019-20)

- दि.वि.नि. ने दि.वि.नि. के कर्मचारी पेंशन ट्रस्ट के लिए ₹ 12.30 करोड़ के साथ ब्याज की देयता दर्ज नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप देयताओं एवं हानि को उसी हद तक कम बताया गया है।

5.14 लेखांकन मानकों के प्रावधान के अनुपालना की कमी

उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने लेखा मानक 1 से 7 तथा 9 से 29 निर्धारित किया। इनके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि पांच रा.सा.क्षे.उ. ने अनिवार्य लेखा मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया था जैसा कि तालिका 5.15 में वर्णित है।

तालिका 5.15: सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित लेखा मानकों (एस)/ भारतीय लेखा मानकों (इंड-एस) का गैर अनुपालन

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेखों का वर्ष	एस/इंड-एस की संख्या
1	इंद्रप्रस्थ पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2019-20	इंड एस 109
2	दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	एस-19, एस-29, एस-3, एस-5
3	प्रगति पॉवर निगम लिमिटेड	2019-20	इंड एस 109, 24, 114, 116
4	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड	2012-13 तथा 2013-14	एस-15

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, नि.म.ले.प. ने पाया कि तालिका 5.16 में वर्णित निम्नलिखित रा.सा.क्षे.उ. ने भी लेखा मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया था, जिसे उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित नहीं किया गया था:

तालिका 5.16: लेखा मानकों/इंड एस पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	एस/इंड एस	टिप्पणी
1	इं.पॉ.जे.के.लि. (2019-20)	इंड एस-115 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने राजस्व को पहचानने के लिए उपयोग की गई विधि तथा इस विधि का उपयोग क्यों किया गया का स्पष्टीकरण का खुलासा नहीं किया था जो इंड एस 115 की आवश्यकता का उल्लंघन में वस्तु या सेवाओं के हस्तान्तरण का विश्वसनीय चित्र प्रदान करता है।
2	दि.पॉ.के.लि. (2019-20)	इंड एस-39 वित्तीय दस्तावेज: मान्यता तथा माप	<ul style="list-style-type: none"> इंड एस-39 के उल्लंघन में, दि.पॉ.के.लि. ने आकस्मिक देयताओं के तहत प्रकट किए गए 19 दावों के संबंध में आकस्मिक देयता की प्रकृति के संक्षिप्त विवरण को उजागर नहीं किया था।
3	दि.प.नि. (2018-19)	एस-12 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एस-15 कर्मचारी का लाभ	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट अचल संपत्तियों के लिए पूंजीगत कार्यों (बस डिपॉ/टर्मिनलों का निर्माण) के लिए सहायता अनुदान के व्यवहार पर लेखांकन नीति लाभ और हानि लेखा में निगम की आय के रूप में परिलक्षित होती है जो लेखांकन मानक 12 की आवश्यकता के उल्लंघन में थी। 2006-07 से 2018-19 की अवधि के दौरान, निगम ने बस डिपो के निर्माण के लिए उपयोग किए गए अनुदान के कारण ₹ 159.31 करोड़ की आय दिखाई थी। निगम ने लेखांकन मानक-15 की आवश्यकता के उल्लंघन में बीमांकिक आधार पर अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं बनाया।
4	दि.प.अ.वि.नि. (2019-20)	एस-3 कैश फ्लो विवरणियां	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (दि.इं.म.मॉ.ट्रां.सि.) को अ.रा.ब.ट. के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए पूंजीगत अग्रिम के रूप में ₹ 2.61 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। इस राशि को निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो के बजाय वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो के तहत गलत तरीके से शामिल किया गया था जो कि लेखांकन मानक-3 का उल्लंघन था।

5.15 प्रबंधन पत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणियों पर सामग्री अवलोकन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा टिप्पणियों के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नि.म.ले.प. द्वारा देखी गयी अनियमितताओं या कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रबंधन पत्र के माध्यम से भी प्रबंधन को सूचित किया गया था। वर्ष के दौरान, नि.म.ले.प. ने 10 रा.सा.क्षे.उ. को प्रबंधन पत्र जारी किये। इन प्रबंधन पत्रों में प्रबंधन द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता वाली कमियों को उजागर किया गया था।

5.16 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2021 तक, निगमन (2011) के बाद से चार निष्क्रिय सरकारी कंपनियां थी, जिसके लिए दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा उनके संचालन/बंद करने के लिए कोई निर्णय/कार्रवाई नहीं की गई थी।
- वर्ष 2020-21 में 10 लाभ अर्जित करने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित ₹ 2,809.65 करोड़ के कुल लाभ में से 96.30 प्रतिशत का योगदान पांच²⁴ रा.सा.क्षे.उ. द्वारा किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. ने रा.रा.क्षे.दि.स. को लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया।
- हानि वाले सात रा.सा.क्षे.उ. द्वारा उठाई गई ₹ 6,162.64 करोड़ की कुल हानि में से, दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अकेले ₹ 6,147.06 करोड़ की हानि का योगदान किया था।
- दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और इसके लेखें छः वर्षों से बकाया थे। इसके अलावा, आठ सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के 2020-21 के लेखों को 30 नवम्बर 2021 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, रा.सा.क्षे.उ. के वित्तीय विवरणों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 811.52 करोड़ था।

²⁴ दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि., प्र.पॉ.कं.लि., इं.पॉ.ज.कं.लि., दि.ट्रां.लि. तथा दि.पॉ.कं.लि.

5.17 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार निष्क्रिय सहायक कंपनियों के बंद/संचालन पर निर्णय करें;
- रा.सा.क्षे.उ. की वित्तीय विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें;
- तय की गई लाभांश नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करें; तथा
- दि.प.नि. को व्यवहारिक बनाने के लिए योजना तैयार करें;

नई दिल्ली
दिनांक: 20 मई 2022



(समर कांत ठाकुर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े
(पैरा 1.4.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864
(i) राजस्व कर	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)	-	13,621	19,187	19,465	15,676
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	21,144	11,149	5,886	5,475	4,411
राज्य उत्पाद शुल्क	4,251	4,453	5,028	5,068	4,108
वाहनों पर कर	1,809	2,116	2,055	1,948	1,676
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	3,144	4,117	4,459	4,606	3,549
भू राजस्व	2	2	0	3	4
माल तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	790	259	10	1	1
(ii) गैर कर राजस्व	381	766	644	1,097	980
(iii) केन्द्रीय करों तथा ड्यूटी में राज्य का अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2,825	2,184	5,844	9,473	11,459
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण व अग्रिमों की वसूली	212	691	1,644	823	631
4. कुल राजस्व (1+2+3)	34,558	39,358	44,757	47,959	42,495
5. लोक ऋण प्राप्तियां	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	36,254	41,264	47,637	52,724	57,860
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	2	95	143	79
8. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	36,254	41,266	47,732	52,867	57,939
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	6,590	7,196	7,605	7,083	6,295
सामाजिक सेवाएं	16,579	19,602	21,663	22,145	22,693
आर्थिक सेवाएं	5,111	5,862	5,219	6,530	8,514
सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,021	1,094	2,365	3,879	2,912
11. पूंजीगत व्यय	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699
सामान्य सेवाएं	350	228	180	389	246
सामाजिक सेवाएं	2,130	1,575	1,755	3,572	2,669
आर्थिक सेवाएं	1,274	1,440	1,331	1,511	1,784
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090
13. कुल व्यय (10+11+12)	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265
15. आकस्मिक निधि में विनियोजन	-	-	90	0	0

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	37,264	40,927	46,246	51,186	52,468
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	2	5	143	79
18. लोक लेखा संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	37,264	40,929	46,251	51,329	52,547
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(+)5,044	(+)4,913	(+)6,261	(+)7,499	(+)1,450
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-)1,051	(+)113	(+)2,237	(-)416	(-)6,708
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष(+) (21+23)	(+)1,832	(+)2,984	(+)5,104	(+)2,336	(-)3,834
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,883	2,871	2,867	2,752	2,874
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. अग्रिम/ओवरड्राफ्ट अर्थापाय का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
अग्रिम अर्थापाय का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
26. अग्रिम/ओवरड्राफ्ट अर्थापाय पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) @	616,085	677,900	750,962	830,872	798,310
28. बकाया राजकोषीय देयताएं	33,345	33,569	32,812	34,767	46,867
29. बकाया गारंटी (समाप्त वर्ष) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम राशि की गारंटी	-	-	-	-	-
भाग च. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्व कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.05	5.27	4.88	4.40	3.69
स्व गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.06	0.11	0.09	0.13	0.12
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	5.78	5.79	5.66	5.82	6.16
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	103.68	101.49	98.62	102.63	117.53
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.29	86.01	86.67	81.94	82.14
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	54.68	56.49	59.05	53.16	51.55
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	21.25	20.89	17.07	16.62	20.93
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	10.54	8.26	7.68	11.31	9.55
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	9.56	7.68	7.26	10.51	9.05
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)0.82	(+)0.72	(+)0.83	(+)0.90	(+)0.18
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(-)0.17	(+)0.02	(+)0.30	(-)0.05	(-)0.84
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)0.30	(+)0.44	(+)0.68	(+)0.28	(-)0.48
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	5.41	4.95	4.37	4.18	5.14**
राजकोषीय देयताएं/रा.प्रा.	97.09	86.82	76.11	73.76	111.95
प्राथमिक घाटा की तुलना में क्वांटम स्प्रेड	171.65	612.04	726.99	269.14	74.64
ऋण मुक्ति (मुलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.06	0.08	0.07	0.08	0.05

नोट-आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक में लिया गया है

* प्रभावी बकाया वित्तीय देनदारियां ₹ 41,002 करोड़ होगी क्योंकि राज्य को दिए गए ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे के रूप में ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

** कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे के बहिष्करण के बाद आया।

परिशिष्ट 3.1

योजनाओं का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था
(पैरा 3.5.2 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (वास्तविक बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व-दत्तमत					
1	02-सामान्य प्रशासन	2052.00.090.38 मुख्यमंत्री का जनता के साथ संपर्क	20.00	5.00	शून्य
2		2055.00.119.97 दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस सेवा सोसायटी को स.अ. (निर्भया फंड) (के.प्रा.यो.)	284.50	284.50	शून्य
3		2220.60.101.95 प्रत्येक विभाग हेतु संचार टीम	20.00	2.96	शून्य
4		2220.60.101.94 आउटरीच कार्यक्रम हेतु शासन का दिल्ली मॉडल	50.00	21.00	शून्य
5	03-न्याय का प्रशासन	2014.00.103.98 चयनित सं.सं./वि.स.स. के साथ व्यवहार से संबंधित अपराधिक मामलों की जांच हेतु विशेष न्यायलय की स्थापना	1.19	1.20	शून्य
6		2014.00.103.97 बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों को शीघ्र निपटान हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना (निर्भया फंड) (के.प्रा.यो.)	7.20	7.20	शून्य
7		2014.00.103.96 बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों को शीघ्र निपटान हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना (निर्भया फंड) (राज्य का अंश)	4.80	4.80	शून्य
8	05-गृह	2056.00.101.97 कारावास में बाँड़ी वॉर्न कैमेरा पाइलॉट प्रोजेक्ट (के.प्रा.यो.)	0.00	1.00	शून्य
9		2055.00.116.96 डी.एन.ए. लैब टैस्ट-निर्भया फंड (के.प्रा.यो.)	4.00	7.30	शून्य
10	06-शिक्षा	2202.02.109.69 दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (दि.बा.अ.सं.आ.) द्वारा माता-पिता के लिए कार्यशाला का आयोजन	20.00	1.50	शून्य
11		2202.02.109.68 ऑनलाइन व्याख्यान संचार हेतु स्टूडियों की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
12		2202.02.109.64 विशेष आवश्यकताओं के साथ बच्चों की प्रतिभा संवर्धन	2.00	2.00	शून्य
13		2202.80.001.85 दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (दि.बा.अ.सं.आ.) को स.अ.	2.00	1.00	शून्य
14		2202.80.001.82 शिक्षा मंत्री का कार्य/जनता के साथ संपर्क	10.00	10.00	शून्य
15		2202.80.001.74 गणितीय कौशल एवं सक्षमता के विकास हेतु स्पेशल क्लास का आयोजन	8.00	1.75	शून्य
16		2204.00.101.79 शारीरिक शिक्षा के सुधार हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
17		2204.00.101.78 शारीरिक शिक्षा के सुधार हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
18		2204.00.101.77 शारीरिक शिक्षा के सुधार हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
19		2204.00.104.53 खेल संघ को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
20		2204.00.104.46 क्षात्रों को स्पोर्ट्स कीट्स उपलब्ध कराना	65.00	1.00	शून्य
21		2204.00.104.44 खेल अवसंरचना का अनुरक्षण	5.00	5.00	शून्य
22		2203.00.112.41 अनुसंधान अनुदान योजना	10.00	10.00	शून्य
23	2205.00.102.79 राज्य समारोह के आयोजन हेतु साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	7.00	3.50	शून्य	

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (वास्तविक बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
24		2202.03.102.87 प्रारंभिक बचपन देखभाल केन्द्र हेतु अम्बेडकर विश्वविद्यालय को स.अ.	0.60	2.00	शून्य
25		2202.03.102.86 दिल्ली के शिक्षक का विश्वविद्यालय	5.00	1.00	शून्य
26	07-चिकित्सा	2210.06.800.67 रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान	15.00	10.00	शून्य
27	एवं जन	2210.06.101.32 टेली चिकित्सा सुविधा	1.25	1.25	शून्य
28	स्वास्थ्य	2210.01.110.81 इंदिरा गांधी अस्पताल	0.00	4.00	शून्य
29		2235.02.101.43 मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा योजना (मु.दि.पु.से.यो.)	10.00	1.00	शून्य
30		2235.02.103.18 महिलाओं की गरिमा हेतु व्यवहारिकता में परिवर्तन	20.00	10.00	शून्य
31		2235.02.107.90 शराब एवं मादक पदार्थ (ड्रग्स) सेवन की रोकथाम की योजना	1.00	1.00	शून्य
32		2236.02.101.71 पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आहार	20.00	1.17	शून्य
33		2225.01.277.69 मैट्रिक के बाद क्षात्रवृत्ति योजना	10.00	9.77	शून्य
34		2225.01.277.52 अ.जा. के छात्रों को मैट्रिक के बाद क्षात्रवृत्ति योजना (के.प्रा.यो.)	10.00	10.00	शून्य
35	08-समाज कल्याण	2225.01.277.50 कलिंग समाज विज्ञान संस्थान (क.स.वि.स.) के सहयोग से दिल्ली में अ.जा./अ.पि.व. /अल्पसंख्यक एवं अनाथ जैसे कमजोर वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना	2.70	2.70	शून्य
36		2225.01.277.44 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना	100.00	78.00	शून्य
37		2225.01.789.77 मैट्रिक के पहले अ.जा. के छात्रों को क्षात्रवृत्ति (के.प्रा.यो.) (एम.सी.एस.पी. - अनुसूचित जाति उप योजना)	2.53	2.53	शून्य
38		2225.01.789.75 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (एससीएसपी)	50.00	20.00	शून्य
39		2225.80.789.97 कलिंग समाज विज्ञान संस्थान (क.स.वि.सं.) के सहयोग से इशापुर गांव, दिल्ली में अ.जा./अ.पि.व./अ.सं. एवं अनाथ जैसे कमजोर वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना (एस.सी.एस.पी.)	1.80	1.80	शून्य
40		3055.00.190.95 राज्य इलेक्ट्रिक वाहन फंड	50.00	3.74	शून्य
41		3452.80.001.84 मंत्री परिषद हेतु सार्वजनिक कार्य	8.00	4.00	शून्य
42		3452.80.104.64 सांप्रदायिक सद्भाव हेतु अभियान के लिए डीटीटीडीसी को स.अ.	25.00	2.00	शून्य
43	09-उद्योग	2851.00.001.96 व्यापार करने में आसानी	5.00	1.98	शून्य
44		2851.00.004.91 स्टार्टअप का विकास	20.00	1.00	शून्य
45		2851.00.004.90 स्टार्टअप त्योहार	20.00	1.00	शून्य
46		3456.00.001.94 राशन दरवाजे पर देने का अभियान	20.00	5.00	शून्य
47		3456.00.102.87 मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना	0.00	100.00	शून्य
48		3456.00.800.74 राज्य खाद्य आयोग	1.00	1.00	शून्य
49		2401.00.104.94 परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	10.00	4.71	शून्य
50		2403.00.101.85 डेयरी कॉलोनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु सुविधाएं प्रदान करना	2.00	1.50	शून्य
51		2403.00.789.99 अस्पताल/डीसपेंसरी में पशु चिकित्सा सेवाएँ एवं संक्रामक रोगों का नियंत्रण (एस.सी.एस.पी.)	1.00	1.00	शून्य
52	10-विकास	2515.00.800.77 आईडीआरयूवी कार्यों की मरम्मत हेतु 5% परिव्यय सहित डीवीडीबी के माध्यम से जल निकायों सहित आईडीआरयूवी कार्य	1.07	1.07	शून्य
53		2030.01.101.99 सचिव राजस्व	2.10	2.10	शून्य
54		2225.03.277.77 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना (के.प्रा.यो.)	6.50	6.50	शून्य
55		2235.60.200.61 गवाह संरक्षण फंड	2.00	2.00	शून्य
56		2245.80.102.92 आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा राहत कोष	5.00	5.00	शून्य
57		2245.80.800.99 आपदा राहत कोष से वित्तपोषित महामारी	0.00	6.25	शून्य

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (वास्तविक बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
58		2406.04.103.99 राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष (रा.क्ष.व.को.) से वित्तपोषित क्षतिपूर्ति वनरोपण	0.00	12.05	शून्य
59		2406.04.103.97 राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण फंड (रा.क्ष.व.फं.) से वित्तपोषित एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना	0.00	2.78	शून्य
60		2406.04.103.96 राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण फंड (रा.क्ष.व.फं.) से वित्तपोषित वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	0.00	3.87	शून्य
61		2217.05.800.85 बाजार विकास फंड	30.00	1.00	शून्य
62		2217.80.191.04.95 भवन क्षमता एवं ए. एवं ओ.ई. हेतु शहरी विकास विभाग (के.प्रा.यो.)	1.50	1.50	शून्य
63	11-शहरी विकास एवं	2217.80.191.04.91 जन जागरूकता एवं आई.ई.सी. गतिविधियां हेतु शहरी विकास विभाग (के.प्रा.यो.)	3.50	3.50	शून्य
64	लोक निर्माण विभाग	2217.80.800.76 विभिन्न डंपिंग स्थलों पर डंप किए गए कचरे का निपटान	50.00	50.00	शून्य
65		3475.00.108.94 दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी बचपन मिशन (के.प्रा.यो.)	4.00	4.00	शून्य
66		2810.02.800.90 सौर ऊर्जा हेतु पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन योजना	5.00	2.00	शून्य
		कुल	1048.24	762.48	
राजस्व प्रभारित					
67	03-न्याय का प्रशासन	2015.00.102 मतदान अधिकारी	0.10	1.00	शून्य
68	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01..110.17 श्री दादादेव मात्री एवं शिशु चिकित्सालय	1.88	1.88	शून्य
69	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	2070.00.800.63 स्थानीय निकाय निदेशालय	0.00	1.00	शून्य
		कुल	1.98	3.88	
पूँजीगत दत्तमत					
70		4202.03.800.98 खेल के मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं तैराकी पुल आदि का विकास	24.65	20.00	शून्य
71		4250.00.201.86 सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन (के.प्रा.यो.)	2.95	1.55	शून्य
72	06-शिक्षा	6202.02.105.94 इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान (इ.सू.त.सं.) को ऋण	10.00	10.00	शून्य
73		4202.04.101.98 दिल्ली कला केंद्र	10.00	1.00	शून्य
74		4202.01.203.91 इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण एवं भूमि का आवंटन	0.00	10.25	शून्य
75		4202.01.203.91 स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना	20.00	1.00	शून्य
76	07-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	4210.01.110.64 केंद्रीय खरीद प्राधिकरण एवं राज्य ड्रग अधिकरण	150.00	24.00	शून्य
77		4210.04.107.93 राज्य ड्रग एवं नियामक प्रणाली (राज्य अंश)	1.70	1.70	शून्य
78		4210.01.110.61 बुरारी में 700 बिस्तरों वाला अस्पताल	0.00	4.99	शून्य
79		4210.01.110.60 इंदिरा गांधी अस्पताल	0.00	1.97	शून्य
80	अनुदान सं. 08-समाज कल्याण	4235.02.101.82 विकलांग व्यक्तियों हेतु अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना (एस.आई.पी.डी.ए.) (के.प्रा.यो.)	5.50	2.50	शून्य
81		4235.02.800.94 मौजूदा भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (एसडब्ल्यूडी)	5.00	1.00	शून्य

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (वास्तविक बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
82		4235.02.102.98 प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में सीसीटीवी	10.00	3.00	शून्य
83		6225.80.800.95 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं विकलांग को शिक्षा ऋण हेतु डीएसएफडीसी को ऋण	1.50	1.50	शून्य
84		6225.80.800.94 मुख्यमंत्री फेरीवाला ऋण योजना के अंतर्गत डीएसएफडीसी को ऋण	0.00	2.00	शून्य
85	10-विकास	4250.00.101.99 आपदा आकस्मिकता कोष/आपदा राहत कोष	5.00	5.00	शून्य
86	11-शहरी	421760.051.95 मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास	400.00	1.00	शून्य
87	विकास एवं	421760.051.94 मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा योजना	100.00	1.00	शून्य
88	लोक निर्माण विभाग	4202.04.101.97 अकादमियों हेतु अवसंरचना विकास	0.00	5.00	शून्य
		कुल	746.30	98.46	
		कुल योग	1796.52	864.82	

परिशिष्ट 3.2

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था
(पैरा 3.5.2 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
राजस्व - दत्तमत				
1	02-सामान्य प्रशासन	2220.60.101.96 मीडिया नेटवर्क के साथ सहयोग	50.00	शून्य
2	06-शिक्षा	2202.01.101.92 खुशी पाठ्यक्रम एवं उद्यमिता गतिविधियां	20.00	शून्य
3		2202.01.101.90 स्कूल प्रणाली के मामले के विकास को दिखाने के लिए जनसंपर्क इकाई की स्थापना	1.00	शून्य
4		2202.01.101.89 अन्य राज्य/देशों के साथ संस्कृति विनिमय कार्यक्रम	2.00	शून्य
5		2202.01.103.95 नयी योजनाएं एवं पहलों के कार्यान्वयन हेतु डीएमसी को सहायता अनुदान	20.00	शून्य
6		2202.01.104.99 अंतर्राष्ट्रीय क्षात्र निर्धारण हेतु कार्यक्रम की तैयारी (पीआईएसए) -2024	2.00	शून्य
7		2202.02.104.98 शिक्षक नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना	5.00	शून्य
8		2202.02.107.96 मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति	8.00	शून्य
9		2202.02.109.95 छात्रों या ग्रामीण क्षेत्रों को मुक्त परिवहन सुविधाएं	4.00	शून्य
10		2202.02.109.80 सरकारी विद्यालयों में गृष्म कैंपों का आयोजन	40.00	शून्य
11		2202.02.109.72 विद्यालय स्वास्थ्य योजना एवं बहु उद्देशीय पहचान पत्र जारी करना	22.00	शून्य
12		2202.02.109.66 उत्कृष्ट विद्यालय	15.00	शून्य
13		2202.02.109.65 टेलीविजन पर विज्ञान के कार्यक्रम	5.00	शून्य
14		2202.02.109.63 कक्षा X एवं XII के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री परीक्षा शुल्क सहायता योजना	60.00	शून्य
15		2202.02.789.95 छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए छूट हेतु सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान (एससीएसपी)	3.00	शून्य
16		2202.02.789.94 छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए छूट	45.00	शून्य
17		2202.02.800.67 सबसे अच्छे छात्रों, विद्यालयों एवं शिक्षण कर्मचारियों को प्रोत्साहन	1.7	शून्य
18		2202.02.800.40 छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए छूट	1.85	शून्य
19		2202.02.800.38 छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए छूट हेतु सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान	17.00	शून्य
20		2202.80.107.82 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	20.00	शून्य
21		2204.00.001.87 विद्यालयों में छात्रों का फिटनेस आकलन	25.00	शून्य
22	2204.00.102.66 विद्यालयों में छात्रों के लिए आत्मरक्षा	10.00	शून्य	
23	2204.00.104.45 मुख्यमंत्री खेलो दिल्ली योजना	35.00	शून्य	
24	2203.00.112.48 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) (के.प्रा.यो.) हेतु दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	1.00	शून्य	
25	07-चिकित्सा एवं	2210.05.105.75 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान एलोपैथी, चिकित्सा विज्ञान के कॉलेज विश्वविद्यालय	1.00	शून्य
26	सार्वजनिक	2211.00.103.80 विशेष प्रतिरक्षण कार्यक्रम एमएमआर	8.5	शून्य
27	स्वास्थ्य	2210.05.101.86.98 आयुष औषधालयों को आवश्यकता दवाएं	2.00	शून्य
28	08-सामाजिक कल्याण	2225.03.277.75 अल्पसंख्यकों/अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	60.00	शून्य
29		2041.00.800.96 सड़क सुरक्षा सैल एवं गै.स.सं. को सहायता अनुदान	1.00	शून्य
30		3452.80.104.65 भारत दर्शन पार्क के विकास के लिए डीटीडीडीसी को स.अनु.	10.00	
31	10-विकास	2405.00.101.87 नीली क्रांति एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबंधन (के.प्रा.यो.)	1.00	शून्य
32		2053.00.800.92.94 दिल्ली ई-जिला कार्यान्वयन, समाज-ई जिला परियोजना को सहायता अनुदान	1.5	शून्य
		कुल	498.55	शून्य

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
राजस्व - प्रभारित				
33	03-न्याय का प्रशासन	2014.00.102.93 उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण	1.00	शून्य
		कुल	1.00	शून्य
पूँजीगत-दत्तमत				
34	06-शिक्षा	4202.02.104.87 नये पोलिटेकनीक की स्थापना	4.00	शून्य
35	08-सामाजिक कल्याण	4235.02.104.98 वृद्धाश्रम	5.00	शून्य
36		5055.00.190.99 बसों की खरीद हेतु दिल्ली परिवहन निगम को शेयर पूँजी	250.00	शून्य
37		4235.02.104.93 सेवा सदन कॉम्प्लेक्स, लामपुर में भवन का निर्माण	9.00	शून्य
38		5054.04.101.96 करावल नगर, भजनपुरा तथा मंगल मार्ग पर गगन सिनेमा में फ्लाई ओवर/अंडरपास का निर्माण	200.00	शून्य
39		5054.04.101.95 मंजु की टील्ला पर फ्लाइओवर तथा आउटर रिंग पर मेटकैफ हाऊस	10.00	शून्य
40		5054.04.101.93 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर	10.00	शून्य
41	11-शहरी विकास और लोक निर्माण	5054.04.101.79 आनंद विहार आरओबी से अपसरा बोर्डर आरओबी तक रोड़ सं. 56 पर ग्रेड-सिपरेटर/फ्लाईओवर का निर्माण	1.00	शून्य
42		5054.04.101.78 (i) रिंग रोड़ में डीएनडी इंटरसेक्शन से भैरो मार्ग जंक्शन तक एवं (ii) आउटर रिंग रोड़ में मोदी मील फ्लोईओवर से आईआईटी गेट तक एकीकृत कॉरिडोर	10.00	शून्य
43	विकास	5054.01.101.76 करावल नगर घांड़ा एवं मंगल पांडे मार्ग के ब्रौजपुरी जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण जिसमें इलेवेटेड कॉरिडोर, फुटपाथ, सड़क के कार्य, सड़क संकेत, इलेक्ट्रिक कार्य तथा नालों का निर्माण शामिल है	1.00	शून्य
44		5054.04.337.93 ढांसा रेगुलेटर से द्वारका मोड़ तक नाला सं. 8 (नजफगढ़ नाला) के किनारे चार लेन का निर्माण	1.00	शून्य
45		5054.04.337.92 ककरोला मोड़ से वजीराबाद तक नजफगढ़ नाले के उपर सड़क का निर्माण	1.00	शून्य
46		5054.04.337.91 बवाना से इंद्रलोक तक हरियाणा की नयी कनेक्टिविटी	1.00	शून्य
		कुल	503.00	शून्य
कुल योग			1,002.55	शून्य

परिशिष्ट 3.3
अनुदान की उपयोगिता में कमी (केंद्रीय प्रायोजित योजना)
(पैरा 3.5.4 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुदान का उपयोग न करने के कारण
योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था						
राजस्व - दत्तमत						
1	02-सामान्य प्रशासन	2055.00.119.97 दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली पुलिस सेवा समाज को स.अ. (निर्भया फंड) (के.प्रा.यो.)	284.50	284.50	शून्य	मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) एवं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) के निविदा का अंतिमकरण में कमी
2	03-न्याय का प्रशासन	2014.00.103.97 बलात्कार मामले एवं पॉक्सो अधिनियम के शीघ्र निपटान हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना (निर्भया फंड) के.प्रा.यो.	7.20	7.20	शून्य	योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के कारण माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया गया।
3	05-गृह	2056.00.101.97 कारावास में बॉडी वॉर्न कैमेरा पाइलोट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन (के.प्रा.यो.)	0.00	1.00	शून्य	वित्त विभाग से निधि के प्राधिकरण की प्राप्ति देर से होने के कारण
4		2055.00.116.96 डीएनए जांच प्रयोग-निर्भया फंड (के.प्रा.यो.)	4.00	7.30	शून्य	प्रस्तावों पर अमल होने में कमी, कोविड-19 का प्रकोप तथा प्रशासनिक कारण
5	08-सामाजिक कल्याण	2225.01.277.52 अ.जा. के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति (के.प्रा.यो.)	10.00	10.00	शून्य	संबंधित मंत्रालय से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण
6		2225.01.789.77 अ.जा. के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (के.प्रा.यो.) (एससीएसपी)	2.53	2.53	शून्य	वित्त विभाग से निधि के प्राधिकरण की प्राप्ति देर से होने के कारण
7	10-विकास	2401.00.104.94 परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	10.00	4.71	शून्य	वि.व. 2020-21 की समाप्ति के कारण भुगतान जारी होने में कमी, कोविड-19 महामारी एवं आरसी/एनजीओ द्वारा प्रस्तुत बिल में कुछ दोष पाये जाने के कारण
8		2245.80.102.92 आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा राहत कोष (के.प्रा.यो.)	5.00	5.00	शून्य	डीडीआरएफ में निधि के स्थानांतरण हेतु रखे गए आरंभिक प्रावधान के कारण
9	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	2217.80.191.04.95 निर्माण क्षमता एवं ए एवं ओई हेतु शहरी विकास विभाग (के.प्रा.यो.)	1.50	1.50	शून्य	के.प्रा.यो. की निधि का कम जारी होना

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुदान का उपयोग न करने के कारण
10		2217.80.191.04.91 जन जागरूकता एवं आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए शहरी विकास विभाग	3.50	3.50	शून्य	के.प्रा.यो. की निधि का कम जारी होना
11		3475.00.108.94 दीन दयाल उपाध्याय अंतोदय योजना/राष्ट्रीय शहरी बचपन मीशन (के.प्रा.यो.)	4.00	4.00	शून्य	कोविड-19 के कारण कौशल प्रशिक्षण 21.03.2020 से 20.09.2020 तक रोक दिया गया था
कुल			332.23	331.24	शून्य	
पूंजीगत-दत्तमत						
12	06-शिक्षा	4250.00.201.86 सरकारी औ.प्र.सं. को मॉडल औ.प्र.सं. में उन्नयन	2.95	1.55	शून्य	संस्थान के पिछले वर्ष की अव्ययित राशि की उपलब्धता होने पर निधि जारी नहीं की जा सकने के कारण
13	08-सामाजिक कल्याण	4235.02.101.82 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की योजना (एस.आई.पी.डी.ए.) (के.प्रा.यो.)	5.50	2.50	शून्य	भारत सरकार को उ.प्र. की प्रस्तुति में कमी के कारण भा.स. से बकाये की राशि प्राप्त नहीं हो सकी।
कुल			8.45	4.05	शून्य	
योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिए गए						
राजस्व - दत्तमत						
14	06-शिक्षा	2203.00.112.48 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (त.शि.गु.सु.का.) के लिए दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	1.00	शून्य	शून्य	अनुदान कम जारी होने के कारण
15	07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.05.101.86.98 आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाएं	2.00	शून्य	शून्य	भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होने के कारण
16	10-विकास	2405.00.101.87 नीली क्रांति एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबंधन (के.प्रा.यो.)	1.00	शून्य	शून्य	योजना बदलने के कारण
कुल			4.00	शून्य	शून्य	
पूंजीगत - दत्तमत						
17	06-शिक्षा	4202.02.104.87 नये पोलिटेकनीक की स्थापना (के.प्रा.यो.)	4.00	शून्य	शून्य	योजना के कार्यान्वयन में कमी के कारण भा.स. से निधि कम प्राप्त हुई
कुल			4.00	शून्य	शून्य	
कुल योग			348.68	335.29	शून्य	

परिशिष्ट 5.1

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नवीनतम वर्ष हेतु सारांशीकृत वित्तीय परिणाम जिनके लेखे प्राप्त किये गये हैं
(पैराग्राफ 5.5.1, 5.7.1 और 5.7.2 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	गतिविधि और रा.सा.क्षे.उ. के नाम	लेखा की अवधि	वर्ष जिसमें प्राप्त हुआ	ब्याज एवं कर के पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के बाद निवल लाभ/हानि	कुल बिक्री	प्रदत्त पूंजी	नियोजित ¹ पूंजी	निवल मूल्य ²	संचित लाभ/हानि (निवल आरक्षित निधि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क	रा.सा.क्षे.उ. जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था									
क1	ऊर्जा									
1	इंद्रप्रस्थ पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2019-20	2020-21	296.61	190.93	570.53	736.54	1,359.71	1,334.99	599.16
2	प्रगति पॉवर निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	2,180.76	1,562.16	4,972.33	2,074.19	7,759.96	6,222.98	4,149.44
3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	2020-21	2021-22	841.93	606.60	1,397.69	3,951.00	4,355.10	4,038.11	87.11
4	दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड	2019-20	2020-21	141.09	126.87	00.00	745.05	310.01	-355.27	-1,100.32
	कुल क1			3,460.39	2,486.56	6,940.55	7,506.78	13,784.78	11,240.81	3,735.39
क2	अन्य									
5	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2021-22	-2.93	-3.20	1.18	45.20	124.08	58.60	13.40
6	दिल्ली राज्य सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20	2020-21	13.74	9.26	1,045.90	7.00	54.64	52.50	45.50
7	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	232.32	219.09	1,112.46	21.00	1,204.05	1,204.05	1,183.05
8	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	9.86	6.68	1,346.60	6.28	220.55	220.55	214.27
9	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	32.09	78.97	93.05	10.65	171.36	171.36	160.71
10	दिल्ली वित्तीय निगम	2019-20	2020-21	-8.21	-12.38	6.43	26.48	56.83	23.83	-2.65

¹ नियोजित पूंजी = प्रदत्त पूंजी+दीर्घावधि ऋण+संचित लाभ/हानि-प्रास्थगित राजस्व व्यय। इ.पा.जे.क.लि. के संबंध में ₹ 0.71 करोड़ तथा प्र.पा.नि.लि. के संबंध में ₹ 0.65 करोड़ का प्रास्थगित राजस्व व्यय को घटाकर नियोजित पूंजी के आंकड़े मिलते हैं।

² निवल मूल्य = प्रदत्त पूंजी + आरक्षित निधि + अधिशेष - संचित हानि - प्रास्थगित राजस्व व्यय। निवल मूल्य के आंकड़े को पाने के लिए इ.पा.जे.नि.लि. के संबंध में ₹ 0.71 करोड़ का प्रास्थगित राजस्व व्यय और प्र.पा.नि.लि. के ₹ 0.65 करोड़ को घटाना था।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	गतिविधि और रा.सा.क्षे.उ. के नाम	लेखा की अवधि	वर्ष जिसमें प्राप्त हुआ	ब्याज एवं कर के पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के बाद निवल लाभ/हानि	कुल बिक्री	प्रदत्त पूंजी	नियोजित ³ पूंजी	निवल मूल्य ⁴	संचित लाभ/हानि (निवल आरक्षित निधि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	दिल्ली परिवहन निगम	2019-20	2021-22	21.00	-6,147.06	792.44	1,983.85	-31,240.53	-42,916.67	-44,900.52
12	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जि.दि.लि.)	2019-20	2020-21	4.46	3.33	6.04	10.76	26.44	26.44	15.68
13	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	2020-21	2021-22	0	0	0	0	0	0	0
	कुल क2			302.33	-5,845.31	4,404.10	2,111.22	-29,382.58	-41,159.34	-43,270.56
	कुल क (क1+क2)			3,762.72	-3,358.75	11,344.65	9,618.00	-15,597.80	-29,918.53	-39,535.17
ख	रा.सा.क्षे.उ. जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश नहीं किया था									
ख1	ऊर्जा									
14	डीएसआईआईडीसी ऊर्जा लिमिटेड ⁵	2019-20	2020-21	0.00	0.00	00.00	0.01	0.22	0.22	0.21
	कुल ख1			0.00	0.00	00.00	0.01	0.22	0.22	0.21
ख2	अन्य									
15	दिल्ली क्रीएटिव आर्ट्स डेक्लपमेंट लिमिटेड	2019-20	2020-21	0	0	0	0.01	0.00	-0.05	-0.06
16	डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड	2020-21	2021-22	0	0	0	0.01	0.00	-0.05	-0.06
17	डीएसआईआईडीसी मेन्टेनेंस सर्विस लिमिटेड	2020-21	2021-22	0	0	0	0.01	-0.08	-0.08	-0.09
18	इंटेलेजेंट कॉम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड	2020-21	2021-22	9.13	5.76	161.22	1.00	37.11	37.11	36.11
	कुल ख2			9.13	5.76	161.22	1.03	37.03	36.93	35.90
	कुल ख (ख1+ख2)			9.13	5.76	161.22	1.04	37.25	37.15	36.11
	कुल योग (क+ख)			3,771.85	-3,352.99	11,505.87	9,619.04	-15,560.55	-29,881.38	-39,499.06

³ नियोजित पूंजी = प्रदत्त पूंजी+दीर्घावधि ऋण+संचित लाभ/हानि-प्रास्थगित राजस्व व्यय। इ.पा.जे.क.लि. के संबंध में ₹ 0.71 करोड़ तथा प्र.पा.नि.लि. के संबंध में ₹ 0.65 करोड़ का प्रास्थगित राजस्व व्यय को घटाकर नियोजित पूंजी के आंकड़े मिलते हैं।

⁴ निवल मूल्य = प्रदत्त पूंजी + आरक्षित निधि + अधिशेष - संचित हानि - प्रास्थगित राजस्व व्यय। निवल मूल्य के आंकड़े को पाने के लिए इ.पा.जे.नि.लि. के संबंध में ₹ 0.71 करोड़ का प्रास्थगित राजस्व व्यय और प्र.पा.नि.लि. के ₹ 0.65 करोड़ को घटाना था।

⁵ डीएसआईआईडीसी एनर्जी को ₹ 33.450 का शुद्ध घाटा हुआ है।

परिशिष्ट 5.2

31 मार्च 2021 को राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित इक्विटी एवं बकाये ऋण की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण
(पैरा 5.4.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सा.क्षे.उ. के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2020-21 ⁶ की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2020-21 ⁵ की समाप्ति पर बकाये दीर्घावधि ऋण			
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क	ऊर्जा क्षेत्र										
1	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	जनवरी 2001	596.54	0.00	140.00	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	जनवरी 2001	2,074.19	0.00	0.00	2,074.19	709.85	0.00	257.14	966.99
3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	ऊर्जा	जुलाई 2001	3,691.00	0.00	260.00	3,951.00	0.00	0.00	420.24	420.24
4	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	जुलाई 2001	745.05	0.00	0.00	745.05	3,326.39	0.00	0.00	3,326.39
5	डीएसआईआईडीसी इनर्जी लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल क			7,106.78	0.00	400.01	7,506.79	4,036.24	0.00	677.38	4,713.62
ख	वित्त क्षेत्र										
6	दिल्ली अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व., अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के कल्याण	जनवरी-83	38.12	11.88	0.00	50.00	68.24	0.00	0.00	68.24
7	दिल्ली वित्तीय निगम	वित्त	अप्रैल-67	18.05	0.00	8.43	26.48	33.00	0.00	0.00	33.00
	कुल ख			56.17	11.88	8.43	76.48	101.24	0.00	0	101.24
ग	सेवा क्षेत्र										
8	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	नवम्बर-80	7.00	0.00	0.00	7.00	2.14	0.00	0.00	2.14

⁶ 30 नवम्बर 2021 को नवीनतम प्राप्त लेखों के अनुसार आंकड़े तथा 2020-21 का वार्षिक लेखा

⁵ ऋण में रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्तमान देय ऋण शामिल है जिसे लेखा में वर्तमान देयताएं के रूप में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	सा.क्षे.उ. के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2020-21 ⁷ की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2020-21 ⁵ की समाप्ति पर बकाये दीर्घावधि ऋण			
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
9	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	दिसम्बर-75	6.28	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जि.दि.लि.)	सूचना तकनीकी	मई-08	10.76	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00
12	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.05	0.05
13	डीएसआईआईडीसी मेनटेनेंस सर्विस लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
14	इंटेलेजेंट कम्युनिकेशन सीस्टम इंडिया लिमिटेड	डीएसआईआईडीसी एवं टीसीआईएल के संयुक्त उद्यम	अप्रैल-87	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ग			24.04	0.00	1.03	25.07	2.14	0.00	0.10	2.19
घ	अवसंरचना क्षेत्र										
15	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	फरवरी-71	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	शहरी विकास	मई-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल घ			21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
च	परिवहन क्षेत्र										
17	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	अगस्त-10	10.65	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
18	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	नवम्बर-71	1,983.85	0.00	0.00	1,983.85	11,676.14	0.00	0.00	11,676.14
	कुल च			1,994.50	0.00	0.00	1,994.50	11,676.14	0.00	0.00	11,676.14
	कुल क + ख + ग+घ+च			9,202.49	11.88	409.47	9,623.84	15,815.76	0.00	677.43	16,493.19

⁷ 30 नवम्बर 2021 को नवीनतम प्राप्त लेखों के अनुसार आंकड़े तथा 2020-21 का वार्षिक लेखा

⁵ ऋण में रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्तमान देय ऋण शामिल हैं जिसे लेखा में वर्तमान देयताएं के रूप में दर्शाया गया है।

पारिभाषिक शब्दावली

1. **एक वर्ष का 'लेखा' अथवा 'वास्तविक'** - 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशि होती है, जैसा कि लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में अंतिम रूप से दर्ज किया गया है (जैसा कि नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखा का तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखा से है।
2. **किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन'** - व्यय करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के अंतर्गत यह उस विशेष वर्ष के दौरान, जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है, प्रचालन हेतु वित्तीय मंजूरी के रूप में कार्य करता है।
3. **वार्षिक वित्तीय विवरण** - इसे बजट के रूप में भी देखा जाता है जिसका मतलब है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद/विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण।
4. **'विनियोजन'** - इसका तात्पर्य विनियोजन के विविध मूल इकाई अथवा उसके किसी भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशि को किसी संवितरण अधिकारी के समक्ष निपटान हेतु रखी गई राशि से है।
5. **'प्रभारित व्यय'** - इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमण्डल के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
6. **भारत/राज्य की समेकित निधि** - संघ/राज्य सरकार की समस्त राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण तथा भारत/राज्य की समेकित निधि से ऋणों के पुनः भुगतान से प्राप्त समस्त राशि से है। इस निधि में से कोई भी धनराशि कानून के अनुसार और संविधान में निहित तरीकों और किसी उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं की जा सकती है।
7. **'आकस्मिक निधि'** अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य कार्यकारी/सरकार को किसी वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक अग्रिम राशि प्रदान करता है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के जरिए अनुमोदित करने के बाद की जाती है।

8. 'नियंत्रक अधिकारी (बजट)' - इसका तात्पर्य एक ऐसे अधिकारी से है जिसे विभाग द्वारा किए गए व्यय और/अथवा राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे पद में विभाग के प्रमुख और प्रशासक भी शामिल हैं।
9. 'आहरण और संवितरण अधिकारी' (डीडीओ) - इसका तात्पर्य कार्यालय के प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा पदनामित किसी ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार की ओर से बिल का आहरण और भुगतान करता हो। इस पद में विभाग के प्रमुख भी शामिल होंगे जहां वे स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करते हैं।
10. 'अतिरिक्त अनुदान' - अतिरिक्त अनुदान का मतलब है मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमण्डल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।
11. 'नई सेवा' - जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115/1(क)/205/(1)(क) में उल्लेख किया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नई नीति निर्णय के अंतर्गत होने वाला व्यय जिसे पहले संसद/राज्य विधानमण्डल के ध्यान में नहीं लाया गया जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।
12. 'सेवा का नया साधन' - का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्त्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत अधिक व्यय।
13. 'लोक लेखा' - का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 266/(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण इत्यादि जैसे प्राप्तियाँ और संवितरण जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं है, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमण्डल के मत के अधीन नहीं होता है क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किया गया धन (राशि) नहीं है।
14. पुनर्विनियोजन - का अर्थ है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत किसी अन्य इकाई से अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजन के एक इकाई में बचत का स्थानांतरण करना।
15. 'संशोधित मूल्य का अनुमान' - वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान है जिसे पहले से ही जारी आदेशों के अंतर्गत वर्ष

में पहले से ही दर्ज किए गए लेन-देन और शेष के लिए अनुमान के संदर्भ में उस वर्ष तैयार किया गया है।

16. 'अनुदान की अनुपूरक मांगों' - का अर्थ है उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में और आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख करना जिसे विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।

(क) **पूरक नगद** मूल बजट प्रावधानों से अधिक होता है तथा इसके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रत्येक मांग में चार खण्ड होते हैं, अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित। **तकनीकी पूरक**, राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, किसी एक अनुभाग की बचत को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

(ग) **टोकन पूरक** अनुदान के एक ही अनुमान के भीतर बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।

17. 'प्रमुख शीर्ष' - का अर्थ राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को रिकॉर्ड करने तथा वर्गीकृत करने के उद्देश्य से एक प्रमुख लेखा शीर्ष है। एक प्रमुख शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होता है।

18. 'उप-प्रमुख शीर्ष' - का अर्थ है एक प्रमुख शीर्ष तथा इसके तहत लघु शीर्षों के बीच प्रस्तुत किए गए मध्यवर्ती लेखा शीर्ष, जब लघु शीर्ष असंख्य होते हैं तो ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के अंतर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किए जा सकते हैं।

19. 'लघु शीर्ष' - का अर्थ है प्रमुख शीर्ष या उप-प्रमुख शीर्ष का अधीनस्थ शीर्ष। प्रमुख शीर्ष का एक लघु अधीनस्थ प्रमुख शीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए 'कार्यक्रम' को चिन्हित करता है।

20. 'उप-शीर्ष' - का अर्थ है एक लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई जो समान्यतः लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।
21. 'प्रमुख कार्य' - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक हो।
22. 'लघु कार्य' - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होता है।
23. 'संशोधित अनुदान या विनियोजन' - का अर्थ है विनियोजन के किसी उप-शीर्ष को आवंटित राशि, जैसा कि यह पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद हो।
24. 'पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन' - का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन अधिनियम में शामिल प्रावधान है, जो उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हो।
25. 'नए व्यय की अनुसूची' - का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण।
26. 'टोकन मांग' - का अर्थ है एक मामूली या सांकेतिक राशि के लिए विधानमंडल में की गई मांग। उदाहरण के लिए, स्वीकृत बजट अनुदान के बचत से नई सेवा पर पूरे खर्च को पूरा करने का प्रस्ताव।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in